खण्ड-191, अंक-3
बुधवार, 23 माघ, शक संवत् 1879
(12 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 191 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार १२ फरवरी, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३४८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
कदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री

बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सिंगारदुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखबनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुलतान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री

हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २ फरवरी, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी बीज गोदामों से वितरित 'बलिया बार्ली' बीज के संबंध में शिकायत

**१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि प्रदेश के पूर्वीय अंचल के सभी जिलों में सरकारी बीज गोदामों अथवा विकास खंडों के जो 'बलिया बार्ली' के बीज वितरित हुए थे, वे खेतों में जमने के बाद बड़े पैमाने पर सूख गये ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां। सरकार को य सूचना मिली है कि प्रदेश के सब पूर्वी अंचल के जिलों में तो नहीं बल्कि बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में जो 'बलिया बार्ली' का बीज बीज-गोदामों से वितरित हुआ था उसमें कहीं कहीं हानि हुई है। बीज जमने में बहुत अच्छा रहा पर जमने के बाद कुछ बढ़कर कहीं-कहीं पौधे सूखने लगे, परन्तु कहीं कहीं केवल मुरझा गये। कुछ दिनों बाद बहुत हिस्सों में पौधे फिर हरे होने लगे और उन में बालियां भी आ गयीं फिर भी कुछ जगहों पर नुकसान बना ही रहा।

**२—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार ने कृषि विभाग क विशेषज्ञों को इन जगहों में जहां कि पौधे सूख गये थे, भेजा। उन्होंने निरीक्षण के बाद यह मालूम किया कि इसमें कोई कीड़े या फफूंदी की बीमारी नहीं थी। अभी तक इसका ठीक पता नहीं चला कि पौधे किस कारण से सूख गये। पूर्वी जिलों के उपसंचालकों को यह आदेश दिया गया है कि वे तुरन्त मौके पर जावें और इस परिस्थिति की पूरी-पूरी जांच करके अपना प्रतिवेदन भेजें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बलिया बार्ली के नाम से जो बीज दिया गया वह बलिया बार्ली नहीं था बल्कि दूसरा बीज था और उसके ऊपर बलिया बार्ली की मुहर दे दी गयी थी ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह नहीं मालूम है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर जिलों में कुल कितना बीज वितरित किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कितनी हानि के अन्दाज के समाचार प्राप्त हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो मंगाया गया है, अभी हमको पता नहीं चला है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षति इस बीज के बोने से हुई है, सरकार उसका मुआवजा देने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो सरकार का ऐसा खयाल नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार किन-किन हिस्सों में, यानी किन-किन तहसीलों में वह बीज नहीं जमा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---न जमने की कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किन-किन तहसीलों में यह बीज जमने के बाद पोला पड़ के सूख गया और फसल नष्ट हो गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उपसंचालकों की रिपोर्ट आने पर यह तफसील बतायी जा सकती है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब इस विषय के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो जायगा तो वह उससे सदन को भी अवगत करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जरूरत समझेंगे तो जरूर करायेंगे।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि बलिया बार्ली जो प्राइवेट एजेंसियों से लिया गया है वह बड़ी कामयाबी से जमा है और वही जो सरकारी बीज गोदामों से लिया गया है वह सूख गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नहीं मालूम है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि देर न हो इसके लिए उपसंचालकों की रिपोर्ट कितने दिनों के अन्दर आ जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तारीख मुकर्रर नहीं है लेकिन कह दिया है कि जल्दी आ जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन खेतों में यह "बलिया बार्ली" का बीज बोया गया था और जमने के बाद उन खेतों में जो गिरावट हुई है उसका अनुपात क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---शार्ट नोटिस पर इस अनुपात को नहीं बतलाया जा सकता मैंने रिपोर्ट मांगी है।

कानपुर में म्युनिसिपल असेसमेंट की अपीलों की सुनवाई के लिये अधिकारी की नियुक्ति

**३---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा करने वाले असेसमेंट की अपीलों को कानपुर में ही सुनवाई कराने के संबंध में कानपुर बार एसोसिएशन एवं अन्य संस्थाओं की ओर से सरकार से मांग की गई है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---जी हां, ऐसी मांग की गई थी। सरकार ने अपीलें सुनने के लिये कानपुर ही में एक अधिकारी नियुक्त कर दी है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन अपीलों की कानपुर में ही सुनवाई हो इस संबंध में कानपुर बार एसोसियेशन और वहां की अन्य संस्थाओं की ओर से सरकार से जब मांग की गई तब इस अधिकारी की नियुक्ति की गई है?

श्री रामस्वरूप यादव---लगभग ६ महीने पहले मांग की गई थी और २ जनवरी, १९५८ को सरकार की ओर से विज्ञप्ति भी जारी हो गई। जो सज्जन वहां भेजे गये हैं उन्होंने अपनी जगह का चार्ज भी छोड़ दिया है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पहले असुविधा थी उसको दूर करने के लिये ही अधिकारी नियुक्त किया गया है? जिन मकानमालिकों ने या जिन लोगों ने पहले अपील दाखिल नहीं की उनको इस बात की सुविधा प्रदान की जायगी कि वह अपनी-अपनी अपील दाखिल कर सकें?

श्री रामस्वरूप यादव---इसमें जैसा नियम होगा वही कार्यवाही होगी। नियुक्ति कर दी गई है।

गणतंत्र दिवस, २६ जनवरी, के उपलक्ष्य में बन्दियों को न छोड़ना

**४---डाक्टर खमानी सिंह (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस साल २६ जनवरी के उपलक्ष्य में जिन कैदियों को मुक्त किया जाने वाला है उनकी रिहाई के लिये सरकारी आदेश दे दिया गया है या नहीं?

सामाजिक सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---इस वर्ष गणतंत्र दिवस (२६ जनवरी) के उपलक्ष्य में जेलों से बन्दी नहीं रिहा किये गये। अतएव सरकारी आदेश जारी किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर खमानी सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब और साल छोड़े जाते थे तो इस साल क्यों नहीं छोड़े गये?

श्री मुजफ्फर हसन---हर साल छोड़े नहीं जाते। इस साल ३ बार लोग छोड़े जा चुके हैं। एक बार तो शताब्दी के मौके पर १० मई को, दूसरी बार १५ अगस्त को और उसके बाद गांधी जयन्ती के अवसर पर २ अक्टूबर को। इसलिये अब छोड़ना उचित नहीं समझा गया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जिस साल बन्दियों को २६ जनवरी को छोड़ा गया था उस साल २६ जनवरी की कुछ विशेषता थी?

श्री मुजफ्फर हसन---किसी विशेषता का सवाल नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब से गणतंत्र कायम हुआ है तब से लेकर पिछले साल तक कितने गणतंत्र दिवसों पर बन्दी छोड़े गये हैं और कितने पर नहीं छोड़े गये हैं?

श्री मुजफ्फर हसन---पहली मर्तबा सन् १९५० में छोड़े गये और उसके बाद सन् १९५३ में।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने गणतंत्र दिवस और १५ अगस्त इन विशेष अवसरों के लिये नियम बनाया है कि इन अवसरों पर बंदियों को रिहा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं।

मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने का विचार

**५---श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेरठ में विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---जी हां। इस प्रश्न पर कब तक निर्णय हो सकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में सरकार ने क्या ठोस कदम अब तक उठाये हैं और अनुमानतः क्या समय इसके खुलने में लगेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश---इस संबंध में सरकार ने एक विभागीय समिति नियुक्त की है और वह इस बात की जांच कर रही है कि विश्वविद्यालय स्थापित करने में कितना खर्च होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विभागीय समिति ने अभी मेरठ का दौरा किया था और जा कर जांच की थी ? अगर हां, तो उसने अभी अपनी कोई रिपोर्ट दी है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी नहीं, अभी कोई रिपोर्ट उससे प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी उसे कुछ और आंकड़ों आदि की आवश्यकता है जो वह उपलब्ध करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस विभागीय समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---डाक्टर हैकरवाल, कैप्टन ए० जेट्टो और डाक्टर एम० सी० पंत।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ में जो विश्वविद्यालय खुल रहा है यह गोरखपुर की तरह से रूरल यूनिवर्सिटी होगी या इसका कोई और दूसरा स्वरूप होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गोरखपुर में कोई खास रूरल यूनिवर्सिटी तो है नहीं, रूरल बायस देने की चेष्टा उसमें हो रही है और मेरठ में जो विश्वविद्यालय खुलेगा वह जैसे और विश्वविद्यालय हैं वैसे ही खोलने का इरादा है और उसमें बायस दिये जायेंगे---रूरल, टेक्निकल आदि।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस विभागीय समिति के समक्ष सिर्फ खर्चे का सवाल है या और कोई विचारणीय विषय भी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---खर्चे का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ उसकी सम्भावनाओं पर भी कि यदि यह यूनिवर्सिटी वहां खुले तो वहां उससे क्या लाभ पहुंच सकता है, इसको भी देखना होगा। एक प्रकार से यह एक नियम चल गया है कि कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सहमति या उनकी बिना पूर्व स्वीकृति के न खोला जाय, तो

इस विषय में भी क्या कार्यवाही करनी आवश्यक होगी, इन तमाम चीजों की समीक्षा यह समिति करेगी ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस प्रदेश में विश्वविद्यालयों का स्तर क्या हो, इस पर भी समिति विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह समिति तो मेरठ विश्वविद्यालय खुलने की सम्भावनाओं पर, उस पर क्या खर्च हो, आदि बातों पर विचार करने के लिये बनी है । वह जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी । यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है, बहुत बड़ा है ।

गंगा नहर शताब्दी समारोह पर व्यय

**६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंगानहर शताब्दी समारोह हेतु कुल कितना रुपया मंजूर किया गया था और वास्तविक खर्चा कितना हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गंगा नहर शताब्दी में ५०,००० रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था और वास्तविक खर्चा १,१४,१२७ रुपये हुआ था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो पहले ५० हजार रुपया स्वीकृत हुआ था वह किन मदों के लिये हुआ और जो बाद में उसमें ज्यादा खर्च हुआ वह किन मदों में हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गंगा नहर शताब्दी का आयोजन करने के लिये और वहां १०० वर्ष पूरे होने का समारोह मनाने के लिये यह आयोजन किया गया था और इसके लिये यह रुपया मंजूर किया गया था । उसका आयोजन अत्यधिक बढ़ गया । जिन माननीय सदस्यों को उसे देखने का अवसर मिला होगा उनको कदाचित् उसकी स्मृति भी होगी । राष्ट्रपति के आने से, बहुत से केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के आने से और, कुछ हमारे एम्बेसी के लोगों के आने से यह आयोजन बढ़ गया और उसमें यह खर्च हुआ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जो ज्यादा खर्च हो गया वह बिना सरकार की अनुमति के हो गया और इसलिये क्या सरकार उसमें कोई जांच करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, सरकार ने ५०,००० रुपया स्वीकृत किया था और उससे यह एक्सेस खर्च हो गया और चूंकि इतना समय नहीं था और इंतजाम बहुत तेजी से करना पड़ा इसलिये उसकी स्वीकृति के लिये सरकार के पास लिखा गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा प्रश्न यह था कि जो एक्सेस बिना अनुमति के हो गया, क्या उस संबंध में सरकार कोई जांच कर रही है कि यह एक्सेस क्यों हो गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । सरकार की ओर से देखा जा रहा है कि जो उसमें खर्च हुआ वह किन चीजों पर हुआ और उसकी जांच हो रही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गंगा नहर महोत्सव में मुख्य मुख्य क्या आइटम्स थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बहुत बड़ा आयोजन था । एक बहुत बड़ी एग्जबिशन वहां हुई थी और उससे गंगा नहर का पिछले १०० साल का इतिहास, हमारे प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के अधीन जितने भी सिंचाई के कार्य शुरू किये गये वह तथा और बहुत से माडेल्स आदि उसमें दिखाये गये थे । उस समय यह भी निश्चय हुआ कि गंगा नहर शताब्दी के स्मारक का एक पुल गऊ घाट पर बना दिया जाय । वह बन कर तैयार हुआ । जितने सांस्कृतिक आयोजन थे, वह थे । राष्ट्रपति आये और हमारे गवर्नर महोदय भी वहां थे ।

श्री गेंदासिंह—यह जो रकम हमारे मुख्य रकम के तखमीनों के अतिरिक्त व्यय हुई वह कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह बात अल्पसूचित प्रश्न में बताना मुश्किल है, लेकिन खर्च हुआ और सूचना मिलने पर उसकी तफसील भी दी जा सकती है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—यह बात कि राष्ट्रपति और केन्द्रीय मंत्रियों के आने से खर्च अधिक हो गया, इस पर क्या मंत्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अधिक खर्च का मतलब यह है कि जितने लोगों के आने की हम ने आशा की थी, सौभाग्य से गंगा नहर शताब्दी ने उससे अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित किया और काफी बड़ी तादाद में लोग आये । तो अधिक लोगों के आने पर अधिक प्रबंध करना पड़ा । कोई खास तरह से उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसका प्रबंध हुआ और उसमें भी कुछ खर्च हुआ ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि कुछ जरूरी सड़कें और पुलों की वजह से यह खर्च बढ़ गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, वह भी उसमें शामिल है । आने-जाने के मार्ग भी बनाये गये, पुल भी बनाये गये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन से सरकारी अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और वह किस विशेष विषय की जांच कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई खास कमेटी बैठाकर जांच कर रहे हैं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन जिस तरह से खर्च बढ़ा हो उसकी जांच की जाती है, उसी नार्मल तरीके पर जांच-पड़ताल की जा रही है और सरकार उसको देख रही है ।

देवरिया जिले में गन्ने का कम कीमत पर लिया जाना

** ७—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला देवरिया के शुगर मिल देवरिया व बैंतालपुर के मिल मालिक द्वारा मिल गेट के अलावा दूसरे परचेजिंग सेन्टरों पर गन्ने की कीमत १ रु० ५ आना प्रतिमन से कम दी जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—यह सही है कि देवरिया और बैंतालपुर चीनी मिल द्वारा कुछ रोड सेन्टरों पर कीमत १ रु० ५ आना प्रति मन से कम दी जा रही है । इसकी वजह यह है कि रोड सेन्टर पर कीमत फासले के हिसाब से दी जाती है जिसके नियम केन्द्रीय सरकार ने बनाये हैं ।

**८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त मिलों के कांटों पर गन्ना उत्पादकों की ओर से हड़ताल हुई थी और गन्ना आयुक्त एवं सरकार को इसकी सूचना दी जा चुकी है ?

श्री रऊफ जाफरी—देवरिया मिल के कुछ रोड सेन्टरों पर तौल कुछ समय के लिये बन्द रही जिसकी सूचना यह है :—

१—बरवा जंगल—२२ दिसम्बर, १९५७ से २७ दिसम्बर, १९५७ तक,
२—बनवारी टोला—२० दिसम्बर, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक,
३—सनहूला रामनगर—२१ दिसम्बर, १९५७ से २७ दिसम्बर, १९५७ तक,
४—पिपरहिया—२० दिसम्बर, १९५७ से २२ दिसम्बर, १९५७ तक,
५—पाथरदेव—दिन भर के लिये बन्द रही ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ रुपया ५ आने प्रतिमन से कितनी कम कीमत परचेजिंग सेन्टरों पर दी जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---इसका नियम यह है कि डेढ़ नया पैसा फी मील के हिसाब से रिबेट दिया जा सकता है । बरवाजंगल में, बनवारी टोला, सनहूला रामनगर, पिपरहिया और पाथरदेवा में, सब जगह १९ पैसे कम दिये जा रहे हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि उससे अधिक दूरी पर, बरवा जंगल से, रामगोपालगढ़ कांटा है जिस पर सरदारनगर शुगर मिल १ रु० ५ आने देती है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, सही है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---तो फिर अधिक दूरी होते हुये उस क्षेत्र के किसानों को जब कि १ रु० ५ आने मिल रहा है तो दूसरों को १ रु० ४ आने क्यों दिया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी---अगर कोई मिल किसानों को ज्यादा देती है तो उससे हमको खुशी होती है । अगर कोई मिल कायदे की पाबन्दी करती है तो उसे हम मजबूर नहीं कर सकते कि दूसरे की तरह वह भी ज्यादा दे । कोशिश करते हैं कि ज्यादा मिल सके तो दिलवाया जाय।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार किसानों को यह छूट देगी कि वह जहां चाहें अपना गन्ना ले जावें, यानी १ रु० ५ आने वाले कांटे पर ले जाने की इजाजत देगी ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं, ऐसा सरकार का इरादा नहीं है । इससे जो गड़-बड़ी होगी, उससे किसानों को ज्यादा नुकसान होने का डर है ।

श्री रामायण राय---जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि किसानों को अधिक पैसा मिलता है तो उनको प्रसन्नता होती है, तो फिर ऐसी जगह जहां अधिक पैसा मिलता है वहां जाने देने में क्या हर्ज है ?

श्री अध्यक्ष---वे जवाब दे चुके हैं कि उससे किसानों को ज्यादा हानि होगी ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या गन्ने की मिलों में वजन में कार्टेज भी जोड़ दिया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी---वह मिल के जिम्मे पड़ता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि देवरिया मिल के कांटे से बरहज १८ मील है और सनहूला रामनगर १५ मील की दूरी पर है और वह १ रु० ४ आने देते हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---हो सकता है कि जो माननीय सदस्य कहते हैं वह सही हो। लेकिन अगर कोई मिल मुकर्ररह रेट से ज्यादा दे और जितना वह काट सकती है उतना न काटे तो हमको खुशी होती है ।

गोरखपुर जिले की पंजाब चीनी मिल, घुघली द्वारा नेपाल का गन्ना खरीदना

**९. श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की पंजाब चीनी मिल, घुघली ने नैपाल राज्य का गन्ना पेरने के लिये कोई आदेश सरकार से लिया था ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं, गोरखपुर जिले की पंजाब चीनी मिल घुघली, ने ऋण के लिये पिछले दो वर्षों में नैपाल राज्य से जो गन्ना क्रय किया था उसके लिये सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक नहीं था ।

श्री अमरनाथ---क्या यह सही है कि इस वर्ष भी घुघली चीनी मिल द्वारा बाहर का गन्ना खरीदा जा रहा है जिससे जोन के किसानों को परेशानी होती है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

बलिया जिले में बिलथरा रोड तथा किड़िहड़ापुर केन्द्रों से गन्ने का विक्रय

**१०--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया के बिलथरा रोड और किड़िहड़ापुर स्टेशनों का गन्ना किन-किन चीनी मिलों को दिया जाता है तथा "आफर" कितने-कितने मनों का है ?

श्री रऊफ जाफरी--वर्तमान सीजन में बिलथरा रोड और किड़िहड़ापुर सेन्टर्स से गन्ना जिन जिन चीनी मिलों को जा रहा है और इन सेन्टरों से जो "आफर" हुआ है उसकी सूचना इस प्रकार है :--

क्रय केन्द्र का नाम		चीनी मिल का नाम		आफर किये गये गन्ने की मात्रा लाख मनों में
१--बिलथरा रोड	..	देवरिया शुगर मिल, देवरिया	..	२.७५
२--किड़िहड़ापुर	..	मोतीलाल पदमपत शुगर मिल, भटनी, देवरिया	..	३.२५

**११--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों स्टेशनों पर गन्ना किन-किन सोसाइटियों द्वारा विक्रय होता है तथा कितना-कितना वैगन प्रति दिन उन्हें अलग-अलग दिया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी--इन दोनों स्टेशनों पर बिलथरा रोड यूनियन और कमल सागर सोसाइटी, जिला आजमगढ़ द्वारा गन्ना विक्रय होता है । इन दोनों सोसाइटियों को ५:१ के अनुपात से वैगन दिये जा रहे हैं ।

**१२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों स्टेशनों का गन्ना ३ लाख मन से अधिक मिलों को दिया नहीं जा सकेगा ? यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन मिलों को देने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी--इस समय कोई अन्दाज इसका नहीं हो सकता कि वास्तव में कोई गन्ना बचेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों स्टेशनों पर दोनों सोसाइटियों का अलग-अलग आफर क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिलथरा रोड यूनियन और कमलसागर सोसाइटी, जिला आजमगढ़ में जो वैगन देने का अनुपात है उसका आधार क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी--बिलथरा रोड यूनियन के पास गन्ने का एकरेज ज्यादा है और दूसरे के पास बहुत कम है । बिलथरा रोड के पास २,२३९ एकड़ तो बिलथरा रोड पर है और २,२५९ एकड़ से ज्यादा दूसरे सेण्टर का है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो एकरेज का हिसाब उनके पास है, वह कमलसागर सोसाइटी, जिला आजमगढ़ के जरिये मिला या बिलथरा रोड यूनियन की ओर से दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं, यह कमलसागर सोसाइटी की ओर से मिला है, रिजर्व्ड एरिया का उन्होंने यह एकरेज दिया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री जी फिर से बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सोसाइटी के लिये गन्ना अधिकारी ने ३ लाख मन गन्ना इस सोसाइटी के जरिये देने का लिखित आदेश भेजा था ?

श्री रऊफ जाफरी---इसका तो पहले जवाब दिया जा चुका है कि इसके लिये नोटिस की जरूरत है कि अलग-अलग सोसाइटियों ने कितना-कितना आफर दिया ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को इसका सूचना है कि जिला गन्ना अधिकारी देवरिया ने विभाग को लिखा था कि भटनी मिल सोसाइटी द्वारा आफर किये गये गन्ने को पूरा नहीं उठा सकेगा, इसलिये शेष गन्ने को दूसरी मिलों को रिडाइरेक्ट कर दिया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी---उन्होंने लिखा था और ऐसा किया भी गया ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि कोई शुगर फैक्टरी अपने निर्धारित जोन के भीतर का गन्ना न ले सके तो सरकार उस विषय में क्या कार्यवाही करती है ?

श्री रऊफ जाफरी---जो कायदा है कि अगर वे ८० फी-सदी तक गन्ना लेलें, तब तो कुछ नहीं, वरना उसको लेना पड़ता है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया जिला गन्ना सोसाइटी का आफर इस सम्बन्ध में उन्होंने क्यों नहीं माना ? क्या इसलिये कि बिलथरा रोड गन्ना सोसाइटी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

कपड़ा, चीनी व तम्बाकू को बिक्रीकर से मुक्त करना

**१३---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने गत १४ दिसम्बर, १९५७ से कपड़ा, चीनी व तम्बाकू आदि कुछ वस्तुओं को बिक्री-कर से मुक्त कर दिया है ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी हां, कपड़ा, चीनी और तम्बाकू को उस तिथि से बिक्री-कर से मुक्त कर दिया गया है बशर्ते कि उन पर अतिरिक्त सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी लग गई हो ।

**१४---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने बिक्री-कर विभाग को आदेश भेज दिये हैं कि वह उस दिन तक दूकानदारों के पास जमा उक्त चीजों के स्टाक पर कर चार्ज न करे ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, सरकार ने ऐसे कोई आदेश नहीं दिये हैं । इसके विपरीत ऐसे स्टाक पर टैक्स लगाने के लिये आदेश दिये गये हैं जिससे बाजार में अनुचित कम्पेटीशन न हो । जिन व्यापारियों के पास ऐसे स्टाक हैं, वे यदि चाहें तो राजीनामे के तौर पर एक मुश्त रकम देकर बिक्री-कर से बरी हो सकते हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---जबकि सरकार ने बिक्री-कर लगने के पहले के स्टाक पर बिक्री कर ले लिया है तो क्या सरकार मौजूदा स्टाक पर टैक्स न लेने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---इस पर विचार करने से बहुत से व्यापारियों का बहुत सख्त नुकसान होगा । वह कपड़े जिनका कि सवाल में जिक्र है, वह तो बाजार में चले गय, जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और टैक्स भी दिया गया है । सरकार ने यह

समझ कर कि जो कपड़े बाजार में चले गये हैं उनका मुकाबला और व्यापारी कर सकते हैं, यह फैसला किया जो जवाब में दिया गया है कि उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाय और इस सूरत से लगाया जाय कि हर आदमी के केस को देख कर मुहकमा जो है वह उसका फैसला कर ले और उसके मुताबिक टैक्स लगावे । उसकी कीमत इस तरह से रखे ताकि और कपड़ों की कीमत से उसका दाम आगे न रहे जिससे और उससे मुकाबला कर सकें । इसमें खयाल यह है कि इससे किसी का कोई नुकसान न हो ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने इस फैसले को देते समय सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी या मरचेण्ट्स असोसियेशन से भी सलाह ली थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उस समय कौन सी सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी थी ? वह तो हमने अब बनाई है । अभी ४-६ दिन पहले उसका उद्घाटन और पहली मीटिंग हुई ।

सीमेंट पर से परमिट हटाने का विचार

**१५---श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में सीमेंट पर से परमिट उठाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां । निर्णय का समय बताना सम्भव नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तत्काल सीमेंट पर से परमिट हटाने में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके अब भी मुख्तलिफ़ कारण हैं । अब भी जितनी सीमेंट की मांग है उतनी नहीं पहुंच पाती है लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर उतनी सीमेंट उपलब्ध हो जाय जितनी कि जरूरत है तो वह हटाया जा सकता है ।

तारांकित प्रश्न

राज्य के सात जिलों में अपराधों की छानबीन के लिये नवीन व्यवस्था

*१---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि थानों के सब-इंस्पेक्टर्स केवल जुर्मों को रोकने के एवं शान्ति व्यवस्था कायम रखने का कार्य करें और जुर्मों की तफतीश का काम इनके हाथ में न देकर किसी दूसरी एजेन्सी द्वारा कराने की व्यवस्था की जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, ऐसी व्यवस्था प्रदेश के सात जिलों में अप्रैल, १९५० से ही चालू है ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह व्यवस्था किन ७ जिलों में लागू है और कहां पर निकट भविष्य में यह योजना लागू करने का सरकार का विचार है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जिन ७ जिलों में यह व्यवस्था चल रही है उनके नाम यह हैं---आगरा, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी तथा लखनऊ । अन्य जिले जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है उनमें इस व्यवस्था को कायम करने का विचार था । किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह अभी चालू नहीं हो पायी है ।

श्री मुक्तिनाथ राय---प्रदेश के समस्त जिलों में योजना लागू करने में सरकार की क्या कठिनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---खर्च बहुत बढ़ेगा जिसके लिये पैसा इस समय नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी उस ७ जिलों वाली ध्यवस्था को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसमें इन्वेस्टीगेशन के लिये अलग से प्रबन्ध है जिस में इन्सपेक्टर्स, सब-इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबिल्स और कांस्टेबिल्स हैं जिन का काम केसेज के इन्वेस्टीगेशन करने का है न कि रोज की आर्डिनरी ड्यूटी करने का।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् ५० से जिन ७ जिलों में यह व्यवस्था जारी है वह केवल शहरों में ही जारी है या जिले के तमाम थानों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस तफसील के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन मेरा खयाल है कि सारे जिलों में ही लागू है क्योंकि जितने सब-इन्स्पेक्टर्स रखे गये हैं उससे जाहिर है कि पूरे सातों जिलों में लागू है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर जुर्मों की तफ़तीश नई व्यवस्था के अनुसार कौन करता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसके लिये अलग प्रबन्ध है। सब-इन्स्पेक्टर्स वगैरह हैं।

श्री राजनारायण— चूंकि यह योजना बनारस में लागू है तो बनारस में कितने सब-इन्स्पेक्टर्स और पुलिस कर्मचारी इस काम के लिये रखे गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पूरे आंकड़े तो मेरे पास हैं नहीं कि अलग-अलग सातों जिलों में कितने अफ़सर रखे गये हैं। अलग-अलग जिलों की तफसील नहीं है। वह नोटिस मिलने पर बता सकता हूं।

श्री राजनारायण—सरकार कृपया वही सूचना दे दे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय इसमें ११० सब-इन्स्पेक्टर्स हैं और ६० कांस्टेबिल्स इन सात जिलों में हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि सात सालों से जो यह योजना इन मुकामात पर चलायी जा रही है उसके नतीजे में वहां जुर्मों में कुछ कमी हुई या ऐडमिनिस्ट्रेशन पर इसका क्या असर पड़ा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसमें असर अच्छा पड़ा और इन्वेस्टीगेशन के काम में काफी उन्नति हुई है। केसेज भी कुछ ठिकाने से चल सके हैं और जुर्मों की रोकथाम में उससे सहायता पहुंची है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह नया स्टाफ उन्होंने रखा है वह जिले के ही एस० पी० के अधीन है अथवा कोई डिवीजनल या प्रदेश के सेंटर पर उसके अन्दर कोई नये अधिकारी हैं जिनके अधीन वह कार्य करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के अंडर यह काम होता है। आर्डिनरिली जुर्मों की तफतीश का काम जब उन्हीं सब-इंस्पेक्टरों को दे देते हैं जो थाने के एस० ओज० होते हैं तो उनको इतना समय नहीं मिल पाता। इसलिये पुलिस रिआर्गनाइजेशन कमेटी की यह सिपारिश थी कि इसको आप चालू करें और उनको आर्डिनरी रुटीन के कामों से अलग रखें, जिनके जिम्मे इन्वेस्टीगेशन दिया जाय, क्योंकि उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। सात जिलों में वह चीज चलायी गयी लेकिन अब तक उसका विस्तार नहीं किया जा सका। यद्यपि उस प्रयोग से सात जिलों में लगता है कि वह ज्यादा इफेक्टिव है और इन्वेस्टीगेशन ज्यादा अच्छी तरह से हो पाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह इन्वेस्टीगेशन करने की जो एजेंसी आपने कायम की है वह प्रत्येक थाने के अलग-अलग कांस्टेबिल या सब-इंस्पेक्टरों के सुपुर्द है या डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कोई एजेंसी है उस के सुपुर्द है या इसका डेफिनिट डेमार्केशन नहीं हो पाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, इतनी तफसील मेरे पास दुर्भाग्यवश इस समय नहीं हैं। नोटिस मिले तो बता दूंगा।

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन देने के लिये उम्र का प्रतिबन्ध

*२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन स्वीकृत करते समय यह भी खयाल किया जाता है कि उनकी उम्र कितने वर्ष है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*३—श्री मुक्तिनाथ राय—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने वर्षों की निम्नतम आयु सरकार ने निश्चित की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—५० वर्ष।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में तथा इस वर्ष सरकार के पास कुछ ऐसे राजनीतिक पीड़ितों की शिकायतें आयी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन उनकी उम्र पचास साल से कम है ? तो क्या विशेष परिस्थिति में सरकार उनके प्रार्थना-पत्रों पर ध्यान देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जब ऐसी शिकायतें आ जाती हैं या इस प्रकार की सूचना मिलती है तो पचास वर्ष से कम भी होते हैं तब भी उनकी सहायता कर दी जाती है।

कानपुर में जेल वार्डरों को निवास स्थान का कष्ट

*४—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या समाज सुरक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि कानपुर जेल में जेल वार्डरों के क्वार्टर्स इतने कम हैं कि जेल के आधे से ज्यादा वार्डर शहर में मकान किराये पर लेकर रहते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कानपुर जेल में केवल तीन वार्डर ऐसे हैं जो शहर में मकान किराये पर लेकर रहते हैं।

*५—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या उन वार्डरों को जो किराये पर मकान लेकर रहते हैं सरकार कोई एलाउन्स देती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—उन वार्डरों को मकान का किराया देने का प्रश्न प्रधान कारागार निरीक्षक के विचाराधीन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने क्वार्टर ऐसे हैं जो वार्डरों के लिये नियत हैं जिनमें जेल अधिकारी भी रह रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जो क्वार्टर्स वार्डर्स के लिये हैं उनमें कोई जेल अधिकारी नहीं रह रहा है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात की जांच करने की कृपा करेगी कि वहां पर कुछ वार्डरों के लिये जो क्वार्टर हैं उनमें दूसरे जेल के कर्मचारी रह रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह वाकया नहीं है। इसलिये जांच का सवाल नहीं उठता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जेल वार्डरों के क्वार्टरों की कमी को देखते हुये उनके लिये बजट में कुछ नया प्राविजन भी रखेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह बराबर कोशिश हो रही है कि जहां क्वार्टर्स की कमी है उसको पूरा किया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो वार्डर कानपुर शहर में रहते हैं वे कितने दिनों से शहर में रहते हैं और उनको किराये देने का मामला कितने दिनों से विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन—२ वार्डर्स ऐसे हैं जो साल भर से शहर में रह रहे हैं और एक ऐसा है जो ६ महीने से रह रहा है । किराये वाला मामला ३ महीने से विचाराधीन है । आई० जी० साहब ने कुछ स्पष्टीकरण चाहा है । उसके बाद तय हो जायगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—सरकार बतायेगी कि जो साल भर से और ६ महीने से वार्डर रह रहे हैं तो क्या जेल का स्टाफ़ बढ़ा दिया गया है या उनकी जगह किसी दूसरे को रख लिया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं । जो जगहें हैं वहीं हैं, तीन क्वार्टर्स कम हैं इस वजह से यह दिक्कत है ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि जिस समय कानपुर जेल में मैं था माननीय मोतीलाल अवस्थी जी जेल का निरीक्षण करने गये थे और उन्होंने वहां की इंस्पेक्शन बुक में यह लिखा कि वार्डर्स के जो क्वार्टर्स हैं उनमें दूसरे कर्मचारी रह रहे हैं और जब कि जेल के सुपरिन्टेन्डेंट ने यह हिदायत दे दी थी कि वार्डर . . .

श्री अध्यक्ष—आप तो वक्तव्य दे रहे हैं । प्रश्न पूछिये ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि जब कानपुर जेल में मैं था तो वहां के वार्डरों की यह आम शिकायत थी कि वार्डरों के लिये जो क्वार्टर्स हैं उनमें जेल के दूसरे कर्मचारी रहते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने कोई शिकायत लिखी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे किसी ऐसी शिकायत लिखने का तो इल्म नहीं है । लेकिन मेरे पास यह मौजूद है कि ६८ क्वार्टर्स हैं जिनमें से ५२ स्थायी और १६ अस्थायी वार्डर्स रह रहे हैं और सिर्फ़ तीन वार्डर्स के लिये जगह नहीं है ।

*६—श्री मोतीलाल अवस्थी—[२६ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

खीरी जिले में रिवाल्वर के लाइसेन्सों की स्वीकृति

*७—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला खीरी में सन् १९५५-५६ तथा ३० जून, सन् १९५७ तक कितने रिवाल्वर के लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश खीरी ने सिफारिश करके भेजे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिलाधीश खीरी ने १९५५ में १३, सन् १९५६ में ८ और ३०-६-५७ तक ५ प्रार्थना-पत्र रिवाल्वर या पिस्टल के लाइसेंस के वास्ते सिफारिश करके कमिश्नर लखनऊ डिवीजन को भेजे थे ।

*८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन व्यक्तियों को रिवाल्वर के लाइसेन्स दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिन व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये गये उनके नाम संलग्न सूची में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५६ पर)

*९-१०—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—[छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*११—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[हटा दिया गया।]

*१२—श्री गनेशचन्द्र काछी—[२६ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१५—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला मैनपुरी)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर दसवें बुद्धवार के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन दिये जाने के संबंध में जानकारी

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन देने की शिकायत के सम्बन्ध में २८-८-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत आई थी उनको सजा हुई थी या वे केवल हवालात में रहे थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिन व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत आई थी उन्हें सजा नहीं हुई थी किन्तु उन्हें स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन के सम्बन्ध में जेल में डेटेन्यू के रूप में रखा गया था।

*१७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केवल हवालात में रहने वाले व्यक्तियों को भी राजनीतिक पेंशन देने का प्राविजन है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन सज्जनों को पेंशन किन-किन व्यक्तियों की सिफारिश पर दी गई थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसे व्यक्तियों के नाम सदन में बताना शोभनीय नहीं प्रतीत होता।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन मिलती है उनके लिये कितने साल जेल के अन्दर रहने की अवधि है तब पेंशन मिलती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कम से कम ६ महीने।

वाराणसी जिले में खेड़पुर ग्रामवासियों द्वारा डकैतों के पकड़े जाने पर गृह मंत्री का आश्वासन

*१९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ९ या १० फरवरी, १९५४ को जब वह गृह मंत्री थे उन्होंने जिला बनारस के गोपीगंज थाने के अन्तर्गत खेड़पुर ग्रामवासियों को डकैतों को पकड़ने के सम्बन्ध में कोई पुरस्कार ग्राम सभा में वितरित किया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

*२०—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या पुलिस विभाग द्वारा आयोजित उक्त आम सभा में मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री की हैसियत से यह कहा था कि अदालत के द्वारा उक्त ग्राम की डकैती से सम्बन्धित डकैतों को झूठा करार दिये जाने पर पुलिस कर्मचारियों को दण्ड देंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—ठीक याद नहीं है, परन्तु सम्भव है इस प्रकार के शब्द कहे हों।

*२१—श्री रामस्वरूप वर्मा—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश—किसी खास कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में जिन पर मुकदमा चला था वह अदालत से निर्दोष हो गये थे और उनकी दरख्वास्त इस संबन्ध में मंत्री जी के पास आयी थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, अदालत ने उनको छोड़ दिया था। एक खास कारण यह था कि जिन लोगों को इनाम दिया गया था वही गवाही में जा सकते थे। वे गवाही में चूंकि गये और उनको इनाम दिया गया इस वजह से मुकदमे पर असर पड़ा और वह मुकदमा छूटा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात का इल्म है कि जिन लोगों के ऊपर डकैती का मुकदमा चलाया गया था उन लोगों को पहले ही से एक कांग्रेसी सज्जन अपने घर में बन्द करके रखे थे और उन्होंने स्वतः जाकर के पुलिस को खबर दी और बाद में उन्हें पकड़वाकर के यह कहा कि ये डकैत हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं। इसकी कोई मालूमात नहीं है।

श्री राजनारायण—मुख्य मंत्री, श्री सम्पूर्णानन्द—यह फोटो भी है उनकी छपी हुई और उन्होंने जो आश्वासन दिया था वह भी मेरे पास मौजूद है—तो क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने यह कहा था कि अगर अदालत से ये लोग निर्दोष छूट जायेंगे तो उन पुलिस कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जायगा ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, मैंने कहा था।

श्री राजनारायण—तो जब मुख्य मंत्री जी का यह आश्वासन था और अदालत से वह निर्दोष छूट गये तो उन पुलिस कर्मचारियों पर अब तक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अदालत से वह निर्दोष नहीं छोड़े गये बल्कि एक टेक्निकल ग्राउन्ड पर छोड़े गये। चूंकि कुछ लोग जिन को कि इनाम दिया गया था वह गवाही में आये इस लिये इस टेक्निकल ग्राउन्ड पर अदालत ने उनको छोड़ दिया।

*२२-२३—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—[२६ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४-२६—श्री गौरीशंकर राय—[२६ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[२६ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९-३१—श्री उग्रसेन—[२६ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

पाठ्य पुस्तकों को सरकार द्वारा छपवाने का सुझाव

*३२—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों का सरकार स्वयं प्रकाशन करे, इस योजना पर वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब और क्या कदम उठाने वाली है ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रकाशन की वर्त्तमान प्रणाली को बदलने का सरकार कोई विचार नहीं कर रही है ।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह शिकायत मिली है कि पाठ्य-पुस्तकों में काफी अशुद्धियां होती हैं, उनकी छपाई अच्छी नहीं होती और जिन प्रकाशकों को यह पुस्तकें छपने को दी गई हैं उनमें से कुछ के पास उनका स्वयं का कोई प्रेस नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, जिनको पुस्तकें प्रकाशन के लिये दी जाती हैं उनकी शिकायतें भी आती हैं और शिकायत आने पर उनकी जांच होकर उनके ऊपर कार्यवाही भी होती है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि पाठ्य पुस्तकें सरकार द्वारा सुन्दर और सस्ती प्रकाशित की जायं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, जहां तक प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकों का सम्बन्ध है सरकार स्वयं उन पुस्तकों को विज्ञापित कराती है और प्रयत्न यही करती है कि वह सस्ती हों, और अच्छी हों । जहां तक और कक्षाओं का सम्बन्ध है वह प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित होती हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पाठ्य-पुस्तकों को सरकार द्वारा प्रकाशित कराने में सरकार के पास क्या दिक्कतें हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह तो निवेदन किया कि प्रारम्भिक पुस्तकें तो सरकार द्वारा ही लिखाई जाती हैं, उनके लिखाने वगैरह का सब काम सरकार की ओर से होता है केवल छपाने के लिये उनको विभिन्न छापाखानों को दिया जाता है । वैसे वह सरकार के ही अधीन बनती हैं ।

हिन्दी साहित्य की प्रकाशन योजना

*३३—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार हिन्दी में अच्छा साहित्य प्रकाशन के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यह योजना किस प्रकार संचालित की जायेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१७ पर)

*३४—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसके द्वारा गत वर्ष लेखकों को किन-किन पुस्तकों पर क्या-क्या पारितोषिक दिये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २५८-२५९ पर)

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के मूल साहित्य को प्रकाशित करने की भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, वह तो योजना दी हुई है। जो आपके उत्तर के साथ संलग्न ह, उसमें यह स्पष्ट किया गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी पुरस्कृत लेखकों की सूची में से यह बतलायेंगे कि सब से अधिक और सबसे छोटा पुरस्कार किस किस लेखक को दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न में लेखक का नाम नहीं पूछा गया था, इसलिये उसकी सूची मेरे पास नहीं है । लेकिन मेरे पास एक लम्बी सूची पुरस्कारों की है जिसमें पुरस्कार दिये गये हैं। माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनको बतला दूं कि सबसे अधिक पुरस्कार १,२०० रुपये का है। एक तो 'राजनीति व दर्शन' पर मिला हुआ है, एक 'संस्कृति के चार अध्याय' पर है और एक 'बौद्ध दर्शन' पर ढाई हजार का है। यही सब से बड़े पुरस्कार हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सब से छोटा पुरस्कार और बतला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—कम से कम का जो पुरस्कार है उसे भी माननीय मंत्री बतला दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, वह ३०० रुपये का पुरस्कार मालूम होता है।

*३५-३७—श्री लक्ष्मण राव कदम—[ग्यारहवें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ४४–४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

१९४२ के स्वतंत्रता संग्राम में सरैनी, जिला रायबरेली के गोली कांड में शहीदों की संख्या

*३८—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९४२ के स्वतन्त्रता संग्राम में सरैनी, जिला रायबरेली में जो गोली चली थी उसमें कितने व्यक्ति शहीद हुये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पांच व्यक्ति शहीद हुये थे।

जौनपुर जिले में अनुदान न पाने वाले विद्यालय

*३९—श्रीमती तारादेवी (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने विद्यालय सरकारी अनुदान पाते हैं और कितने नहीं पाते ?

श्री कैलाश प्रकाश—(१) सरकार से अनुदान पाने वाले विद्यालयों की संख्या—२९

(२) सरकार से अनुदान न पाने वाले विद्यालयों की संख्या—१५

श्रीमती तारादेवी—ये जो १५ विद्यालय हैं इनमें कितने प्राइवेट हैं और कितने सरकारी ?

श्री कैलाश प्रकाश—ये जो १५ हैं इनमें सब के सब प्राइवेट हैं।

*४०-४१—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—[हटा दिये गये ।]

*४२—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा), राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री राजनारायण, तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[२६ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा जिले में डी० एस० पी० कम्पलेंट्स द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच

*४३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन साल (सन् १९५५ से १९५७, दिसम्बर तक) में जिला इटावा के हर थाने से कितने सब-इन्सपेक्टरों, हेड कानिस्टेबिलों और कानिस्टेबिलों की भ्रष्टाचार तथा ज्यादतियों की शिकायतें जिले के उच्च अधिकारियों तथा सरकार के पास आई हैं और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—उक्त अवधि में इटावा जिले के जितने एस० आईज, हेड कांस्टेबिलों और कांस्टेबिलों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और ज्यादतियों की शिकायतें आईं उनकी थानेवार संख्या संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है। इन सब शिकायतों पर छानबीन की गई और दोषी पाये गये अधिकारी दंडित किये गये।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६० पर)

*४४—श्री भूवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस (कम्पलेन्ट्स), इटावा की नियुक्ति हुई है तब से कितने केस भ्रष्टाचार के पकड़े गये, और उनमें से कितने साबित हुये, कितने का फैसला हुआ और कितने बकाया हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—डी० एस० पी० 'सी', भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ते नहीं, बल्कि इस संबंध में आई हुई शिकायतों पर छानबीन करते हैं। इटावा के डी० एस० पी० 'सी' ने नियुक्ति के दिन से ३१ दिसम्बर, ५७ तक भ्रष्टाचार के १०५ मामलों की जांच की जिनमें से २२ में लगाये गये आरोप सही पाये गये। सही पाये गये मामलों में से २१ में वैभागिक कार्यवाही की गई और १ अदालत में भेजा गया, जहां वह विचाराधीन है।

श्री भूवनेशभूषण शर्मा—जिन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत सही पाई गई, क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई या अदालती कार्यवाही की गई?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया।

श्री भूवनेशभूषण शर्मा—यह नहीं बतलाया, सिर्फ यह बतलाया है कि कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री कैलाश प्रकाश—एक तो मामला अदालत में है। वह विचाराधीन है।

इटावा जिले में दिये गये बन्दूक और रिवाल्वरों के लाइसेन्स

*४५—श्री भूवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में सन् १६५१ से जून १६५४ तक और सन् १६५५ से १६५७ तक कितने लोगों को रिवाल्वर और बन्दूक के लाइसेंस दिये गये?

श्री कैलाश प्रकाश—इटावा जिले में सन् १६५१ से जून सन् १६५४ तक बन्दूक के ६५५ और रिवाल्वर के ३२ लाइसेन्स तथा १६५५ से सन् १६५७ तक बन्दूक के ४२० और रिवाल्वर के १४ लाइसेन्स दिये गये।

श्री भूवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतलायेगी कि सन् १६५५ से सन् १६५७ तक रिवाल्वर व बन्दूकों के लाइसेन्स पाने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र आये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रार्थना-पत्रों की संख्या की सूचना मेरे पास नहीं है।

*४६—श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)—[२६ फरवरी, १६५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सीतापुर की न्यु पुलिस लाइन में बने क्वार्टर के संबंध में जांच

*४७—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सीतापुर न्यू पुलिस लाइन में बने क्वार्टरों के व्यय के सम्बन्ध में आडिट प्रतिवेदन पर कोई जांच सरकार द्वारा की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४८—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त क्वार्टरों में कितना रुपया व्यय हुआ तथा कितना सीमेंट प्रयोग हुआ और वह सीमेंट कहां से प्राप्त हुआ ?

*४९—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त क्वार्टरों के बनने में एक दिन में अधिक से अधिक कितने मजदूरों ने काम किया तथा पूरी इमारत कितने समय में बनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जब तक कि जांच पूरी न हो जाय, इन प्रश्नों में अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है।

बलिया जिले में डकैतियों को रोकने के लिये कार्यवाही

*५०—श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत आम चुनाव के बाद बलिया जिले में कितनी डकैतियां पड़ीं और उन डकैतियों के सिलसिले में कितनी हत्यायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गत आम चुनाव के बाद बलिया जिले में कुल २७ डकैतियां पड़ीं जिनके सिलसिले में १५ व्यक्तियों की हत्याएं हुईं ?

*५१—श्री रामनाथ पाठक—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस अवधि में जितनी डकैतियां पड़ीं, वह किस थाने में सब से ज्यादा पड़ीं, और किस डकैती में सब से ज्यादा हत्यायें हुई और कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सब से ज्यादा डकैतियां थाना कोतवाली और थाना गड़वार में हुईं। दोनों थानों में डकैतियों की संख्या ६,६ थी। सबसे अधिक हत्याएं थाना हल्दी के ग्राम सोनवानी में ७, ८ मार्च, १९५७ को पड़ी डकैती में हुई जिनकी संख्या ८ थी।

*५२—श्री रामनाथ पाठक—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन डकैतियों और हत्याओं को रोकने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं और कितने पुलिस अधिकारियों के तबादले या अन्य सजायें दी गई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जनता की सुरक्षा के लिए मनियार जो उत्तिल डकैत का कार्यक्षेत्र ह, में एक थाना स्थापित किया गया है। जिले में पी० ए० सी० तथा रिजर्व पुलिस द्वारा गश्त का प्रबन्ध किया गया जो अभी चालू है। कुख्यात डाकू मन्दिल तथा विश्वनाथ और उसक साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। डाकू शमसुद्दीन भी पुलिस के हाथों मारा जा चुका है। कुख्यात डाकू हंसा नोनिया इमलिया ग्राम में डाका डालते हुए ग्रामीण जनता द्वारा मारा जा चुका है। पुलिस के ७ कर्मचारियों के विरुद्ध अकर्मण्यता के कारण, कार्यवाही की गई। एक सब-इन्सपेक्टर तथा दो हेड कांस्टेबुलों की तनज्जुली कर दी गई, दो थानेदारों को अफसर दोयम बना दिया गया तथा दो सब-इन्सपेक्टरों को जिले से हटा दिया गया।

बस्ती जिले में थानेदारों की कार्यावधि

*५३—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में कितने थानेदार ऐसे हैं जो पांच साल की अधिक अवधि से हैं और कितने ७ साल के अधिक अरसे से हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बस्ती जिले में दो सब-इन्सपेक्टर पांच वर्ष से अधिक अवधि से है। ७ साल के अधिक अर्से से कोई भी सब-इन्सपेक्टर नहीं है।

*५४--श्री रणबहादुरसिंह--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, १९५७ में बस्ती जिले के कितने थानदारों का तबादला गैर जिलों में हुआ और उनमें से कितने गैर जिलों में गये और कितन का तबादला पुनः रद्द हो गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--दिसम्बर, १९५७ में किसी सब इन्सपेक्टर का बस्ती जिले स दूसरे जिले में स्थानान्तरण नहीं हुआ। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

यूथ कांग्रेस अधिवेशन में ड्रिल तथा रैली में भाग लेने के लिये छात्रों का कथित बुलाया जाना

*५५--श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बतायेगी कि यूथ कांग्रस अधिवेशन में कुछ स्कूलों के छात्रों को ड्रिल तथा रैली में भाग लेने के लिये सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बुलाया गया था और क्या उन्होंने भाग लिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ में सूचना केन्द्र खोलने का विचार

*५६--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अतरौली तथा सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में सूचना केन्द्र खोलने पर वह विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अतरौली में एक सूचना केन्द्र नियोजन विभाग द्वारा पहिले से ही खोला जा चुका है। अतः सूचना विभाग द्वारा वहां किसी दूसरे केन्द्र के खोलने का विचार नहीं है। सिकन्दराराऊ में केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा ह।

ऐन्टी करप्शन आफिसर, जिला रायबरेली द्वारा चलाये गये मुकदमे

*५७--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली एन्टी करप्शन आफिसर [Dy. S. P. (Complaints)] की रिपोर्ट पर हाकिम परगना, डलमऊ, के इजलास में अब तक करप्शन के कितने मुकदमे दायर हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१६१ आई० पी० सी० ५ (२) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत करप्शन के मुकदमों का न्याय करने का अधिकार सिर्फ सेशन जज को ही है, अतः एस० डी० एम०, डलमऊ की अदालत में इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५८--श्री गुप्तारसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मुकदमों में से कितने खारिज हो गये और कितने सजायाब हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रश्न ही नहीं उठता।

झांसी जिले में प्राइमरी स्कूलों के खोलने की योजना

*५९--श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में झांसी जिले के ग्रामों में बालक व बालिकाओं के लिये कितने प्राइमरी स्कूल खोले जाने का आयोजन किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरे प्रदेश में ५,००० नये प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना है। ड्राफ्ट प्लान के अनुसार झांसी जिले में प्राइमरी स्कूलों के खोलने का निम्नलिखित आयोजन है :—

स्कूलों का प्रकार	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	योग
मिश्रित प्राइमरी स्कूल ..	१०	१०	१०	१०	१०	५०
बालिका प्राइमरी स्कूल ..	२	२	२	२	२	१०
योग ..	१२	१२	१२	१२	१२	६०

*६०—श्रीमती बेनीबाई—क्या शिक्षा मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि क्या मऊ रानीपुर के गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

लुहरगांव जिला हमीरपुर में हुए कत्ल की जांच में पुलिस सब-इन्सपेक्टर की असावधानी

*६१—श्रीमती बेनीबाई—क्या सरकार को विदित है कि लुहरगांव, थाना महोबकंठ, जिला हमीरपुर में एक कत्ल तारीख ३० जून, १९५७ को हुआ था और लाश दो दिन तक घटना स्थल पर पड़ी रही ? यदि हां, तो सब-इन्सपेक्टर पुलिस पर इस लापरवाही के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर को मुअत्तिल कर दिया गया है। सम्बन्धित मुकदमे में निर्णय हो जाने के बाद उनको दण्ड देने के लिए उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जायेगी।

बदायूं जिले में डकैतियां

*६२—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बदायूं में पिछले वर्ष १९५६ में तथा जून, १९५७ तक कितनी डकैतियां और किस-किस मुकाम पर किस -किस के यहां पड़ीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५६ ई० में ४१ तथा १९५७ में जून तक १५ डकैतियां पड़ीं। बाकी सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. २६१ पर)

बदायूं जिले में कान्सटेबिल की भर्ती में परिगणित तथा पिछड़ी जातियों के लोग

*६३—श्री शिवराजसिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में १९५६ में तथा जून १९५७ तक कितने पुलिस कांस्टेबिलों की भरती हुई ? उनमें पिछड़े वर्ग तथा परिगणित जातियों के लोगों की संख्या क्रमशः क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५६ ई० में बदायूं जिले में ६५ कांस्टेबिल भर्ती किये गये। जिनमें १४ पिछड़े वर्ग के तथा २ परिगणित जातियों के थे। सन् १९५७ ई० में कांस्टेबिलों की भर्ती नहीं हुई।

*६४—श्री शिवराजसिंह यादव—[२६ फरवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में वनकटिया ग्राम वासी श्री नकछेद की हत्या के संबंध में सहजनवा थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*६५—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या पुलिस मंत्री को गत नवम्बर मास में गोरखपुर जिले के सहजनवा थाने की पुलिस के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उपरोक्त थाने के वनकटिया ग्राम के नकछेद ढाढ़ी की हत्या तथा उसके घर की लूटपाट के आरोप लगाये गये थे? यदि हां, तो क्या पुलिस मंत्री उपरोक्त दरख्वास्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के सम्मुख रक्खेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। उक्त शिकायती पत्र में लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये। श्री नकछेद की मृत्यु के सम्बन्ध में एक मजिस्ट्रेट ने जांच की और वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि पुलिस पर लगाये गये आरोप सही नहीं थे।

जिला परिषद् गोरखपुर द्वारा खोले गये प्राइमरी स्कूल

*६६—श्री अमरनाथ—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा कितने बेसिक प्राइमरी स्कूल सन् १९५६-५७ में खोले गये हैं और इनमें कितने लड़कों के लिये और कितने लड़कियों के लिये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल लड़कों के लिये ही ५७ स्कूल खोले गये।

गोरखपुर जिलान्तर्गत नईकोट थाने में विभिन्न अपराध तथा नौतनवा में थाने की आवश्यकता

*६७—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के नईकोट थाने के अन्तर्गत १५ जुलाई से १५ अगस्त, १९५७ तक कुल कितने कत्ल, चोरी और बलवे की घटनायें हुईं जिनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई और उन पर क्या कार्यवाही अब तक हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तीन कत्ल और दो चोरियां दर्ज हुईं। बलवा कोई दर्ज नहीं हुआ। इन सब मामलों की पुलिस द्वारा जांच हुई। कत्ल के एक मामले में अभी जांच हो रही है, एक की जांच में सफलता न मिलने के कारण मामला खतम कर दिया गया और एक का मुकदमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। चोरी के मामलों में से एक में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दण्ड मिला और दूसरा मामला जांच में असफलता होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

*६८—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार की कोई योजना नौतनवां, जिला गोरखपुर में थाना बनाने की है? यदि हां, तो कब तक यह योजना कार्यान्वित होने की आशा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

जुर्म को ठीक न लिखने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*६९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग में सन् १९५६ में कितने अधिकारियों के खिलाफ यह चार्ज लगाया गया कि उन्होंने या तो जुर्म को बढ़ा-घटा कर लिखा या जुर्म को छिपाया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस विभाग में सन् १९५६ ई० में ८७ अधिकारियों के खिलाफ यह चार्ज लगाया गया कि उन्होंने या तो जुर्म को घटा कर लिखा या जुर्म को छिपाया।

*७०—श्री गनेशीलाल चौधरी—कितनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त सभी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई ।

राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज, उरई में विज्ञान शिक्षा के प्रबन्ध के लिये प्रार्थना

*७१—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार को पता है कि जिला जालौन केवल एक ही इन्टरमीडिएट कालेज है जिसमें साइन्स पढ़ाई जाती है और यह कालेज सरकारी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

*७२—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार अगले जुलाई से उरई के राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज में इन्टरमीडिएट साइन्स के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में एक-एक अतिरिक्त सेक्शन खोलने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इन्टरमीडिएट साइन्स के केवल प्रथम वर्ष में एक अतिरिक्त सेक्शन खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

नैनीताल जिले में डकैतियां और कत्ल

*७३—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल में सन् १९५६ से आज तक कितनी डकैती व कत्ल हुये हैं, और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला नैनीताल में सन् १९५६ से सन् १९५७ तक कुल १२ डकैती व ३२ कत्ल हुए । इस संबंध में जो कार्यवाहियां हुई वे संलग्न तालिका में दी हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २६२ पर)

हिन्दुस्तान स्काउट ऐसोशियेशन, इलाहाबाद को अनुदान

*७४—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को मालूम है कि सन १९४७-४८ ई० में हिन्दुस्तान स्काउट एसोशियेशन, इलाहाबाद को सरकार द्वारा ७८,००० रुपये का ग्रांट दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

*७५—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि शिक्षा विभाग के एकाउन्ट आफिसर ने इसको आडिट किया था ? अगर हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ ।

*७६—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को मालूम है कि भारत स्काउट्स और गाइड्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जिसको ६०,००० रुपया प्रतिवर्ष ग्रांट दिया जाता है वह संस्था रजिस्टर्ड नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

[राज्य में कृषि फार्म खोलने के लिये प्राप्त भूमि तथा मुख्य मंत्री फंड में एकत्रित धन

*७७--श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक जिले में अभिनवीकरण योजना (रिओरियेन्टेशन स्कीम) के अनुसार कितनी-कितनी जमीन स्कूलों में कृषि फार्म खोलने के लिए अब तक प्राप्त हुई है ?

*७८--क्या सरकार उपर्युक्त फार्मों के बारे में निम्नलिखित ब्योरा जिलेवार देने की कृपा करेगी--

(क) कुल लागत
(ख) पिछले तीन वर्ष की लागत ?

७९--उपर्युक्त योजना के चालू करने के लिए मुख्य मंत्री फंड में प्रत्येक जिले में कितना-कितना धन इकट्ठा किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में कृषि फार्म खोलने के लिए प्राप्त भूमि, सितम्बर, १९५७ तक किया गया कुल व्यय, पिछले तीन वर्ष का व्यय तथा मुख्य मंत्री फंड में एकत्रित किया गया धन संलग्न तालिका में दिखाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २६३--२६६ पर)

गोरखपुर जिलान्तर्गत तरकुलही नियंत्रक के उपकरणों की चोरी तथा झंगहा थाने के कान्सटेबिल के विरुद्ध शिकायत

*८०--श्री मदन पांडेय--क्या यह सही है कि गोरखपुर जिले के एक प्रतिष्ठित राजनैतिक कार्यकर्ता ने गत २२ जून, १९५७ को जिलाधीश गोरखपुर से मिलकर उक्त जिले में निर्मित तरकुलही नियंत्रक (रेगुलेटर) में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की चोरी की सूचना दी थी और २२ ऐसे आदमियों की भी लिस्ट दी थी जिनके बारे में उनका कथन था कि उक्त रेगुलेटर से संबन्धित अधिकारियों को सूचित किये बिना उनकी तलाशी ली जाने पर उक्त चोरी का सामान प्राप्त हो सकता था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां । इस बारे में आवश्यक जांच की गई । संबंधित अभियोग की पुष्टि में कोई प्रमाण न मिल सका अतः आगे कोई कार्यवाही न की गई ।

*८१--श्री मदन पांडेय---क्या सरकार के पास गोरखपुर जिले के झंगहा थाना के कर्मचारियों के विरुद्ध झपटी गांव के कुछ व्यक्तियों की जमीन पर उनका घर उजड़वा कर किसी व्यक्ति को कब्जा जबरदस्ती करा देने का आरोप लगाते हुए कोई दरख्वास्त प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--झंगहा थाने के अंतर्गत झपटी नाम का कोई गांव नहीं है । ग्राम कुंई के श्री बसन्त कुर्मी ने उक्त थाने के एक सिपाही के विरुद्ध एक ऐसी शिकायत अवश्य की थी । जांच से पता चला कि यह झगड़ा श्री बसन्त कुर्मी तथा उसी गांव के झपटी नामक व्यक्ति के बीच था । सिपाही का उसमें कोई हाथ होना प्रमाणित न हो सका ।

आजमगढ़ जिले में पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों के विरुद्ध इस्तगासे

*८२--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने पुलिस के सब-इन्स्पेक्टरों पर जनता द्वारा इस्तगासा इस समय दिया गया है जो अदालतों में है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आजमगढ़ जिले में इस समय कुल ४ सब इंस्पेक्टरों के विरुद्ध जनता द्वारा चलाए इस्तगासे चल रहे हैं ।

बांदा जिले में कत्ल व डकैतियां

*८३--श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--क्या गृह मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि १९५६ व १९५७ में बांदा जिले में कितनी डकैतियां और कत्ल हुए और अलग-अलग हर तहसील में उनकी तादाद क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१९५६ में ६ डकैतियां व ३३ कत्ल तथा १९५७ में ९ डकैतियां व २५ कत्ल हुए । इनका तहसीलवार ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २६७ पर)

स्वर्गीय श्री संतोषसिंह, एम० एल० सी० के कातिल गुरमैल सिंह की बेदखली तथा उनके परिवार की रक्षार्थ प्रार्थना-पत्र

*८४--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वर्गीय श्री संतोष सिंह, एम० एल० सी० के कातिल के सम्बन्धी व गिरोह के लोगों के लिए सुपरिन्टेन्डेन्ट तराई-भावर के यहां से इविक्शन आर्डर जारी हुये हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्री संतोषसिंह की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गुरमैल सिंह के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई क्योंकि उन्होंने सरकारी भूमि को अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में ले रखा था । बेदखली का आदेश तहसीलदार, किछा के न्यायालय से ३० जनवरी, ५७ को हुआ और तत्पश्चात् पेशकार ने २५ मई, १९५७ को भूमि पर कब्जा भी ले लिया। इसके उपरान्त गुरमैल सिंह के पिता सन्ता सिंह तथा साले बसन्त सिंह ने १० एकड़ भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया । उनके विरुद्ध धारा ४४७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए थानेदार खतीमा को लिखा जा चुका है । अभियुक्त के किसी अन्य संबंधी के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है । अभियुक्त के गिरोह में कौन-कौन हैं इसका अभी पता लगाया जा रहा है । बेदखली की कार्यवाही का सरदार संतोष सिंह की हत्या से कोई संबंध नहीं है ।

*८५--श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त श्री सन्तोष सिंह, एम० एल० सी० के कुटुम्ब से कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जुलाई, १९५६ में स्वर्गीय सरदार संतोष सिंह की पत्नी द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को भेजा गया पत्र मुख्य मंत्री जी के पास आया था। इसमें मामले की समुचित जांच तथा बच्चों की जान की रक्षा के लिए उचित प्रबन्ध की प्रार्थना की गई थी । दूसरा प्रार्थना पत्र स्व० श्रीसंतोष सिंह के पुत्र श्री महेन्द्र सिंह ने सितम्बर, १९५७ में मुख्य मंत्री जी के पास भेजा था जिसमें उन्होंने अपने परिवार की रक्षा का प्रबन्ध किए जाने की प्रार्थना की थी ।

*८६--श्री गनेशचन्द्र काछी--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर दसवें बुधवार के लिये स्थगित कया गया ।

कृषि डिगरी कालेज देवरिया में हड़ताल के कारण

*८७--श्री उग्रसेन--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में कृषि डिग्री कालेज, देवरिया के छात्रों की हड़ताल के कारण क्या थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कृषि डिग्री कालेज देवरिया के छात्रों की हड़ताल के कारण इस प्रकार थे—

(१) कुछ विषयों के अध्यापन कार्य के लिये अध्यापक नहीं थे,
(२) छात्रों के बैठने के लिये कक्षा में सज्जा का अभाव था,
(३) प्रयोगशालाओं में आवश्यक वस्तुओं की कमी,
(४) गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा न देना,
(५) पानी पिलाने के लिए समुचित व्यवस्था न होना,
(६) छात्रावास के कमरों में दरवाजा इत्यादि न होना ।

*८८—श्री उग्रसेन—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि डिग्री कालेज, देवरिया के छात्रों ने सेक्रेटरी, डिग्री कालेज देवरिया के विरुद्ध सरकार के समक्ष कोई विरोध-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई विरोध-पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की शिक्षा संस्थाओं तथा विद्यार्थियों की सहायता

*८९—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के कितने छात्रों को क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस जिले के अन्तर्गत बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के १८,३१२ छात्रों को विद्यालयों से निःशुल्कता प्रदान की गई ।

*९०—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सगड़ी तहसील में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को बाढ़ पीड़ित सहायतार्थ कितनी धनराशि किस-किस रूप में दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सगड़ी तहसील में निम्नलिखित शिक्षा संस्थाओं को उनके सामने लिखित धन की सहायता उल्लिखित ध्येय से दी गई —

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम		बिल्डिंग ग्रान्ट	छात्रों की फीस माफी के लिए	
			रु०	रु० आ० पा०	
१	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज	..	५,०००	२,४०६	
२	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेरही कप्तानगंज		५००	३,२७५	
३	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आजमगढ़	..		३,११९	
४	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करखिया	..	२,०००	३,०२४	
५	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मालताड़ी	..	४००	४,०५९	
६	जूनियर हाई स्कूल, कप्तानगंज	..		८२२	
७	जूनियर हाई स्कूल, कन्धरापुर	..		४०६	
८	जूनियर हाई स्कूल, मुहम्मदपुर सगड़ी	..		३०६	
९	जूनियर हाई स्कूल, अवतीरूरी	..		६१२	
१०	जिला बोर्ड जूनियर हाई स्कूल, तहसील सगड़ी	..		३,३१२	८ ६
११	जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल, तहसील सगड़ी	..		१,७२२	४ ०
	योग	..	७,९००	२३,०६३	१२ ६

प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को ग्रीष्म-अवकाश वेतन न मिलने की शिकायत

*९१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार के पास यह शिकायतें आई हैं कि प्राइवेट स्कूल्स और कालेजों के अस्थायी अध्यापकों को गर्मी की छुट्टी प्रारम्भ होने के कारण यह नोटिस दिये गये कि उनकी नौकरी गत पहली मई से समाप्त हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

हायर सेकेण्डरी स्कूल, दुवारी, जिला आजमगढ़ में अध्यापकों का हटाया जाना

*९२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता शिक्षा निकेतन हायर सेकेण्डरी स्कूल, दुवारी, जिला आजमगढ़ के जो आधे दर्जन से अधिक अध्यापक ७ वर्षों से काम करने वाले ट्रेन्ड एवं अन्ट्रेन्ड जुलाई, सन् १९५७ से हटा दिये गये हैं वे जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति से निकाले गये हैं और जिनकी नई नियुक्ति हुई है उनके सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से राय ली गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१० अध्यापकों को १५ अप्रैल, १९५७ से जनता शिक्षा निकेतन हायर सेकेण्डरी स्कूल, दुवारी, जिला आजमगढ़ से हटा दिया गया उनके हटाने तथा नई नियुक्तियों को करने की अनुमति जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ से नहीं ली गई है ।

*९३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के यहां निकाले गये अध्यापकों में से कुछ ने हस्तक्षेप करने के लिये आवेदन-पत्र १६ जुलाई, १९५७ को दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

क्राफ्ट अध्यापकों का वेतन स्केल बदलने पर विचार

*९४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नवीं और दसवीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले क्राफ्ट अध्यापकों को कला एवं संगीत अध्यापकों की भांति ट्रेन्ड ग्रेजुयेट ग्रेड नहीं दिया जाता है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

नवीं, दसवीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले क्राफ्ट अध्यापकों को भी कला एवं संगीत अध्यापकों की भांति ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रवर समिति के लिए उपाध्यक्ष के नाम प्रस्थापन पर स्वशासन मंत्री तथा हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव द्वारा आपत्ति किये जाने के विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी ने कल विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, लेकिन देर से लिखकर मेरे पास भेजा था। मैंने कहा था कि कल मैं देख लूंगा। तो मैं देखता हूं कि जिस विषय में मैंने फैसला दिया था, श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने प्रश्न उठाया था केवल विचित्र नारायण जी के सम्बन्ध में और राजनारायण जी ने उसमें श्री शान्तिप्रपन्न जी का नाम जोड़ लिया, लेकिन विषय करीब-करीब एक सा है। उनकी आपत्ति में कुछ वाक्य मैं सुनाता हू कि "किसी भी सदस्य के नाम पर आपत्ति के मुख्यतः दो ही कारण हो सकते हैं या तो वह अयोग्य हो या उसकी निष्पक्षता में सन्देह हो" ।

[श्री अध्यक्ष]

यानी अगर २५ नाम चुने जाने हों और ३० नाम प्रस्तावित हो जांय तो ५ के ऊपर एतराज होगा ही। तो उसका क्या यह मतलब होगा कि ५ अयोग्य होंगे या उनकी निष्पक्षता में सन्देह है ? यह उनके सिद्धान्त से स्पष्ट निकलता है यद्यपि मैंने कल फैसला दे दिया था कि अगर किसी के नाम पर आक्षेप होता है तो यह नहीं समझा जाना चाहिये कि उसकी निष्पक्षता में कोई सन्देह है या उसकी लियाकत में सन्देह है। यह हो सकता है कि एक सदस्य यह कह सकता है कि फलां मेम्बर किसी समिति में न चुना जाय और वह स्वयं अपने लिये सदस्यता चाहता हो और दूसरे से अपना नाम पेश करा दे, इस लिये कोई चुनाव में प्रस्ताव आने से अपमान की बात नहीं समझी जानी चाहिये। यह जो बहुत ही व्यापक ढंग से सिद्धान्त राजनारायण जी ने कहा है, वह चुनाव में सभी सदस्यों के लिये लागू होगा, केवल डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के लिये नहीं। यदि किसी सदस्य के चुने जाने के लिये अगर आपत्ति कोई करता है तो उसके ऊपर भी सन्देह हो सकता है कि वह या तो उसे नालायक समझता है या उस पर विश्वास नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---हमने उसमें लिखा है कि हमारी आपत्ति यह है कि "रामनारायण त्रिपाठी" के नाम पर आपत्ति की गई, क्योंकि २१ की सूची में उनका नाम था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। मैं तो यह कह रहा हूं कि यह कोई सिद्धान्त नहीं है कि रामनारायण जी का नाम होना ही चाहिये था। शांतिप्रपन्न जी ने आपत्ति का साफ कारण बता दिया था कि चूंकि अगर वे सदस्य चुने जाते हैं तो वह नियम के अनुसार अवश्य अध्यक्ष होंगे सेलेक्ट कमेटी के और वह नहीं चाहते थे कि डिप्टी स्पीकर अध्यक्ष हों सिलेक्ट कमेटी के। तो इसका यह मतलब नहीं होता कि अगर यह कहा जाय कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर किसी समिति के अध्यक्ष न हों तो उसमें उनका अपमान होता है। यह मैंने कल अपना फैसला दे दिया था। उस बारे में कोई तौहीन की बात नहीं है और विशेषाधिकार का उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। सिर्फ राजनारायण जी ने प्रस्ताव में एक नाम जोड़ दिया, लेकिन घटना एक ही है।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मैंने इस विषय में शान्तिप्रपन्न जी से बात की थी। उन्होंने कहा था "कि यहां अभी तक यह प्रथा रही है कि जो मंत्री विधेयक को उपस्थित करते हैं वही प्रवर समिति में अध्यक्ष की तरफ से मंत्री नामजद किये जाते हैं। इसलिये मैंने कहा कि यह प्रथा केवल विचित्र नारायण जी के विधेयक के सम्बन्ध में क्यों बदली जाय। यह अनुचित होगा कि वह प्रथा एक दम से बदल दी जाय, इसलिये मैंने उसका विरोध किया"। हर एक सदस्य का दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकता है और उन्होंने स्पष्ट ही अपने दृष्टिकोण की बात कही थी। माननीय विरोधी दल के नेता ने भी कल एक प्रश्न उठाया था कि क्या इंगलैंड में सेलेक्ट कमेटी के जो सभापति होते हैं वह डिप्टी स्पीकर ही हमेशा होते हैं या सेलेक्ट कमेटी के सदस्यगण अपने सभापति या अध्यक्ष को चुन लेते हैं। इस प्रश्न के बारे में मैंने कहा था कि मैं बगैर उसको देखे और अध्ययन किये हुये कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि दो मत हैं। एक तो डिप्टी स्पीकर ने स्वयं अपना मत प्रकट किया था कि इंगलैंड में ऐसी प्रथा है और विरोधी दल के नेता ने कहा था कि ऐसी प्रथा नहीं है, ऐसा उनको पढ़ने से ज्ञात होता है। तो मुझे भी उसमें अध्ययन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मैंने वैसे तो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को पढ़ा है, लेकिन उसमें कहीं तो शब्द "सेलेक्ट कमेटी" का उपयोग हुआ है और कहीं "स्टैंडिंग कमेटी" का। इसमें कन्फ्यूजन होने की शंका हो सकती है, तो मैंने सोचा कि कई किताबों का अध्ययन करने के बाद इस के ऊपर फैसला दूंगा, आज मैं फैसला देने की परिस्थिति में नहीं हूं। अभी मुझे और भी इस बारे में अध्ययन करना है।

जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का सम्बंध है मेरा फैसला हो गया कि वह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस विषय में कि इंगलैंड में कोई भी प्रथा क्यों न हो, इसे चालू करने के लिये हम बाध्य नहीं हैं और यह आवश्यक नहीं है कि सदन उसी प्रथा को स्वीकार करे, बल्कि हम अपने यहां की प्रथा स्वयं जो चल रही है वह चालू रखेंगे जब तक कि हम यह उचित न समझें कि इस प्रथा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जब परिवर्तन आवश्यक होगा तो सदन की इच्छा को भी मैं जानने की कोशिश करूंगा और उसको सामने रखकर अपना जो विचार होगा वह मैं सदन को बता दूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के विषयों पर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछने का सुझाव

श्री अध्यक्ष—अब ये १० काम रोको प्रस्ताव आये हैं। मैं यह देख रहा हूं कि पहले जब मैंने कहा था कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के द्वारा काम रोको प्रस्ताव के विषयों के सम्बन्ध में सरकार से सूचना प्राप्त की जा सकती है। तो कुछ दिन तो इस सुझाव का असर पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर संख्या बढ़नी शुरू हो गयी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह सब सरकार की वजह से हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं नहीं कह सकता कि क्यों मेरे पास अभी तक माननीय सदस्यों ने प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने हाउस में कह दिया था . . .

श्री अध्यक्ष—आप जरा मेरी बात सुन लें। मैंने यह कहा था कि जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आप महत्व के समझते हों और सरकार उन्हें नामंजूर करती है तो मेरे पास अगर सूचना पहले सदस्य दे दें कि ये बहुत महत्व के प्रश्न हैं तो मैं देख लूंगा कि महत्व के हैं या नहीं और क्या सरकार उनका जवाब शीघ्र दे सकती है, यानी अपने दफ्तर से मालूमात करके। फिर मैं सरकार को अपनी तरफ से लिख सकता हूं कि यह प्रश्न महत्व का मालूम होता है इसलिये उसकी स्वीकृति दी जाय। इसका अर्थ यह नहीं है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सैकड़ों की तादाद में भेजें जायं, चाहे वे महत्व के हों या न हों। इस तरह से यदि बहुत प्रश्न देने की आदत सी पड़ जाती है तो सरकार भी, जरा उनको मालूम हो कि जिलों से मालूमात करने की जरूरत है तो अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार करने से इन्कार कर सकती है। संख्या अधिक होने की वजह से हर एक सवाल के ऊपर मंत्रिगण उतनी तवज्जह नहीं दे सकते हैं और यह निश्चय करना कि उसका तत्काल जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं और उसकी जांच करना उन्हें मुश्किल मालूम होता है। इसलिये मैंने कहा था कि वह प्रश्न मेरे पास भेज दिये जांय और मैं देख लूं कि वह महत्व के हैं या नहीं हैं। फिर उसके ऊपर उचित उत्तर न मिले तो आधे घंटे की बहस हो सकती है या कभी-कभी काम रोको प्रस्ताव का मौका दिया जा सकता है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैंने बलिया जिले की स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न दिये थे और आपको भी लिखा था कि उनका उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—यानी परसों नरसों के बाद ?

श्री गौरीशंकर राय—आपने उन प्रश्नों को स्वीकृत कर दिया लेकिन सरकार की तरफ से स्वीकृत नहीं हुये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमने भी डाक्टर लोहिया के अंगूठे के निशान के बारे में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेजा था लेकिन वह नहीं लाया गया।

श्री अध्यक्ष—आप यहां बात कह देते हैं पर मेरे दफ्तर में आकर नहीं कहते।

श्री राजनारायण---हमने घर पर भेजा था और हमें मालूम है कि आपने अपने सेक्रेटेरियट से पूछा भी था कि यह सवाल क्यों नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष---परिस्थिति यह है कि बहुत से प्रश्न आने की वजह से डिप्टी स्पीकर उनका फैसला करते हैं । इसलिये मुझे इसकी जरूरत पड़ी कि सदस्यगण महत्व के प्रश्नों पर मेरा अटेंशन ड्रा कर दें । यदि आप चाहते हैं कि काम-रोको प्रस्ताव कम हों और अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हों ।

श्री मोतीलल अवस्थी (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था प्रश्नों के संबंध में कि वह विरोधी दल के सदस्यों को बुलाकर एक बैठक करेंगे और उसमें प्रश्नों के संबंध में विचार करेंगे । क्या वह विचार खत्म हो गया या अब भी मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा था परन्तु मुख्य मंत्री जी दो तीन रोज से यहां मौजूद नहीं रहे इसलिये शायद नहीं बुलाई होगी। लेकिन वह उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वह सब जानते हैं और करना चाहें तो करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---जी हां, करेंगे ।

मगलहा, जिला गोरखपुर निवासिनी श्रीमती समराजी की मृत्यु अन्नाभाव से होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब यह कामरोको प्रस्ताव श्री यादवेन्द्रदत्त जी का है और श्री उग्रसेन जी का भी इसी विषय पर है जो इस प्रकार है :--

"खाद्य मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि फरेन्दा तहसील, जिला गोरखपुर ग्राम मगलहा में रामहर्ष नामक व्यक्ति की पत्नी श्रीमती समराजी का देहान्त अन्नाभाव से ही हुआ है । इस प्रकार की सरकार की उपेक्षा नीति तथा सत्य पर परदा डालने के परिणाम-स्वरूप इन क्षेत्रों की वास्तविक हालत ज्ञात नहीं होती । सरकार की उपेक्षा नीति के कारण इन क्षेत्रों की जनता में अपार असंतोष है और हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है ।

इस गम्भीर विषय पर विचार करने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है ।"

दूसरा प्रस्ताव श्री उग्रसेन जी का है---

"प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़, सूखा तथा अकाल से व्यापक पैमाने पर भुखमरी प्रारम्भ हो गई है । गत एक वर्ष में १०० से अधिक मौतें भुखमरी से गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर तथा बस्ती आदि जिलों में हुई हैं । कल सदन में माननीय अन्न मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि फरेन्दा तहसील के मुगलहा ग्राम में समराजी बेवा, ग्राम की गुठली खाकर भुखमरी का शिकार हुई । अतः व्यापक पैमाने पर पूर्वी जिलों में जन-जीवन संकटापन्न स्थिति में है और एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अतः सदन इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज की कार्यवाही स्थगित करता है ।"

इस संबंध में कल शार्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा गया था और इसका जवाब दिया गया था । अगर जवाब समुचित मालूम नहीं हुआ, संतोष-जनक नहीं मालूम हुआ, तो आध घंटे की बहस का मौका मांग लेना चाहिए । नियमों में यह तरकीब निकाली गई थी । लेकिन आपने उस तरीके को छोड़कर मेरे पास काम-रोको

प्रस्ताव भेज दिया। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा विषय नहीं उठाया जा सकता है जबकि इसका जबाव दिया जा चुका है। आप अधिक से अधिक आध घंटा बहस के लिये मांग कर सकते हैं लेकिन कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता है। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह अब इतने महत्व का नहीं रहा है।

सरैया चीनी मिल, सरदारनगर, जिला गोरखपुर में गन्ना उत्पादकों की गिरफ्तारी आदि के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा श्री मदन पांडेय का है :—

"गोरखपुर जिले की सरैया शुगर फैक्ट्री, सरदारनगर में गन्ना उत्पादकों द्वारा कुछ मांगों को लेकर उक्त मिल को गन्ना सप्लाई न करने तथा इसी सम्बन्ध में अन्य बातों पर विचार करने के लिये बुलाई गई शान्तिपूर्ण सभा में गत ११ फरवरी को साढ़े तीन बजे दिन में जिला पुलिस कप्तान ने फायरिंग के बाद श्री मधुकर दिघे, अश्वनी कुमार तथा श्यामनारायण सिंह आदि किसान नेताओं सहित ३९ पुरुष तथा ७ महिलाओं की गिरफ्तारी कर भारतीय संविधान की धारा १९-अ तथा १९-ब का उल्लंघन किया है तथा नागरिकता के मौलिक अधिकारों का अपहरण किया है, अतः यह सदन इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये कार्य स्थगन करे"।

इसके सिलसिले में राजनारायण जी का भी प्रस्ताव है कि —

"कल तारीख ११ फरवरी, १९५८ को सरदारनगर शुगर मिल के मालिकों के इशारे पर गुन्डों तथा पुलिस वालों ने मिल कर सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं तथा किसानों पर लाठी चार्ज किया और पुलिस की ओर से फायरिंग भी की गयी। प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री श्री मधुकर विनायक दिघे के साथ पचास कार्यकर्त्ता गिरफ्तार भी कर लिये गये। सरकारी सहायता प्राप्त मिल के मालिकों से मिलकर सरकारी पुलिस ने जिस निरंकुश ढंग पर लाठी चार्ज तथा फायरिंग की और पचास व्यक्तियों को गिरफ्तार किया उससे आम जनता में घोर असंतोष है और वहां पर विषम परिस्थिति पैदा है। अतः यह सदन उपर्युक्त आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसमें आपने नोट में लिखा है—

"मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी से भी बातें की हैं और उनको सूचना करीब साढ़े ९ बजे दे दी है। इस मिल को सन् १९५६ में सरकार ने दस लाख रुपया कर्ज भी दिया था।"

इसी के साथ-साथ श्री नारायणदत्त तिवारी जी का भी इसी तरह का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है —

"सरदारनगर चीनी मिल क्षेत्र, जिला गोरखपुर के गन्ने की कीमत बढ़ाये जाने की मांग करते वक्त गन्ना उत्पादकों एवं समाजवादी कार्य-कर्त्ताओं पर अचानक गोरखपुर जिले की पुलिस द्वारा पिस्तौल से अनेक फायर तथा लाठी चार्ज किये जाने, जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति घायल हो गये हैं तथा गन्ना उत्पादकों की हड़ताल हो रही है, से उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसके बाद यह श्री रामायण राय जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है —

"गोरखपुर जिला स्थित सरदारनगर सरैया चीनी मिल के अन्यायों के विरुद्ध चल रहे सत्याग्रह में सत्याग्रही स्त्री, पुरुष और बच्चों पर कल दिनांक ११ फरवरी, १९५८ को पुलिस द्वारा गोली चलाने से जनता क्षुब्ध हो उठी है।

[श्री अध्यक्ष]

अतः सार्वजनिक महत्व के इस निश्चित प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है ।"

मैं अब मंत्री जी से पूछूंगा कि अगर उन्हें जानकारी हो तो सदन को दे दें । फिर मैं इसके ऊपर कि विषय निश्चित है या नहीं अपना निर्णय दूंगा ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मैं समझता हूं कि यह विषय भी निश्चित नहीं है और जो वाकयात बताये गये हैं वे सही नहीं हैं । ऐसी हालत में यह कामरोको प्रस्ताव का विषय हो नहीं सकता । जो सूचना मेरे पास है अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वह दे दूं ।

श्री अध्यक्ष—दीजिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना यह है कि १० तारीख को कुछ लोगों ने किसानों से यह कहा कि ईख की कीमत बढ़ा दी जाय और जब तक ईख की कीमत न बढ़ाई जाय तब तक गन्ना बेचना बन्द कर दो । लोगों के न मानने पर उन्होंने रुकावट डाली और रास्तों पर लेटे और शाम को जो वाच ऐंड वार्ड स्टाफ था फैक्टरी का उस को भी उन लोगों ने घेरा और कुछ ढेले भी फेंके । ११ तारीख को तीन बजे के करीब एक मीटिंग की गयी । उस मीटिंग में यह खबर पाकर कि कल कुछ ढेले वगैरह चले और वाच ऐंड वार्ड स्टाफ को घेरा गया, पुलिस वहां शान्ति के लिये मौजूद थी । यह देख कर कि पुलिस यहां मौजूद है जो लोग वहां इकट्ठे हुये थे उन्होंने फिर ढेले चलाये, पुलिस के ऊपर, जिसके फलस्वरूप १६ कांस्टेबिल घायल हुये और पत्थर उन्हें लगे । इस पर टियर गैस छोड़ी गयी और करीब ४८ आदमी गिरफ्तार किये गये । यह कहना कि कोई फायरिंग हुई बिल्कुल गलत है । न कोई पिस्तौल चलायी गयी न रिवाल्वर चलाया गया, न बन्दूक चलायी गयी और न कोई लाठी चार्ज हुआ । ४८ आदमी गिरफ्तार हुये हैं और टियर गैस छोड़ कर वहां की भीड़ हटायी गयी । यह वाकया है ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह विषय निश्चित है । माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया उससे यह विषय और भी निश्चित हो जाता है । जो निश्चित होने की परिभाषा मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में दी गई है उसके हिसाब से यह बिल्कुल निश्चित है । यह एक सिंगिल स्पेसिफिक मैटर है । जहां पर लाठी चार्ज हुआ है जिसके फलस्वरूप वहां पुलिस को टियरगैस इस्तेमाल करनी पड़ी । "Not couched in general terms or covering a great number of cases."

यह केस बहुत जगह पर भी नहीं हुये हैं । "not one involving hypothetical circumstances." यह प्रश्न काल्पनिक भी नहीं है । यह बिलकुल निश्चित है ।

"in recent occurrence and raised without delay. If the matter is not raised at the earliest opportunity."

अर्जेण्ट पब्लिक इम्पार्टेंस का है और ११ फरवरी की ही यह घटना है । श्रीमन्, यह आप देखें कि इंग्लैंड में एक कर्मचारी के निकालने को भी पब्लिक इम्पार्टेंस का विषय माना गया है । इस तरह के मसलों पर वहां पर विचार किया गया है । तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस विषय को आप स्वीकार करने की कृपा करें ।

*श्री भगवान पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने जो अपना कामरोको प्रस्ताव दिया है उसमें टेलीफोन से जो मुझे सूचना मिली थी, वही है । वहां पर शान्तिपूर्ण तरीके से सभा हो रही थी । पुलिस के कप्तान ने वहां पर पहुंच कर गड़बड़ी पैदा की । उस गड़बड़ी के बाद ३९ पुरुष, ७ स्त्रियां और २ बच्चों को गिरफ्तार किया गया है । इन ४८ आदमियों को जेल में बन्द कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में उन्हें शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी मांग पेश करने का जो संविधान के अनुसार हक हासिल है उस का अपहरण किया गया है । इसी आधार पर हमने अपना कामरोको प्रस्ताव दिया है । यह निश्चित है और मुझे आशा है कि श्रीमन् जी इसको एलाउ करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इसकी बहुत सी बातें माननीय नारायण-दत्त तिवारी ने, जो टेक्निकल सवाल उठाया था, उसके सम्बन्ध में कह दी। कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो तार आया है वह मैंने कामरोको प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दिया है। उसमें फायरिंग की बात साफ लिखी गई है। कल जो श्री उग्रसेन जी ने कामरोको प्रस्ताव दिया था वह भी इसी घटना के सम्बन्ध में था जो कि १० तारीख को हुई है। सरकार नहीं कह सकती कि उनकी जानकारी में नहीं था। आपने पढ़ कर सुना दिया था। उनको जानकारी करा दी थी। माननीय कमलापति जी को यह गलतफहमी है कि किसानों को कोई उभार रहा था। किसानों को कोई उभार नहीं रहा था। किसान स्वयं उभर रहे थे और वे सस्ती कीमत पर गन्ना देना नहीं चाहते थे। उनको जबरदस्ती पीटकर गन्ना लिया जा रहा था। मैंने माननीय मन्त्री जी की खिदमत में हाजिर हो कर उनको सब बता दिया था। उस समय तक उनके पास कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने तब नहीं कहा था कि उनके पास सूचना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे बढ़ कर और क्या अरजेण्ट मैटर हो सकता है। ५० आदमी गिरफ्तार हैं और इस तरह से वहां पर असन्तोष व्याप्त है जिसका आप उस अनुमान लगा सकते हैं। जहां पर ५० आदमी गिरफ्तार हो जायं तो वहां का वातावरण क्या क्षुब्ध नहीं होगा और वहां पर असन्तोष की भावना नहीं बढ़ेगी ? यदि इस पर विचार नहीं किया जायगा तो किस पर विचार किया जायगा, मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल निश्चित है और अरजेन्ट इम्पार्टेन्स का है। इसलिये यह सदन इस पर विचार करने की परिस्थिति पैदा करने की कृपा करे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि वहां पर टियर गैस का इस्तेमाल हुआ है। मैं यह कहूंगा कि वहां पर पिस्तौल से फायर हुये हैं। पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया है। यह सब हमारी सूचना है। हमारे पास तार आया था तो हमने कल कामरोको प्रस्ताव दिया था। वहां पर स्थिति बहुत भयंकर है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सरदारनगर मेरे साथ चलें तो उनको असल स्थिति मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष---आपका कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---आप के फैसला देने के कब्ल मैं आप की इजाजत से कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने जितना स्वीकार किया है---अश्रु गैस का प्रयोग, ४७ आदमियों की गिरफ्तारी और यह कि लोगों ने ढेले फेंके या शांति को भंग करने का प्रयत्न किया, उसके सिलसिले में मैं केवल यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक कामरोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है वह एक विषय है और तुरन्त का है। अभी तत्काल की घटना है और सार्वजनिक महत्व का सवाल है या नहीं, यह प्रश्न बाकी रहता है। यह प्रश्न सार्वजनिक महत्व का इसलिये बन जाता है कि इस देश के संविधान के अनुसार यहां के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक जगह इकट्ठा हो सकें। सभा कर सकें। अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और उन के मजमे को अश्रु गैस द्वारा या हथियारों द्वारा भंग न किया जाय। यदि वहां ढेलेबाजी हुई थी, जैसा कि मंत्री जी को पता है एक दिन कब्ल, दूसरे दिन वह सभा करने वाले थे। १० को चोट लगी, वह ११ को सभा करने वाले थे। तो उसमें पुलिस क्यों गई ? सभा करके और अगर कुछ गड़बड़ करके ढेले फेंकते तो पकड़े जाते। मजमे को किसी तरह से नाजायज करार नहीं दिया गया, दफा १४४ लगायी जाती या क्रिमिनल ला से उसे अनलाफुल करार दिया जाता तो ठीक था, लेकिन यह बात नहीं बतायी गयी। तो मैं माननीय अध्यक्ष से प्रार्थना करूंगा कि यह विषय जो सार्वजनिक महत्व का है, तात्कालिक है और निश्चित है, उस पर विचार करने के लिये आप इस सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की अनुमति प्रदान करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय, यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसके शब्दों को आप देखें कि मिल मालिकों के इशारे पर गुन्डों तथा पुलिस वालों ने मिल कर सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं और किसानों पर लाठीचार्ज किया और पुलिस की ओर से फायरिंग की गई। न कोई लाठीचार्ज हुआ, न फायरिंग हुई और न कोई आदमी घायल हुआ। जो घायल हैं वह पुलिस के १६ कांस्टेबिल्स हैं और एक फोटोग्राफर जो वहां था वह है। इसके अलावा और कोई घायल नहीं है और प्रस्ताव में यह बात रखी गयी है जब है, यह कि किसानों की गाड़ियों के रास्ते में लेटा जाता है और उनको जाने से वहां रोका गया...

श्री अध्यक्ष—यह तो आप मेरिट्स पर जा रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो मैं यह कह रहा हूं कि यह अनिश्चित है। न लाठी-चार्ज हुआ और न कोई घायल हुआ। हां, कुछ ढेले जरूर चलाये गये जिसमें पुलिस वाले घायल हुए।

श्री अध्यक्ष—जहां तक यह काम रोको प्रस्ताव, जो मेरे सामने मौजूद है उसके संबंध में यह बात ठीक है विरोधी दल के नेता का कहना कि यह महत्व का प्रश्न अवश्य है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कितने ही महत्व का प्रश्न क्यों न हो, कामरोको प्रस्ताव जिस प्रकार का होता है उसी स्वरूप में उस को आना चाहिये। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि क्योंकि कोई घटना अवश्य हुई है, जैसा कि स्वीकार भी किया गया, इसलिये उस घटना के ऊपर विवाद हो चाहे कामरोको प्रस्ताव के शब्द कुछ दूसरी ओर संकेत करते हों। अगर यह घटना उस कामरोको प्रस्ताव से मिलती नहीं है तो प्रस्ताव का विषय निश्चित नहीं रहता। इसीलिये यह बात आवश्यक है। जब कभी ऐसी घटना हो तो एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछा करें। उसे एक निश्चित विषय बना लेना चाहिये और फिर उसके ऊपर अगर माननीय सदस्य उचित समझें तो काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं या उस के ऊपर आध घंटे की बहस बाद में मांग सकते हैं, जैसा वह महत्व रखता हो, उस हिसाब से। लेकिन एक घटना कहीं पर हुई और तत्काल आप को खबर मिलती है और उस पर यहां बहस शुरू हो जाय और उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल न हो, मैं समझता हूं कि यह तरीका कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता। मैं इस कारण अनुमति नहीं देता हूं।

एक बात और भी है कि इस घटना से प्रत्यक्ष सरकार का संबंध नहीं है? और केवल स्थानीय ऐडमिनिस्ट्रेशन से उसका सम्बन्ध है। स्थानीय ऐडमिनिस्ट्रेशन का वहां शासन चल रहा है, वहां पर कोई बात गड़बड़ हो जाती है, फायरिंग भी हो जाय, या किसी तरह की और कोई घटना हो जाय और उसे सदस्यगण सरकार की नोटिस में न लायें और तत्काल यहां पर कामरोको प्रस्ताव लावें, तो घटना की कोई जानकारी तो विश्वसनीय हासिल की नहीं हुई, इसलिये उसको निश्चित नहीं कह सकते हैं वह चीज निश्चित हो जाय इसीलिये मैं सरकार से पूछ लेना चाहता हूं कि सदन को निश्चित घटना मालूम हो सके कि क्या घटना हुई।

इसी प्रस्ताव में एक दूसरी घटना बतलायी गयी है कि लाठी चार्ज हुआ, कहीं गोली भी चलायी गयी, अखबारों में छपा है कि कहीं पिस्तौल भी चलायी गयी...

श्री राजनारायण—यह सही है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—तो इस तरह से यह तो निश्चित नहीं हो सकता कि कौन सी बात निश्चित है। दूसरे यह कि सरकार से इसका क्या सम्बन्ध है, यह स्पष्ट नहीं है। इस घटना से सरकार के साथ प्रत्यक्ष कैसे सम्बन्ध कायम हुआ है?

श्री राजनारायण—मैं बतलाऊं कि सरकार का क्या सम्बन्ध है?

श्री अध्यक्ष—सरकार का सम्बन्ध वैसे सभा को मालूम है। जो घटना होती है उसका इनडाइरेक्टली सम्बन्ध होता है। लेकिन स्थानीय शासन...

सरैया चीनी मिल, सरदारनगर, जिला गोरखपुर में गन्ना उत्पादकों की गिरफ्तारी २०७ आदि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजनारायण—१० लाख रुपया देकर चलवाया गया है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—तो उस वक्त आपको रोकना चाहिये था।

सूखा पड़ने पर भी १३५६ फसली की खरीफ का लगान वसूल किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा काम रोको प्रस्ताव श्री ब्रजनारायण तिवारी जी का है जो इस प्रकार है —

"उत्तर प्रदेश सरकार के माल विभाग द्वारा आश्वासन के बावजूद कि गत वर्ष की रबी की लगान के छूट के लिये, एवं इस साल सन् १३६५ फसली की खरीफ की फसल सूखा के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है। छूट देकर ही लगान वसूल किया जा रहा है किन्तु कानून के खिलाफ फिर भी बिना किसी छूट या रियायत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षतिग्रस्त लोगों से गिरफ्तार कर के और हवालात में बन्द करके लगान वसूल किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, गत तारीख ७ फरवरी को अलीहसन , पुत्र राजबली, ग्राम मेहा, जिला देवरिया, जो अपना गन्ना लेकर मिल पर आया था और उसे गिरफ्तार कर के बिना तहसीलदार के सामने उपस्थित किए देवरिया तहसील की हवालात में बन्द किया गया। वह पिछली रबी की लगान वह इस वर्ष के लगान में मुबलिग ७५ रु० दे चुका है, फिर भी उसे पूरे लगान की वसूली सन् १३६५ फसली रबी के लिए भी गिरफ्तार अवैध ढंग से किया गया, जिसका आतंक सारे जिले में व्याप्त है, जिससे एक विषम परिस्थिति पैदा की गई है। अतः इस लोक महत्व के आवश्यक कार्य के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है ।"

४ तारीख को श्री उग्रसेन जी ने भी सिर्फ देवरिया जिला के बारे में इसी तरह का प्रस्ताव दिया था, यह कोई निश्चित विषय नहीं है, अनिश्चित बात है और महीनों से यह विषय चल रहा है। इसलिये मैं इसको निश्चित व आवश्यक न होने की वजह से पेश करने की इजाजत नहीं देता हूं ।

बलिया व गाजीपुर में सरकारी अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती लगान वसूली के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री गौरीशंकर राय का है जो इस प्रकार है—

यह सदन निम्नलिखित आवश्यक महत्व के एवं निश्चित विषय पर विचारार्थ अपना आज का कार्य स्थगित करता है —

सम्पूर्ण जिला बलिया व गाजीपुर में खरीफ की फसल अधिकांशतः नष्ट होने पर जबरदस्ती सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यापक पैमाने पर लगान वसूली तथा कुर्की आदि सरकारी नियमों के विपरीत आज तक जारी है और जिस विषय पर अध्यक्ष महोदय के निर्देश होने पर भी माल मंत्री जी ता० ११ फरवरी की सन्ध्या को प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न का उत्तर अल्प सूचना पर देने को प्रस्तुत नहीं है ।"

मैं समझता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव भी ऐसा है जिसमें कोई निश्चित बात नहीं है। आमतौर से इस तरह की जबरदस्ती हो रही है, यह एक गोलमोल प्रस्ताव है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं एक मिनट चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या फैसले के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, आप का फैसला तो शिरोधार्य है। वसूली के सम्बन्ध में मैं एक जानकारी सूचना के तौर पर जानना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी अभी पूर्वी जिलों का दौरा करके आये हैं, तो इस सम्बन्ध में उनको क्या जानकारी प्राप्त हुई, इसको वे कृपया बतला दें।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्नों को भेज दें।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, जब से कामरोको प्रस्ताव मैंने भेजा है तब से वसूली में और तेजी कर दी गयी है। शार्ट नोटिस क्वैश्चन का जवाब भी नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप उनसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं?

श्री गौरीशंकर राय—जी हां।

श्री अध्यक्ष—अगर माननीय मालमंत्री जी को इस विषय में कोई जानकारी वहां घूम फिर कर आने से प्राप्त हुई हो तो उसे आप सदन को दे सकते हैं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं सब पूर्वी जिलों में घूमकर नहीं आया हूं। मैं सिर्फ गोरखपुर और देवरिया जिले के कुछ हिस्सों में गया था लिहाजा बलिया और गाजीपुर से मेरे दौरे का कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक मालगुजारी का सम्बन्ध है वह वसूल की जायगी, कोई नहीं देगा तो वह जबरदस्ती वसूल की जायगी, उसे गिरफ्तार भी किया जायगा और जमीन भी नीलाम कराई जायगी। सवाल यह है कि मार्च तक.....

श्री अध्यक्ष—आप फैक्ट्स के ऊपर कहने की कृपा करें।

श्री चरण सिंह—मालगुजारी वसूल की जा रही है और अगर कोई नहीं देगा तो जबरदस्ती वसूल की जायगी।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से जानना चाहूंगा कि जबरदस्ती का क्या मतलब है? उसका स्कोप और रूप क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता था कि इसमें जो कहा गया है कि खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से लोग लगान देने लायक नहीं हैं, तो क्या स्थिति है इसकी जांच करने के बाद यह पता लगा कि वहां कोई ज्यादती हो रही है या नहीं?

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हममें से हर एक को मालूम है कि जहां जितना नुकसान होता है उसके अनुसार वहां छूट दी जाती है। छूट का फैसला होने से पहले वसूली सस्पेंड हो जाती है जितनी छूट होनी होती है वह हो जाती है और बाकी जो काबिल वसूल होता है वह तो वसूल किया ही जाता है, वही वसूल किया जा रहा है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि क्या कोई मंत्री यह कह सकता है कि जबर्दस्ती वसूल किया जायगा। जबरदस्ती के माने गैर-कानूनी और अवैध तरीके से होते हैं। मंत्री जी या तो कृपा कर के इन शब्दों को वापस लें या बतायें कि इस जबरदस्ती की रूपरेखा क्या होगी ताकि हम उस के लिये अपनी तैयारी करें।

श्री अध्यक्ष—मैं मंत्री जी को इसका जवाब देने की तकलीफ इसलिये नहीं दूंगा क्योंकि मंत्री जी से यह आशा नहीं की जा सकती कि उनका जबरदस्ती से मतलब किसी बेकायदा तौर से जबरदस्ती करने का हो, ऐसा कोई मंत्री यहां कहेगा यह आशा नहीं की जा सकती।

श्री राजनारायण—कानून में इस जबरदस्ती की क्या रूपरेखा है यह वह बतावें, ताकि उसकी हम तैयारी करें।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जबरदस्ती के ज्यादा से ज्यादा मानी यह हो सकते हैं कि न देने वाले की मर्जी के खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही की जा सकती है वह की जायगी, इससे ज्यादा इसके और कोई मानी नहीं हैं।

श्री राजनारायण—अगर मंत्री जी जबरदस्ती करेंगे तो हम उससे चौगुनी जबरदस्ती करेंगे।

राजनीतिक पीड़ितों की पेंशनें दिये जाने की प्रक्रिया के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री बंशीधर शुक्ल का एक कामरोको प्रस्ताव है कि "प्रान्त के राजनैतिक पीड़ितों की पेन्शन के बारे में उन से दरख्वास्तें पर दरख्वास्तें ली जाती हैं एम० एल० ए० के सर्टिफिकेट के होते हुये डी० एम०का सर्टिफिकेट मांगा जाता है,डी० एम० एक सरकारी मशीन का पुर्जा है जिसके द्वारा ही अधिक दमन हुआ और आज भी उसी पद के द्वारा दमन हो रहा है पेंशनों में देर लगती है", आदि.....

यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। प्रस्ताव का यह तरीका जो है यह उचित तरीका नहीं है और इस विषय की कोई तात्कालिक अरजेंसी भी नहीं है।

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में सरकारी देयों की वसूली में कथित ज्यादती के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री गेंदा सिंह जी का भी एक कामरोको प्रस्ताव है कि "गोरखपुर और देवरिया जिलों में माननीय राजस्व मंत्री के दौरे के बाद सरकारी देयों, जैसे मालगुजारी तथा तकावी की वसूली में पहले से अधिक ज्यादतियां बढ़ गई हैं। सभी नियमों और विवेक के विरुद्ध निर्धन किसानों पर गिरफ्तारी, कुर्की और मार-पीट व्यापक रूप से हो रही है। गन्ना बिकवाने तथा बिके गन्ने की कीमत दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। करोड़ रुपए से अधिक मूल्य गन्ना का मिलों के ऊपर बकाया है और अधिकांश किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है।"

यह भी उसी तरह का है और मैं समझता हूं कि इस विषय पर भी मेरा फैसला वही है कि यह कोई निश्चित विषय न होने से अनुमति नहीं देता हूं।

(श्री टीकाराम पुजारी के खड़े हो कर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—क्या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मैं कहता हूं कि मंत्री जी ने अनुचित शब्द कहा है। इसमें उनकी शोभा नहीं है। यह उन्हीं किसानों के पैर पकड़ते हैं और उन्हीं के खिलाफ अनुचित कार्यवाही करते हैं। यह शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष—आप का कोई वैधानिक प्रश्न है ?

श्री टीकाराम पुजारी—एक बात कहना चाहता हूं। प्रजातंत्र है, श्रीमन् प्रजातन्त्र में जो राजा है वह प्रजा है, प्रजा राजा है और यह मंत्री हैं। मंत्री होते हुये ऐसा अन्याय और उसके लिए ऐसे शब्द कहे जायं।

श्री अध्यक्ष—आप प्रस्ताव भेज दें। आप कृपा करके...

श्री टीकाराम पुजारी—मेरा प्रस्ताव है, सुझाव है, एक राजा के लिए ऐसे शब्द कहना यह अनुचित है। उन्हें माफी मांगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कृपा कर बैठें। बहुत हो गया। काफी हो गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा *

समाज कल्याण उप मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६, की धारा १७ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में राज्यपाल महोदय द्वारा प्रसारित आज्ञा को, जो श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७६८८(एस) टी/३६(ए) १३४ (एस) टी-- ५५, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५७ ई० के अधीन प्रख्यापित की गयी, उक्त धारा १७ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन †

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ ई० में श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या ७८१८(एस०) टी०/३६-(ए)-११२--(एस०) टी-५७ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५७ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७, की धारा २३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

‡उत्तर प्रदेश बिक्रीकर संशोधन विधेयक, १९५८ (क्रमागत)††

श्री अध्यक्ष---अब माननीय वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय, विवाद जारी होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--- मैं एक निवेदन आप से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---इसी विधेयक पर?

श्री गेंदासिंह---विधेयक के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो दूसरा विषय अब नहीं आ सकता, जब कार्यक्रम शुरू हो गया। श्रम मंत्री दो बार कार्य प्रारम्भ कर चुके।

श्री गेंदासिंह---हम लोगों की लाचारी पर भी थोड़ा विचार करें?

श्री अध्यक्ष---आपने पहले क्यों नहीं कहा? उस वक्त क्या लाचारी थी?

श्री गेंदासिंह---मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, जब मैं देखता हूं कि आप बोल रहे हैं, आप सिर नीचा किये हुये हैं उस वक्त भी तंग करूं। दरअसल मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बिलकुल नियमों का पालन कर सकूं।

श्री अध्यक्ष---तो इस वक्त भी नियमों का पालन कीजिये।

श्री गेंदासिंह---तो मैं बैठ जाता हूं।

---

* छापी नहीं गयी।
† छापे नहीं गये।
‡ ४-२-५८ की कार्यवाही में छपा है।
†† ११ फरवरी, १९५८ से।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मुझे एक प्रस्ताव विधेयक के सिलसिले में करना था ।

श्रीमन्, जब बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी में यह विषय विचार में आया तो विरोधी दलों के अधिकांश सदस्य उस दिन नहीं थे । उस में दुर्भाग्यवश ऐसी राय रही और इस पर डेढ़ दिन विचार करने के लिए निश्चित हुआ ।

मेरा यह प्रस्ताव है, जो कल भी मैंने कहा था, आज मुख्य मंत्री जी भी हैं । इस विधेयक के महत्व को देखते हुये आज इस पर आम वाद-विवाद तो जारी रहे । बाकी समय निश्चित करने के लिए फिर बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी के पास विचार के लिये भेज दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---अब तो नहीं हो सकता उसके ऊपर विचार । अगर इसमें प्रार्थना करनी है तो नेता सदन से करें । वह अगर यह कहें कि सब की राय हो गयी है और समय निर्धारण में परिवर्तन करना है तभी उठ सकता है सवाल । अगर वह इस बात पर राजी नहीं हैं या सब लोग राजी नहीं हैं तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं उनके सामने इसे रख देता हूं । कल तीन बजे से इस पर कुल दो घंटे विवाद हुआ है ।

तो अभी आम विवाद की शुरुआत हुई है एक प्रकार से और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन भी हैं । तो कैसे आज शाम तक यह विधेयक पारित हो सकेगा, यह सोचने की बात है । इसलिये नेता सदन मेरे इस सुझाव को स्वीकार करें कि आज इस पर आम विवाद चले और फिर बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी विचार करे कि कितना समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको नियम पढ़ कर सुनाये देता हूं ।

"No variation in the time table as decided upon by the House, shall be made except on the request of the Leader of the House who shall notify orally to the House that there was general agreement for such variation, which shall be enforced by the Speaker after taking the sense of the House."

आपने अपनी रिक्वेस्ट कर दी । नेता सदन इसके ऊपर विचार कर लेंगे और आप के सामने दिन भर का मौका है । अगर वह कहते हैं कि सब की राय यह है कि इसमें कोई फर्क करना है तो फर्क हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा ।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिक्री-कर संशोधन विधेयक पर कल कह रहा था कि यह जो कानून है इसके अन्तर्गत मान्यवर, वह गरीब आदमी, भीख मांगने वाला अपाहिज, लंगडा, लूला जो अपने पेट की ज्वाला बुझाने के लिये दर-दर भीख मांगता है, वह भी आ जाता है । अनाज पर टैक्स होने के कारण उसको भी टैक्स देना पड़ता है, वह भी उससे बरी नहीं है ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि जो टैक्स लिया जाता है इससे दूकानदार को कितनी परेशानी हो गई है । उस की परेशानी की कल्पना अगर वित्त मंत्री जी को होती तो सम्भव है इस प्रकार का कानून, इतना जटिल कानून वह न लाते । आज सेल्स टैक्स के कानून से दूकानदार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भुवनेश भूषण शर्मा]

परेशान हैं। मैं देखता हूं कि कानून बनाने वाले हमारे माननीय वित्त मंत्री जी भी परेशान हैं। वह निश्चित नहीं कर पाते कि किस प्रकार से टैक्स वसूल हो और कैसा कानून बनाया जाय। उसका एक मात्र कारण है श्रीमन्, कि हमारे वित्त मंत्री जी व्यापारी नहीं हैं। अगर होते और ठीक प्रकार से सोचते समझते तो यह जो उलझन का कानून बन गया है ऐसा न बनाते। जो कानून उन्होंने आज पेश किया है उससे समस्या हल नहीं होती, दूकानदार परेशानी में फंस जाता है और जो मंशा है टैक्स वसूल करने की वह भी पूरी नहीं होती। सरकार का कोष खाली रहता है। गरीब से टैक्स चला जाता है, व्यापारी के पास भी नहीं रहता। एक अजीब सी मुसीबत है। उसका कारण है कि यह कानून इतना उलझन का है, इतने तरीके का है यदि इस पर वित्त मंत्री जी ठीक प्रकार से विचार करके और अच्छी तरह से सलाह मशविरा करके इसको लाते तो मैं निवेदन करूंगा कि रुपया भी अधिक वसूल होता और व्यापारी भी व्यापार ठीक करता और गरीब भी परेशान न होता।

आज टैक्स एक तरह का नहीं है। कई प्रकार के टैक्स लगे हैं। एक दूकानदार अपनी दूकान पर सब तरह की चीज रखता है और जो चीज वह बेचता है उस पर अलग-अलग तरीके से टैक्स है, किसी पर चार पैसा रुपया है, किसी पर दो पैसा रुपया है, किसी पर छः पैसा रुपया है, किसी पर एक पैसा रुपया है। तो एक व्यापारी जो थोड़ी सी पूंजी से दूकान करता है वह कैसे इनका सबका अलग-अलग हिसाब किताब रख सकता है? कैसे उसके लिए यह सम्भव होगा, मान्यवर? यह सम्भव नहीं हो सकता क्लर्क कि वह इतने प्रकार के हिसाब अलग-अलग रजिस्टर में रखे। उसके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह मुनीम या बड़े-बड़े क्लर्क रख सके। उसका व्यापार भी इतना बड़ा नहीं है। परन्तु कानून से वह बुरी नहीं है। तो यह जो टैक्स लगाने की विधि है इसे दो तरीके से बांट दिया जाय तो न तो सरकार को इतनी परेशानी हो, न दूकानदार को ही इतनी परेशानी हो और न इतना होहल्ला ही मचे। आज व्यापारी टैक्स देने से नहीं घबड़ाता है। वह टैक्स देना चाहता है परन्तु आपका कानून ऐसा है कि न व्यापारी समझ पाता है, न टैक्स वसूल करने वाला समझा पाता है और दोनों की नासमझी का कारण यह इस प्रकार का आपका उलझन से भरा हुआ कानून है जिसका परिणाम यह होता है कि जो कमजोर होता है वह परेशान होता है। कानून कभी कमजोर नहीं होता। कानून का जिनके द्वारा पालन करवाया जाता है वह कमजोर नहीं होते। कमजोर होता है व्यापारी और उसके सम्मान को धक्का पहुंचता है। तो दो तरीके से अगर इस टैक्स को बांट दिया जावे, एक तो उन चीजों पर जो कि लग्जरी गुड्स है उन पर और एक जो रोज की आवश्यकता कि चीजें हैं, नेसेरी चीजें है उन पर इस प्रकार उनको बांट दिया जाय तो यह परेशानी बहुत हद तक दूर हो सकती है। फिर चाहे आप ७ परसेंट की जगह १२ परसेंट टैक्स कर दें कोई उसमें परेशानी की बात नहीं होगी। जब आराम के लिए विलासिता की चीजें वह खरीदेंगे तो उन पर टैक्स भी वह दे सकते हैं। इसी तरह से जो नित्य काम में आने वाली चीजें हैं उनका टैक्स अलग कर दिया जाय। लेकिन गल्ला उनमें से निकाल दिया जाय। भोजन पर टैक्स न हो। इस तरह से दो तरीकों से यह टैक्स अलग-अलग कर दिया जाय। परचेज टैक्स अनाज पर सरकार लगा रही है उसको भी अलग कर दिया जाय। जो चीज पैदा होती है खेतों में जिस वक्त व्यापारी उनको खरीदता है उसी वक्त उससे टैक्स ले लिया जाय और दूसरे यह कि जो चीज यहां के कारखानों में तयार होती है उस पर जब वह बिक्री हो, टैक्स ले लिया जाय और तीसरे वह जो दूसरे सूबों से सामान आता है उन पर टैक्स ले लिया जाय, इस तरह से यह किया जाय तो बड़ा सरल हो सकता है और फिर कोई परेशानी की बात नहीं रहती। इससे व्यापारी को जो आज परेशानी है हिसाब-किताब रखने की वह दूर हो जायगी। आज वह इतना समय नहीं पाता कि सब चीजों का अलग-अलग हिसाब तैयार करे। एक ग्राहक आता है, वह साबुन भी लेता है, दियासलाई भी लेता है, आटा भी लेता है, चार तरह की चीजें लेता है। अब

हर चीज पर अलग अलग टैक्स है, सबका हिसाब वह कितनी देर में तैयार कर पायेगा ? उसको भी परेशानी होती है, और ग्राहक को भी परेशानी होती है। तो विलासिता की चीजों पर एक तरह का टैक्स और उसके अतिरिक्त जो चीजें बचती हैं उन पर दूसरे तरह का टैक्स हो जायगा तो कोई झगड़ा नहीं पैदा होगा और टैक्स वसूल करने में कोई झंझट नहीं होगा। व्यापारी बड़े बड़े चन्दे दे सकते हैं तो वह टैक्स से नहीं घबड़ाते, वह टैक्स के कानून से घबड़ाते हैं।

आज इस तरह का कानून है कि पांच, पांच तरह के रजिस्टर्स हैं, जिनको वह तैयार नहीं कर पाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कानून बनाते समय यह देखना चाहिए कि इसका असर किस तरह से पड़ेगा। सरकारी अधिकारी कानून की ओट लेकर के व्यापारियों को इतना परेशान करते हैं कि उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं रहती। हिसाब किताब लिखना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ७ बजे सुबह से लेकर रात के ९ बजे तक वह अपनी दूकानदारी करते हैं। हिसाब ठीक से रख नहीं पाते हैं। अगर कानून इस प्रकार का हो कि जहां से चीज पैदा होती हैं वहीं पर टैक्स ले लिया जाय तो कोई परेशानी नहीं होगी। दूकानदार अपना मार्जिन लगा कर उसी प्रकार उस पर बिक्री-कर देगा। कोई झगड़ा या परेशानी नहीं होगी। इससे लाभ ही होगा। एक तो सेल्स टैक्स सरकार को ज्यादा मिलेगा, परेशानी दूर होगी, वसूल करने में जो दिक्कत होती है वह भी दूर होगी और दूकानदार बेईमानी नहीं करेगा और जो रिश्वतखोरी है वह दूर होगी। रिश्वत कोई खुशी से नहीं देता, मजबूरी से ही देता है। जब कानून दूकानदार समझता नहीं और सेल्स टैक्स के अधिकारी नाजायज तौर पर उल्टा सीधा हिसाब पूछते हैं तो परेशान होकर दूकानदार सौदा करने लगता है वह रुपया जो सरकार के खजाने में आना चाहिये था वह सेल्स टैक्स के अधिकारियों की जेब में चला जाता है। इसका प्रत्यक्ष सबूत यह है कि सेल्स टैक्स महकमे के जितने अधिकारी हैं सर्विस करने के पूर्व की उनकी हैसियत देखी जाय और उसके पश्चात् की देखी जाय कि अब हालत क्या है ?

जहां तक बड़े दूकानदारों का सवाल है वे इतनी परेशानी में नहीं पड़ते। वे एक चीज का ही व्यापार करते हैं, एक ही आइटम रखते हैं। होलसेल डीलर होने की वजह से उनको अगर परेशानी भी हो तो उनके पास साधन होते हैं, वे अधिक से अधिक मुनीम रख सकते हैं और उसका इन्तजाम कर सकते हैं, लेकिन छोटा दूकानदार सब तरह की चीजें रख कर मेल जुटाना चाहता है और उन पर अलग अलग टैक्सेज होते हैं। वह उनका हिसाब नहीं रख सकता। उसकी परेशानी की ओर भी ध्यान दिया जाय। कानून ऐसा होना चाहिये कि जिसमें समाज का चरित्र सुधरे, बजाय इसके कि पतित हो। जो दूकानदार झूठ नहीं बोलना चाहता, रिश्वत नहीं देना चाहता उसको बड़ी तकलीफ व परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह व्यापारी तो चाहता है कि हम सरकार को टैक्स दें, लेकिन नतीजा यह होता है कि टैक्स से ज्यादा रुपया उसका निकल जाता है, लेकिन वह गलत तरीके से जाता है।

मुझे इस सदन में आये हुए एक साल नहीं हुआ, इस बीच में सेल्स टैक्स पर दो बार संशोधन विधेयक आ चुका ! गजब है। व्यापार में भी किसी व्यापारी का साल अप्रैल से और किसी का दीवाली से और किसी का कभी से शुरु होता है, लेकिन यहां साल में दो तीन बार कानून बदल जाता है, एक का पालन नहीं होता कि अमेंडमेंट आ जाता है। विचित्र तरीका है। हम रोज अमेंडमेंट ले आते हैं, हम रोजाना उस कानून पर विचार करते हैं। बेहतर यही है कि इसको समाप्त करके एक सेलेक्ट कमेटी बना ली जाय, वहां खूब वादविवाद के पश्चात् एक ढंग से कानून ले आया जाय।

आज हमारी सरकार की जो कर लगाने की प्रणाली है वह हमने रामायण में सुना था कि रावण की भी कर वसूल करने की यही नीति थी। आज पंचवर्षीय योजना के नाम पर नाना प्रकार के कर लगाये जा रहे हैं और गरीब व व्यापारी को परेशान किया जाता है। उसकी भी यही योजना थी कि उसकी सोने की लंका बन जाय और आकाश तक, स्वर्ग,

[श्री भुवनेश भूषण शर्मा]

तक सीढ़ियां बन जायं। इसलिये उसने भी नाना प्रकार के कर लगाने शुरू किये थे और जो ऋषि तपस्या करते थे उनसे उनके खून का टैक्स उसने लेना शुरू कर दिया था। उसी प्रकार आज हमारी यह पंचवर्षीय योजना है जिसके नाम पर इस तरह से टैक्स वसूल किया जाता है, इस तरह से कानून बनाये जाते हैं कि आज आदमी परेशान और दुखी है, सर्वस्व देने के बाद भी आदमी सुरक्षित नहीं रहने पाता। सरकार की इस नीति से केवल सेल्स टैक्स में ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इनकम टैक्स में भी नुकसान होता है। गरीब चूसा जाता है और रकम सरकारी खजाने में नहीं जाती, क्योंकि व्यापारी जब परेशान देखता है तो साल भर के बाद फर्म का नाम बदल देता है, नित्य उसकी दुकानों के नाम बदले जाते हैं। जब सरकार देखती है कि दूकानदारों ने दूसरी तरफ से बचत निकाल ली तो सरकार अमेंडमेंट ले आयी और जब वह अमेंडमेंट ले आयी तो व्यापारी कुछ और ढंग निकालने लगे।

सेल्स टैक्स पर इसलिए अमेंडमेंट लाया गया था कि बहुत से व्यापारी साल समाप्त होने के बाद अपनी फर्म का नाम बदल देते हैं, इसलिए सरकार ने यह तरीका रखा कि व्यापारियों से ५०० और १००० रुपया जमा करा लें और यदि कोई फर्म का नाम बदलता है और टैक्स नहीं देता तो उस रुपये में से वसूल कर लें। तो इस प्रकार नये नये झंझट उठते रहते हैं और व्यापार की वृद्धि कम होती है, सेल्स टैक्स वसूल नहीं होने पाता और इन्कम टैक्स भी वसूल नहीं होता, मुकदमेबाजी होती है और झगड़े बढ़ते हैं। इसके लिए अगर सरकार विचार करती तो आज व्यापारी संपन्न होता, व्यापार बढ़ता और आदमी खुशी-खुशी से अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा सरकार के कोष में जमा करते, लेकिन आज सही रूप से वह नहीं दे पाते गलत रूप से हजार गुना चला जाता है। टैक्स कोई देता है १०० रुपया और ५०० रुपया रिश्वत में दे देता है। तो टैक्स का तो १०० ही रुपया हुआ, लेकिन कितनी परेशानी और दिक्कत हो गयी, कितना भ्रष्टाचार बढ़ा, दुकानें समाप्त हुईं, व्यापार घटा, योजनाएं ठंडी हुईं और पैसा मिला नहीं और हल्ला मचा ही रहा।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वह कानून को बहुत सोच-समझ कर ठीक ढंग से बनाएं। दूसरी बात यह है कि जो गल्ले पर टैक्स है, खाने पर जो टैक्स है यह टैक्स सब से ज्यादा उस गरीब पर पड़ता है जिसको केवल गल्ले की जरूरत है। वह और कोई चीज अधिक नहीं खरीदना चाहता, उसके पास पैसा नहीं है। तो वह मजदूर जो दिन भर काम करने के बाद मुश्किल से एक रुपया, डेढ़ रुपया कमाये और उससे अपने बच्चों का गुजर करना चाहता है तो उसके ऊपर टैक्स पड़ जाता है। वह भीख मांगने वाला जो दर दर भीख मांगता है सरकार उससे भी टैक्स ले लेती है। सरकार उस कोढ़ी और अपाहिज से भी टैक्स ले लेती है, उसको भी नहीं छोड़ती। तो आज यह इतनी आवश्यक चीज, भोजन और अन्न, उसमें भी सरकार टैक्स लगाती है, यह बड़े दुख की बात है। यह टैक्स लगाने की नीति, अगर ठीक से बरती जाय और उचित तरीके से टैक्स लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्री गोविन्द-सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और वह विचार करके दो महीने में अपना निर्णय दें, इसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इसे अवश्य मानेंगे।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गोविन्द सिंह जी के संशोधन का घोर विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि बिक्री कर ऐसे लोगों से वसूल किया जाता है जो किसान हैं, मजदूर हैं और गरीब हैं। कभी भी कोई व्यापारी या कोई कारखानेदार अपने लाभ में से नहीं देता है। कल से आज तक जितने भी भाषण मैंने सुने, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विरोधी दल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन इसमें विरोधी दल के सदस्यों का नहीं है जो इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की बात कहते हैं। जो कमियां हैं उनमें वे जो सुझाव देते हैं, वह तो ठीक है अच्छा काम करते हैं, लेकिन यह सरकार जो अच्छा काम करती है और वह जनहित में होता है उसमें भी एक न एक अड़ंगा लगाना, इनका परम कर्त्तव्य हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो सरकार अच्छा काम करती है उसकी तो कम से कम सराहना करनी चाहिए। लेकिन खेद है.....

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आप माइक का इस्तेमाल कीजिये, नहीं तो गला बैठ जायगा।

श्री हरीसिंह---जहां व्यापारियों का सवाल आता है वे व्यापारी बन जाते हैं, जहां किसानों का सवाल आता है वे किसान बन जाते हैं और जहां मजदूरों का सवाल आता है वे मजदूर बन जाते हैं और मजदूरों की बात करने लगते हैं। एक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि मंत्री जी व्यापारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या आप व्यापारी हैं? क्या आप उन्हीं को बढ़ाना चाहते हैं और उनके हित के लिये ही आये हैं? क्या यह बात सही होगी कि हम व्यापारियों की बात करें और जनहित की बात न करें और सरमायेदारी को और बढ़ा दें, जिससे किसान मजदूरों का खून चूसा जाय। क्या व्यापारी ईमानदारी से बिक्री कर देते हैं, बल्कि वह लाभ उठाते हैं और इतना लाभ उठाते हैं कि सरकार को भी और जनता को भी धोखा देते हैं और यदि १०० रुपये टैक्स देंगे तो २०० रुपये अपनी जेब में रख लेंगे। इसके बारे में किसी ने सुझाव नहीं दिया। उनको सुझाव देने चाहिये, जिससे जनता अधिक बोझ से बचे और व्यापारी स्वावलम्बी बनें। मैं विरोधी दल के श्री राजनारायण जी से पूछना चाहता हूं कि यदि उनकी सरकार बन जाय तो क्या वे सारे कर खत्म कर देंगे?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---मैं तो सेल्स टैक्स को कह रहा हूं।

श्री हरीसिंह---आप तो हर चीज को कहते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सरमायेदारों पर टैक्स लगाओ और दूसरी तरफ कहते हैं कि सेल्स टैक्स हटा दो। अगर इसे हटा दिया जाय तो सरकार के पास और कौन सा आमदनी का जरिया रह जायगा जिससे वह काम चला सके? जहां तक सेल्स टैक्स का सम्बन्ध है, आज तक एक भी व्यापारी, मिल ओनर या बड़े बड़े आढ़तियों ने या लायसेन्सदारों ने अपने पास से बिक्री-कर नहीं दिया है, बल्कि उससे लाभ उठाया है।

श्री अध्यक्ष---आप क्या यह बताना चाहते हैं कि इस विधेयक द्वारा वह लाभ नहीं उठा सकेंगे?

श्री हरीसिंह---जी हां। माननीय मंत्री जी के लिये जो यह कहा गया है कि वे व्यापारी नहीं हैं, तो यदि वे व्यापारी न होते तो यह विधेयक कैसे लाते? इससे वे लाभ नहीं उठा सकेंगे। मैं चेलेंज करता हूं कि एक भी व्यापारी ने ईमानदारी के साथ व्यापार नहीं किया है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा भ्रष्टाचार करने की प्रेरणा मिली है और जिन व्यापारियों पर २-२ लाख रुपया बिक्री-कर का बैठता था उन्होंने ने १०-१० हजार रुपये सरकारी कर्मचारियों को घूस दिये हैं। लिहाजा आज उनकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गयी हैं। जिनसे यह आशा होनी चाहिये थी कि यह विधेयक कल ही पास कर देंगे वे ही विरोध करते हैं। इस पर किसी को विरोध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह सब के हित की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विरोधी दल से और विशेषकर के राजनारायण जी से यह कहना चाहता हूं कि उनको हमारा साथ देना चाहिये। यह तो उनकी पार्टी के हित की बात है। वह और उनके साथी जब प्रवर समिति में जाने की बात कहते हैं तो फिर मुझे ताज्जुब होता है। उनको हमें सहयोग देना चाहिए था....

श्री राजनारायण---अभी तो मैं बोला भी नहीं हूं।

श्री हरीसिंह---मुझे आशा है कि जब आप बोलेंगे तो हमारी बात ही कहेंगे। लेकिन मैं, बतौर नेता अपनी पार्टी के, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इससे विशेष दिलचस्पी होनी चाहिए। कुछ और भी यहां पर अपनी पार्टी के नेता हैं वह भी कहते हैं कि हम गरीबों की रक्षा करने के लिये यहां पर आये हैं लेकिन उनको यह बात जान लेना चाहिए कि जनता व्यापारियों के बल पर नहीं चल रही है, वह तो किसानों के बल पर चल रही है। अगर किसान पैदा न करे तो न कोई इंडस्ट्री चले और न खाने के लिये जनता को मिले। यदि बिक्रीकर से आमदनी होती है तो वह उन गरीबों से सरकार को ज्यादा होती है। उसकी एवज में उनको भी कुछ मिलना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी तरह से उपभोक्ता को बचाया जाय। जो कच्चे आढ़ती हैं जिनके पास माल आता है वह किसानों से बिक्री कर न लें, बल्कि वह आढ़ती अपने कमीशन में से टैक्स सरकार को दें। मैं आपके द्वारा अपने मित्रों को यह बतलाना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण लंच के बाद जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सदन में गण पूर्ति न होने के कारण कार्यवाही के विलम्ब से आरम्भ होने पर आपत्ति

श्री राजनारायण---श्रीमन् मेरा यह प्रश्न है कि अब २ बजकर २२ मिनट हो गया है। कोरम पूरा नहीं होता है और आखिर इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही है। हमको समय कम मिलेगा। क्या ये ७ मिनट ५ बजे के बाद बढ़ जावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---कोरम की जिम्मेदारी सचेतकों पर है, विशेषकर रुलिंग पार्टी के सचेतक पर, क्योंकि विरोधी दल तो यह चाहता ही है कि कोई विधेयक जो उसे पसन्द न हो जल्दी पास न हो और सरकार के काम में अड़ंगा हो। इसलिये कोरम की मुख्यतः जिम्मेदारी सरकारी सचेतकों पर आ जाती है। इस संबंध में मैंने एक दिन चेतावनी भी दी थी और मेरे कार्यालय से वह सरकारी पक्ष के मुख्य सचेतक के पास भेज दी गई है। अभी तक वह ढिलाई बाकी है। आशा है कि भविष्य में इस पर कार्यवाही की जावेगी। ७ मिनट समय नहीं बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री हरीसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विरोधी दल के नेता माननीय राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि इसी वादविवाद में वह ४ मिनट ले गये कि कोरम नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि सदस्य लोग इसी तरह से समय नष्ट करते हैं।

इस समय बिक्री-कर किसान मजदूर की जेब से आता है। मध्यस्थ, बीच का बिचौलिया या दलाल या आढ़ती कहिये, वह अपने पास से नहीं देता है। बहुत से साथियों की समझ में नहीं आ रहा है कि वह कर किससे वसूल किया जाय। सरकार को इस पर अवश्य विचार करके ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिये जिससे उसे पूरा टैक्स मिल जाय, उपभोक्ता पर अधिक बोझ न पड़े, मध्यस्थ बेईमानी न करे और सरकारी कर्मचारी रिश्वत न ले। यह हो सकता है क्योंकि जो माल दूसरे प्रान्तों से बिक्री के लिये हमारे प्रान्त में आता है, वह बिल्टियों द्वारा आता है। स्टेशन पर बिल्टी छूटती है, उसके साथ जब हम किराये का भुगतान करते हैं, उस समय के लिये कुछ दर निर्धारित कर देनी चाहिये, जिससे माल मंगाने वाला बिक्री-कर वसूल कर ले, ताकि भ्रष्टाचार भी न हो और वह अपने भाव में बढ़ा ले या कम कर ले। वह इसका जिम्मेदार रहे, न कि वह जनता को लूटने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले। इस तरह से जनता उस टैक्स से बचेगी, क्योंकि वह तो भाव समझेगी कि इस भाव पर माल मिला। यह बात तो हुई प्रान्तों की। जो माल हमारे यहां उत्पादन होता है, जिसे दूकानदार खरीद कर स्वयं मुनाफा उठाता है, उस पर कर से या तो सरकार वंचित रहती है या बेईमानी होती

है। माल अधिकतर शहरों में बिकता है। देहात में ज्यादा नहीं बिकता है। प्रत्येक चुंगी पर नोट किया जाय कि कितना माल किस आढ़ती के पास जाता है। आढ़त २ पैसे या ४ पैसे फी रुपये तक है। इसी तरह से २ पैसा या ४ पैसा जो भी बिक्री-कर हो वह उस आढ़ती से लिया जाय, चाहे उससे बाद में कोई भी खरीदे। सरकारी अफसर मंडियों में रहें, न कि कोट-पतलून पहन कर दफ्तरों में। जैसे दलाल लोग अपनी आढ़त उगाहते हैं वैसे ही ये सरकारी अफसर शाम को टैक्स की वसूलयाबी करें। लोग दुनिया भर के मुनीम १५० और २०० रुपये के रखकर खाते बदलवाते हैं जिससे रुपया उनकी जेब से न निकले। लालाजी ने सरकारी इंसपेक्टर से कह दिया कि ५०० रुपये ले लो और इंस्पेक्टर साहब ने लेकर पतलून में डाल लिया, जिससे ६,००० रुपया लालाजी को बच रहा। लाला जी से मेरा मतलब बड़े-बड़े व्यापारियों से है, न कि छोटे-छोटे दूकानदारों से जो बेचारे स्वयं ही इस टैक्स से मर रहे हैं। हमारा व्यापारी आज मुकदमों में वकीलों को रुपया देता है, वे भी बीच के दलाल ही हैं। इसलिये अगर आप इस सारी चीज को मिटाना चाहते हैं तो कृपा करके जैसे चुंगी की उगाही होती है वैसे आप हर मंडी में सरकारी कर्मचारियों से अपने टैक्स की उगाही कराइये।

एक बात और है। है तो वह हंसी की और मुझे माफ करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता, क्या बताऊं, कुछ कहते हुए घृणा महसूस करता हूं। यानी, हर एक की आवाज यह है कि इस पर जरूर टैक्स लगना चाहिये। भले आदमियों, वह तो मिट्टी है। यदि उसे कोई अपन मुंह से चिपका लेता है तो कोई पेट थोड़े ही भरता है। तो आप क्यों जिद करते हैं कि उस पर टैक्स लगे? तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी चीजों पर बिक्री-कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसी चीजों को फ्री कर देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जहां उत्पादन होता है वहीं पर १ रुपये की जगह ६ रुपये टैक्स लगाइये, मुझे कोई एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जहां उत्पादन हो वहीं बिक्री कर लगे बजाय इसके कि दूकानदारों को मारा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे दूकानदारों को बिक्री-कर से मुक्त किया जाय और जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं जिनके यहां माल इकट्ठा होकर दूकानदारों के पास आता है, उनके ऊपर वहीं टैक्स लगाया जाय और छोटे-छोटे दूकानदारों को यह सुविधा प्रदान की जाय कि प्रति दिन बिक्री-कर न लगाया जाय ताकि वे मुकदमेंबाजी और रोज-रोज के हिसाब-किताब के झंझट में न पड़ें।

मैं आपके द्वारा विरोधी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप दो-तीन दिन इस बिल पर क्यों ले रहे हैं और इस तरह से आप क्यों गरीबों का नुकसान कर रहे हैं? जनता बावेला मचायेगी। इसलिये मैं राजनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को जल्दी पास कर दीजिये और यदि कोई ऐसा सुझाव देना हो जिससे जनता का फायदा हो सके तो उसे दे दीजिये।

श्री राजनारायण---बिक्री-कर खत्म कर दिया जाय।

श्री हरीसिंह---हमारे विरोधी दल के माननीय नेता राजनारायण जी का कहना है कि बिक्री-कर खतम कर दिया जाय। अगर बिक्री-कर खत्म कर दिया जाय तो फिर सरकार की आय आप बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं? अगर आपकी सरकार होती तो आप भी टैक्स लगाते। कभी तो आप बड़े-बड़े व्यापारियों को सपोर्ट करते हैं, कभी उनके ऊपर टैक्स लगाने को कहते हैं, कभी आप गरीबों और किसानों की बात करते हैं, पता नहीं आप किसकी नुमाइन्दगी करते हैं। तो मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इसको तुरन्त पारित करने में सहयोग देने की कृपा करें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह इनफार्मेशन चाहता हूं कि आज सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करने के लिये कि इस विधेयक को आज ही समाप्त न किया जाय। माननीय नारायणदत्त जी का यह कहना है कि आज दिन भर का समय सामान्य विवाद के लिये लिया जाय और क्लाजवाइज बहस कल हो तो माननीय अध्यक्ष ने यह कहा

[श्री राजनारायण]

था कि ठीक है, माननीय मुख्य मंत्री जी आज पिछले पहर में अपनी निश्चित राय सदन को इस संबंध में सूचित कर देंगे । उसके मुताबिक माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी कोई सम्मति प्रकट की है तो माननीय उपनेता जी जो सदन में इस वक्त बैठे हुए हैं, बतला दें और यदि नहीं प्रकट की है तो कांग्रेस के ह्विप उनसे जाकर पूछ लें ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---माननीय मुख्य मंत्री जी ने तो मुझसे या और किसी से इसकी बाबत कुछ कहा नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आप क्या कहते हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो कह ही रहा हूं, जो मेरी तरफ से कहा जा रहा था अभी ।

श्री राजनारायण---सुनाई नहीं पड़ा ।

श्री उपाध्यक्ष---आप लिख कर बात कर लें ।

श्री राजनारायण---अगर नेता सदन मौजूद नहीं हैं तो नियम है कि नीति की कोई बात हो उस पर सदन गौर करे और फिर जो बिजनेस कमेटी का फैसला हो उसको भी बदल दे ।

श्री उपाध्यक्ष---नियमानुसार इस समय उपनेता ही नेता सदन हैं ।

श्री राजनारायण---तो वे ही बतलावें ।

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कह दिया कि सरकार इसकी कोई जरूरत नहीं समझती ।

श्री राजनारायण---कह दिया ?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्,जिस विधेयक की महीनों से प्रतीक्षा थी, अन्ततोगत्वा हमको वह देखने को मिला और सर्वदा की तरह यह विधेयक भी सरकार की सेल्स टैक्स की दिवालियापन की नीति का एक उदाहरण मात्र ही रहा है । मुझे खेद है इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं कि सेल्स टैक्स के बारे में सरकार की कभी कोई पालिसी निश्चित नहीं रही है और इसीलिये मैं कहता हूं कि सेल्स टैक्स पालिसी सरकार की बैंकरप्ट पालिसी है और तथ्यहीन है । आप देखेंगे कि इस बिल के द्वारा एक नया टैक्स आरम्भ किया जा रहा है और यह यू० पी० सेल्स टैक्स सिस्टम में एक नई चीज है और वह यह परचेज टैक्स है । इस तरह से यू० पी० के सेल्स टैक्स सिस्टम को भारत की सेल्स टैक्स पद्धति में सब से ज्यादा पेचीदा बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे यहां केवल तीन चार तरह के ही सेल्स टैक्स हैं, मल्टिपिल प्वाइंट सेल्स टैक्स, सिन्गिल प्वाइंट सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स और विभिन्न प्रकार के इन्सिडेंस का सेल्स टैक्स तो पहले से ही है और इनके अलावा अब एक नया सेल्स टैक्स परचेजेज टैक्स के नाम से बढ़ाया जा रहा है । यह परचेजेज टैक्स यू० पी० सेल्स टैक्स के वर्तमान ढांचे के अनुरूप है ही नहीं, इसके लिये तो एक नया बिल आना चाहिये था, क्योंकि आप देखेंगे कि यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट का प्रिएम्बिल इस बात की इजाजत नहीं देता कि उसके रहते हुये हम कोई नया टैक्स इस सेल्स टैक्स की परिधि के अन्दर ला दें । मैं आपकी आज्ञा से इस संबंध में बाद को एक व्यवस्था का प्रश्न भी उठाना चाहूंगा । इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यू० पी० सेल्स टैक्स इसका नाम है, केवल सेल्स टैक्स, सेल्स एन्ड परचेज टैक्स नहीं है । इसका जो प्रिएम्बिल है वह कुंजी है जिसके द्वारा हम इस बिल के ढांचे को समझ पाते हैं जैसा

---

* बंगला में भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि प्रोफेसर बच्चन ने कहा था कि किसी भी एक्ट का शीर्षनाम और प्रिएम्बिल वह बेलून है जिसमें उसका सारा स्वरूप निहित रहता है, जैसे एक बेलून सिकुड़ा हुआ रहता है और फूलकर अपनी पूरी शक्ल में आ जाता है । इसके प्रिएम्बिल में लिखा है कि—

"An Act to provide for the levy of a term on the sale of goods in the United Provinces."

प्रिएम्बिल में लिखा है कि "levy on sales of goods" पर होगी "purchase of goods" पर नहीं । इसलिये यह परचेज टैक्स प्रिएम्बिल की परिधि के बाहर है ।

श्री उपाध्यक्ष—किस धारा में यह संशोधन किया जा रहा है ? यह उद्देश्य और कारणों में है या मुख्य धारा में संशोधन है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—मुख्य धारा में संशोधन है और उद्देश्य और कारणों में भी आरम्भ में ही लिखा है । इसके अलावा इसके खंड ७ के द्वारा एक नई उपधारा ३-डी जोड़ी जा रही है । पृष्ठ ४ पर खंड ७ में लिखा है "levy of purchase tax" । उसमें आगे लिखा है कि "A tax on the turn-over of purchase" और इसके अलावा खंड ३ में "परचेज प्राइज" की परिभाषा जोड़ी गई है यह सब चीजें जो जोड़ी जा रही हैं वह इसकी परिधि के बाहर जोड़ा जाना है ।

तीसरी बात यह है कि फूडग्रेन्स पर परचेज टैक्स लगाकर टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी के सिद्धान्तों का भी उल्लंघन किया जा रहा है । मैं जानना चाहूंगा कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी की किस सिफारिश के अनुसार यह परचेजेज पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव लाया गया है ? टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि परचेज टैक्स किसी भी स्टेट को किसी भी गुड्स या कमाडिटी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—कौन-सा पेज है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—पेज ४३ वाल्यूम सेकेंड है । आखिरी लाइन में पढ़े देता हूं, ग्यारह, बारह रीजंस गिनाये गये हैं । मैं उन तमाम कारणों को पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं । उन्होंने कहा है—

"For all these reasons, a purchase tax is clearly not an effective solution for the particular difficulties it supposes to solve."

जिन कठिनाइयों को दूर करने के लिये परचेज टैक्स लगाये जाने का सुझाव है उन कठिनाइयों को दूर नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है, जिन व्यापारियों और जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कहते हैं । अगर परचेज टैक्स इतनी सहूलियत की चीज होती तो क्यों नहीं जितनी स्टेट्स हैं सब परचेज टैक्स ही लगातीं केवल बम्बई सरकार ने परचेज टैक्स लगाया है । उसने लगाया कहां पर है ? मैनुफैक्चरर्स के प्वाइंट पर ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मद्रास ने भी लगाया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मद्रास ने लगाया है, लेकिन जो नोटिफिकेशन अभी हाल में निकला है वह मिला नहीं । लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, फूड ग्रेन्स पर किसी राज्य ने नहीं लगाया है । अगर लगाया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं न मद्रास ने, न बम्बई ने, न बंगाल ने । यह हमारे प्रदेश को दुर्भाग्य प्राप्त है कि आज यहां की प्रजातांत्रिक सरकार अपना पहला दावा करने जा रही है कि उसने फूडग्रेन्स जैसी एसेंशल कमाडिटी पर परचेज टैक्स लगाया । यह कांटों का ताज आपही पहनने जा रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि जनता और व्यापारियों की यह मांग नहीं थी कि सिंगिलप्वाइंट सेल्स टैक्स लगा दो, बल्कि मांग यह थी कि फूड ग्रेन्स पर से बिलकुल टैक्स हटा लीजिये । जनता और व्यापारियों नें मांग की कि फूडग्रेन्स पर टैक्स हटा दिया जाय । आपने क्या किया बजाय हटाने के सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाया और यह सिंगिल प्वाइंट परचेज टैक्स लगा रहे हैं । परचेज-

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

टैक्स लगाने की क्यों जरूरत पड़ी ? इसका कोई एक्सप्लेनेशन न तो बजट स्पीच में था और न माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में था जैसा कि माननीय अग्रवाल जी ने कल कहा था कि उसकी परिभाषा बदल कर लगाया गया जिसमें आढ़ती भी आ जायं। डीलर की परिभाषा १२ संशोधनों में से किसी में भी नहीं बदली गयी, लेकिन इसमें बदली जा रही है और एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा गया। स्पष्टीकरण नं० २ जिसके अनुसार आढ़ती और कमीशन एजेंट भी डीलर माने जायंगे, ताकि कोर्ट में मामला उठे ही नहीं। कच्ची-पक्की दो प्रकार की आढ़त होती है। यह भी नहीं साफ है कि किस आढ़त पर होगा। सब आ गये। आढ़त में जो किसान अपना अनाज लेकर जायगा वहां पर भी परचेज टैक्स लगेगा। यह एक नयी बात विधेयक द्वारा लायी गयी है जो पुराने ऐक्ट में भी नहीं थी और आढ़तों के द्वारा जो अनाज बिकता था उस पर पहले सेल्स टैक्स इस रूप में नहीं था। अब परचेज टैक्स को स्पष्टतया कानून के द्वारा लागू कर दिया गया। तीसरी बात यह है कि आपने जो सिंगिल प्वाइंट फूड ग्रेन्स पर परचेज टैक्स प्रपोज किया है वह चार नया पैसा रखा है। यह चार नया पैसा जब पुराने पैसे के हिसाब से लिया जाय तो ढाई पुराने पैसे फूड ग्रेन्स के ऊपर पड़ता है। अब आप देखेंगे इसी विधेयक में लग्जरी गुड्स पर भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। लग्जरी गुड्स की लिमिट ७ नया पैसा रखी गई है। तो आप देखें कि कितना कम फर्क है। एक तरफ लग्जरी गुड्स में ज्यादा से ज्यादा ७ नया पैसा लग सकेगा और दूसरी तरफ एसेन्शियल गुड्स जो हैं उन पर ४ नया पैसा। तो ४ नया पैसा सब से कम टैक्स की सीमा और लग्जरी गुड्स पर ७ नया पैसा सबसे अधिक। यह टैक्स नीति है सरकार की कि लग्जरी गुड्स और ऐसेन्शियल गुड्स में आधे से भी कम का अन्तर है। जब कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट यह थी कि लग्जरी गुड्स में और एसेन्शियल गुड्स के टैक्सेशन में एक और ३० का अनुपात होना चाहिये। आपने उसे खत्म कर दिया। टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की सिफारिश यह थी, जिसका हमने विरोध किया था पिछले साल कि अगर फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स लगाया जाय, एसेन्शियल आर्टिकल्स पर भी टैक्स लगाया जाय, तो हाफ परसेंट के हिसाब से लगाया जाय, यानी १०० में आधा पैसा, जिसका इंसीडेंस कंज्यूमर पर बहुत कम जायगा। इसका मतलब क्या है ? अगर टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को ही सरकार को मानना था तो हाफ परसेंट के हिसाब से आधा नया पैसा लगाती। ४ नया पैसा लगाया है, यानी ८ गुना ज्यादा परचेज टैक्स आप लैवी करने जा रहे हैं। दूसरे तरीके से लीजिये कि अगर आप टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हाफ परसेंट सेल्स टैक्स ४ प्वाइंट्स पर भी लगाते हैं तब भी वह २ नया पैसा होता है। तो आज जो परचेज टैक्स यह सरकार लगाने जा रही है यह नाम को सिंगिल प्वाइंट है, लेकिन इसका इंसीडेंस, अगर हम टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को देखें, तो इसका इंसीडेंस जितना ८ प्वाइंट्स पर मल्टिपिल प्वाइंट्स लगाते आधा नया पैसा के हिसाब से, तो वह अकेले इससे इंसीडेंस पड़ने जा रहा है। श्रीमन्, यह तो परचेज टैक्स की बात है।

फिर टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की दूसरी रिकमन्डेशन भी थी। वह यह कि फूड ग्रेन्स पर तो सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगना ही नहीं चाहिये किसी प्रकार का भी। वाल्यूम ३ के पेज ६५ पर छपा हुआ है कि—

"The most important exemption, so far as the single point part of the system is concerned, will be food grains."

इसमें लिखा हुआ है कि सिंगिल प्वाइंट सिस्टम में फूड ग्रेन्स पर एग्जेम्पशन होना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-सा नया विद्वान स्टेट में पैदा हो गया कि जो टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन के इस कथन के विपरीत कहते हैं कि एग्जेम्पशन सिंगिल प्वाइंट पर फूड ग्रेन्स पर नहीं होना चाहिये ?

भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने इस सदन में माना था हमारे प्रश्न के उत्तर में कि इस प्रदेश में अगर खाद्यान्नों की कीमत बढ़ रही है तो उसका एक मुख्य कारण यह फूडग्रेन्स के ऊपर सेल्स टैक्स का लगाना भी है । तो एक तरफ तो खाद्यान्नों की कीमतों में सन्तुलन न हो पा रहा हो, इन्फ्लेशन हो रहा हो और केन्द्रीय सरकार भी इस बात को कहती है पार्लियामेंट के अन्दर कि जो प्रदेशों की खाद्यान्नों के ऊपर सेल्स टैक्स लगाने की नीति है उससे फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फूडग्रेन्स एन्क्वायरी कमेटी बैठी और आज भी जिसका कोई हल सरकार नहीं कर पा रही है । इतना जानते हुए भी हमारी सरकार खाद्य नीति के विरुद्ध जाकर सेल्स टैक्स लगा रही है ।

श्रीमन्, सारी फाइलें तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो केन्द्रीय खाद्य मंत्री हैं उनके पार्लियामेंट में दिये गये वक्तव्य को पढ़ने से भी स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों पर सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स या कोई भी टैक्स लगाने के कम से कम खुले हुए रूप में तो विरुद्ध है । नहीं तो आज तक इतनी कान्फेरेन्सेज हुईं । फाइनेन्स मिनिस्टर्स कान्फरेंस हुई । मैं जानना चाहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, वह बतलायें कि क्या किसी फाइनेंस मिनिस्टर्स कान्फरेंस ने आज तक यह रिकमेंडेशन की कि फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स लगाया जाय । मैं समझता हूं कि नहीं की । अगर की होती तो बहुत पहले आ जाता अखबारों में । मेरे विचार से सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी तक यह पालिसी नहीं हुई है कि फूड ग्रेन्स पर यूनिफार्म रूप से सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स लगाया जाय । तो इसलिये भी मैं यह समझता हूं और यह मांग करता हूं कि फूड ग्रेन्स पर परचेज टैक्स या सेल्स टैक्स के नाम पर कोई टैक्स लगाना यह इस समय खाद्य नीति के विरुद्ध है । यह इस समय जो इन्फ्लेश्नरी प्रोसेस हमारे मुल्क में है उसको बढ़ाता है । आज कीमतों के उतार-चढ़ाव की जो प्रक्रिया है उसको यह अवरुद्ध करता है । उसकी गति को एक ओर अवरुद्ध करता है और दूसरी ओर तीव्र करता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को माननीय मंत्री जी वापस लें । मैं और भागों को तो प्रवर समिति में भेजने से सहमत हूं, लेकिन परचेज टैक्स लगाने का जहां तक सवाल है मैं चाहता हूं कि वह वापस हो, कम से कम वह क्लाजेज माननीय मंत्री जी वापस लें ।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक के द्वारा बिजली पर सेल्स टैक्स लगाने की बात भी सरकार सोच रही है । श्रीमन्, पहले डीलर्स की परिभाषा जो पुराने ऐक्ट में थी उस परिभाषा में साफ तौर पर लिखा हुआ था—

"Dealer" means any person or association of persons carrying on the business of buying or selling goods in Uttar Pradesh, whether for commission, remuneration or otherwise, and includes any firm or Hindu joint family and any society, club or association which sells goods to its members but does not include any department of State Government or of the Central Government."

तो पहले जो डीलर की परिभाषा थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं आते थे । अब जो इस विधेयक के द्वारा जोड़ा जा रहा है इसको हटा करके उसमें है —

"and also includes any department of the State Government or the Central Government which carries on such business and any undertaking engaged in the generation or distribution of electrical energy or any other form of power."

यह क्या है श्रीमन्, ? यह सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी डीलर्स की परिभाषा के अन्दर शामिल करता है । प्रत्येक प्रकार की अंडरटेकिंग्स को शामिल करता है । एलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स को शामिल करता है और किसी तरह की पावर-जनित, विद्युत्-जनित अंडरटेकिंग्स को भी शामिल करता है । इसका मतलब यही है कि सरकार ने अपना विचार बदल दिया है । पहले का यह विचार नहीं था कि बिजली पर सेल्स टैक्स या परचेज टैक्स लिया जाय या कोई भी गवर्नमेंट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

डपार्टमेंट हो उसमें सेल्स टैक्स लिया जाय, लेकिन अब हो गया है, नहीं तो डीलर की परिभाषा क्यों बदली ? अगर माननीय मंत्री जी का, जैसा कि उन्होंने कहा, इरादा नहीं है तो मेरा संशोधन मान लें और डीलर की पुरानी परिभाषा कायम रहे । अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर डीलर की परिभाषा में सरकारी अंडरटेकिंग्स और सरकारी डिपार्टमेंट को क्यों जोड़ा ? सरकार ने डीलर की परिभाषा को आमूल चूल बदला है और सरकारी विभागों को शामिल किया है । इसलिये यह विधेयक खाली प्रोसीजरल नहीं है । सबसे अधिक अमेंडमेंट्स हैं जो विधेयक में बुनियादी रूप से परिवर्तन ला रहे हैं ।

इसके बाद, श्रीमन्, इसमें यह भी कहा गया है कि ७ नये पैसे लग्जरी गुड्स में लगायेंगे । श्रीमन्, माननीय धर्मसिंह जी ने मुझे गवर्नमेंट आफ इंडिया के उस पत्र को दिखलाने की कृपा की है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में भेजा है, लेकिन उस पत्र में किसी लग्जरी गुड्स का नाम नहीं है, बल्कि स्पेशल गुड्स का नाम है । इसमें जिस धारा को वे संशोधन करने जा रहे हैं उसमें लग्जरी गुड्स या स्पेशल गुड्स किसी का नाम नहीं है, खाली गुड्स का नाम है । तो कैसे माना जाय जब तक कि हमारे सामने नोटिफिकेशन न आये कि माननीय वित्त मंत्री जी जो ६ नये पैसों को बढ़ा कर ७ नये पैसे करने जा रहे हैं वे केवल लग्जरी गुड्स के लिये हैं । न तो विधेयक में और न गवर्नमेंट आफ इंडिया के पत्र में लग्जरी गुड्स का नाम है । अतएव ७ नये पैसे जो बढ़ाये जा रहे हैं वे केवल लग्जरी गुड्स के लिए हैं यह विधेयक से या गवर्नमेंट आफ इंडिया के पत्र से साबित नहीं होता । मैं माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी की उक्ति से सहमत हूं कि लग्जरी गुड्स पर इन ७ नये पैसों को लगाया जा रहा है तो इसमें हमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है अगर रेडियो सेट, रेफरिजिरेटर इत्यादि लग्जरी गुड्स पर यह लगाया जाता है । उस पत्र को देखने के बाद मैं इस प्रस्ताव का विशेष समर्थन नहीं कर सकता ।

तीसरी बात यह है कि व्यापारियों को त्रस्त करने की शक्ति जो पहले सेल्स टैक्स अधिकारियों को थी वह इस विधेयक द्वारा ६ गुना बढ़ाई जा रही है । पहले उनको १५ दिन तक रजिस्टर वगैरह रखने का अधिकार था, लेकिन अब ९० दिन तक रख सकते हैं और १५ दिन तक व्यापारियों के रजिस्टर रखने से जो उनको तकलीफ होती है वह अब ६ गुना बढ़ने जा रही है और यह भी कर दिया गया है कि सेल्स टैक्स कमिश्नर के लिखित आर्डर के बाद ही पहले सेल्स टैक्स आफिसर छानबीन कर सकता था, लेकिन अब सेल्स टैक्स आफिसर को स्वयं अधिकार है कि वह बिना सेल्स टैक्स कमिश्नर को रेफर किये हुए छापा मार सकता है और ९० दिन तक सारे कागजात को और बहियों को अपने पास रख सकता है ।

एक नई परेशानी इस विधेयक के द्वारा यह होने जा रही है कि परचेज रजिस्टर भी मेनटेन होंगे । अब तक तो सेल्स रजिस्टर ही रखे जाते थे । मल्टिपिल प्वाइंट और सिंगिल प्वाइंट सेल्स टैक्स के रजिस्टर रक्खे जाते थे, लेकिन अब परचेज का भी रजिस्टर होगा । तो यह मैं नहीं मानता कि इस विधेयक से व्यापारियों को बड़ी आसानी होने वाली है, बल्कि उन कठिनाइयों को बढ़ाने वाला यह विधेयक है । जांच और छानबीन हो, उसमें किसी को एतराज नहीं है । इवेजन रोकने के लिये जरूरी होता है कि थोड़ी बहुत छान-बीन हो, लेकिन जब किसी राज्य में कहीं भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि १५ दिन और हफ्ते भर के रजिस्टर रखने का प्राविधान हर ऐक्ट में है, तो यहां ९० दिन का रखने की क्या आवश्यकता पड़ी ? सेल्स टैक्स स्टाफ भी बहुत बढ़ा दिया गया, कम नहीं है । इस पर तीन-तीन महीने तक रजिस्टरों को अपने यहां रखना कहां तक उचित होगा, यह विचारणीय प्रश्न है । अग्रवाल जी ने पूर्व निश्चित शंका सी की थी, मैंने इसका इसलिये विरोध नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट को अपील करने का अख्तियार क्यों दिया गया है । वह दिया है तो कोई नयी बात नहीं की । माननीय अग्रवाल जी अगर देखें, मैं आपके द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह अपील सुप्रीम कोर्ट में तब लाई करेगी जब हाईकोर्ट सर्टिफिकेट दे देगा । तो हाई कोर्ट तो दे ही सकता है । अगर हम न लिखते तब भी वैसा होता, क्योंकि हाईकोर्ट से स्पेशल लीव आफ अपील कोई भी पार्टी कर सकती है

और हाईकोर्ट इजाजत दे सकता है कि आप अपील करें या न करें। यह विधेयक में लाजमी नहीं है कि हर केस में अपील के लिए हाईकोर्ट लिखेगा, तो यह कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर हाईकोर्ट को यह डायरेक्ट करें कि तीन जजेज की बेंच होगी या चार की होगी जो कि चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के हैं उनका प्रेरोगेटिव है कि कितने जजों की बेंच बैठेगी, उसके सम्बन्ध में अगर हम डायरेक्टिव दें अपने यहां से तो वहां मेरा एतराज था। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में भी स्पष्ट करेंगे।

इसके अतिरिक्त पांचवीं कठिनाई मेरी यह है कि इस ऐक्ट में "सेल" की परिभाषा तो दी हुई है "परचेज" की नहीं दी हुई है। विधेयक में जहां-जहां भी संशोधन किये हैं वहां "गुड्स" की परिभाषा है, "सेल" की है, "डीलर" की है, "परचेज प्राइस" की है, "टर्न आफ परचेज" की है। परचेज टैक्स लगने जा रहा है, लेकिन "परचेज" की परिभाषा नहीं है।

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—"परचेज प्राइस" की तो है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो फिर "सेल" की क्यों परिभाषा आपने दी? इस प्रकार का ऐक्ट जो कि परिभाषा की दृष्टिकोण से भी उचित नहीं, जो व्यापारियों की कठिनाइयों को बढ़ाने वाला है, जो खाद्य-नीति के विरुद्ध है, जो इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाला है, जो निरंतर जनता की मांग रही है कि खाद्यान्न पर से सेल्स टैक्स हटाया जाय उसके विपरीत जाता है और तमाम मुश्किलों को बढ़ाने वाला परचेज टैक्स लगाता है, ऐसे बिल का हम किस प्रकार स्वागत कर सकते हैं? मैं तो इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का इसलिये समर्थक हूं कि अगर यह वहां जाता है तो हमारा उसमें यह संशोधन होने जा रहा है कि हम इन सब खंडों को डिलीट करायें जो कि खाद्यान्न पर जो परचेज टैक्स लगाती हैं और केवल वही नहीं, बल्कि जो सेल्स टैक्स का पुराना स्लैब सिस्टम है उसको भी खत्म करें। हम यह नहीं चाहते हैं कि इसके खत्म होने के बाद पुराना सिस्टम लागू हो। आप उसे मल्टी प्वाइंट कहें, चाहे जो कहें, स्लैब सिस्टम कहें, हम उसे खत्म करना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी के लिये वित्त मंत्री जी ने कहा कि ४–५ दिन पहले बनायी थी। मैं जानना चाहता हूं कि अबतक दो अमेंडिंग बिल आ गये हैं, क्यों नहीं सेल्स टैक्स एडवाइजरी कमेटी को इसमें स्थान दिया गया? आप अपनी मर्जी की ऐडवाइजरी कमेटी बनाना चाहते हैं, सरकार तो चाहती है कि जब चाहें नोटिफिकेशन वह इश्यू करे। क्यों नहीं इसको विधेयक में स्थान दिया जाता है?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—इसमें लिखा हुआ है।

श्री राजनारायण—हाफिज जी क्यों गलत बतलाते हैं, इसमें कहां लिखा हुआ है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं है। हाफिज जी अपने चश्मे से ही देख सकते हैं। जो सेल्स टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी के अधिकार हैं वह भी इसमें स्पष्ट होने चाहिये। इसलिये हम इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाना चाहते हैं।

एक बात मैं और कह दूं कि एक गलतफहमी हो रही है। १७ दिसम्बर, १९५७ को यू० पी० सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल कर कपड़े तथा दो तीन और आइटम्स चीनी वगैरह पर से सेल्स टैक्स हटा लिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि इससे जनता को कुछ राहत मिली है। वह तो एक्साइज ड्यूटी के नाम से जनता के ऊपर लदी हुई है। तो यह समझना कि इससे जनता को कोई राहत मिल गई है, ठीक नहीं है, बल्कि वह और बढ़ गई है, घटी नहीं है। इसलिये अत्यंत संक्षेप में मैंने निवेदन किया है, क्योंकि समय बहुत ही कम है और भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। मेरी यह मांग है कि या तो इस विधेयक को वापस ले लिया जाय या इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि जिन विषयों पर मैंने कहा है उन पर उसमें विचार हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि संक्षेप शब्द का अर्थ बदलना पड़ेगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, ...

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है इसलिये थोड़े में ही आप अपनी बात कहिये ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सोशसिस्ट पार्टी का जब कोई सदस्य खड़ा होता है तो उसी समय आपत्ति हो जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा मालूम होता है कि वह हमेशा खड़े होते होंगे ।

(हंसी)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप अपनी कुर्सी जरा पीछे हटा लें तो हमारे ऊपर भी नजर पड़ जाया करे ।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, सेल्स टैक्स पर अपनी पार्टी की ओर से मैं ही खड़ा हुआ हूं और आप यह कहें .....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने तो आप से अपील की है कि आप संक्षेप में कहें क्योंकि समय कम है । मेरा इरादा नहीं है कि मैं आपको बिठा दूं ।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, नारायणदत्त जी ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनके समर्थन में हूं और इसके अलावा कुछ बातें मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूं । ऐसी कोई चीज मेरी तरफ से नहीं होगी कि आपको कहना पड़े कि रिपीट कर रहे हो । इस विधेयक का उद्देश्य यह नजर आता है कि व्यापारी वर्ग की जिन्दगी को लेकर सेल्स टैक्स आफिस की जेब में डाला जाता है । इससे बड़ा करप्शन बढ़ेगा । इस बिल से अनलिमिटेड पावर्स आप अधिकारियों को दे रहे हैं कि वह जब चाहें लाइसेंस जब्त कर सकते हैं और अब तक १५ रोज तक स्टाक रोक सकते थे अब वह ९० दिन तक रोक सकेंगे । इतने दिन तक उसका बिजनेस ठप्प रहेगा । सरकार जितनी ताकत अधिकारियों को देती जा रही है उससे जाहिर है कि इस सूबे में करप्शन और बढ़ जायगा । एक तरफ तो सरकार की नीयत यह होनी चाहिये कि हम इस बिल के जरिये से जनता को राहत दें, सरकार इस सूबे से करप्शन को हटा ले, लेकिन इस बिल के जरिये से अब हम कई गुना करप्शन बढ़ा रहे हैं और कई गुना ताकत अफसरों के हाथ में देते जा रहे हैं । इससे होगा यह कि जितना भी व्यापारी वर्ग है वह टैक्स को बचाने के लिये हर किस्म की तरकीब सोचेगा और वह टैक्स बचायेगा भी क्योंकि आपने सेल्स टैक्स अफसर को यह अधिकार भी दे रखा है कि अगर कोई व्यापारी नहीं मानता है तो उसके लाइसेन्स को वह छीनेगा और छीनने के पहले उससे सांठ-गांठ भी करेगा । अगर वह उसी को रुपया दे देता है तो सब का सब पैसा अधिकारियों के हाथ में चला जायगा । इसलिये मैंने तो यही समझा कि इस बिल से शायद सरकार का उद्देश्य करप्शन को बढ़ाना है ।

मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट को चाहिये था कि इस बिल के जरिये से वह यह करती कि सिर्फ एक जगह टैक्स डालती यानी प्रोडक्शन पर । जहां पर मिलों के अन्दर चीजें बनती हैं वहीं वह टक्स को डाल देती । तब फिर कोई गुंजायश करप्शन की उसमें नहीं रह जाती । यह चीज न कर के किया यह गया कि जब वह परचेज करेगा तब टैक्स लगेगा । इसलिये सरकार की नीयत साफ है । एक जगह टैक्स डालने से जनता को भी आसानी होगी और व्यापारियों को भी आसानी होगी ।

अगर हमारे मंत्री महोदय एक दुकान को चलायें और उसमें हर किस्म की चीजें रखें, उसमें साबुन भी हो, तेल भी हो और दूसरा सामान भी हो तब फिर वे खुद देख सकते हैं कि वे हल्दी पर, धनिया पर, तेलपर, साबुन पर अलाहदा-अलाहदा क्या क्या टैक्स डालेंगे इससे जाहिर है कि मंत्री जी का खुद दिमाग साफ नहीं है । दो-दो महीने के अन्दर दो-दो अमेंडमेंट्स आने का मतलब यह है कि सरकार खुद नहीं जानती कि वह क्या चीज करने जा रही है । इसलिये अगर एक ही दुकानदार कई चीजें बेचता है तो वह अपने रजिस्टर को ठीक नहीं रख सकता है ।

दूसरी चीज यह है कि जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जैसे ग्रेन्स, दवाइयां, पढ़ाई की चीजें इन पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। आवश्यक चीजों के ऊपर टैक्स डालना इस चीज का प्रमाण है कि यह सरकार जनता को जरूरी चीजों से भी महरूम रखना चाहती है। पूर्व के जिलों में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों को दवाई नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, आटे के बजाय लोग आम की गुठली खाते हैं। ऐसी सूरत में अगर गरीबों से भी अनाज पर, कपड़े पर और दवाई जैसी चीजों पर भी टैक्स लिया जाता है तो यह जाहिर है कि इस सरकार का हर कदम इतना गिरा हुआ है कि शायद अगर कोई राक्षसी राज्य हो तो वह ऐसा कदम उठा सकती है। इसलिये आवश्यक है कि दो चीजें बांट दी जांय। जो चीजें जनता के लिये जरूरी हैं उनको टैक्स से फ्री किया जाय। जो लग्जरी गुड्स हैं उन पर टैक्स डाला जाय। यह कहा गया कि लग्जरी गुड्स पर टैक्स लगाया गया है। उसके अन्दर बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जो जनता के लिये जरूरी हैं। लग्जरी गुड्स को उसके अन्दर डिफाइन करना चाहिये। हमारे माननीय मंत्री जी ने लग्जरी गुड्स को डिफाइन नहीं किया है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि इन तमाम चीजों को आप बांट दें। एक तरफ वे चीजें जो जरूरी हैं उनको रखा जाय और दूसरी तरफ जो जरूरी नहीं हैं। आपका सिस्टम यह होना चाहिये कि जो जरूरी चीजें हैं उन पर टैक्स न डाला जाय। जो लग्जरी चीजें हैं उन पर टैक्स डाला जाय और उनके ऊपर ही टैक्स लिया जाय।

दूसरी चीज यह है कि जितने भी छोटे-छोटे कमीशन एजन्ट्स् हैं जो गांव में अपना रोजगार करते हैं उनकी जिन्दगी को आपने इस बिल के जरिये से खत्म कर दिया है। अब वह किसी किस्म का व्यापार नहीं कर सकते। मुश्किल से एक परसेन्ट पर थोड़े से मुनाफे पर वह अपना रोजगार किया करते थे। माल लेकर खरीदार को बेच दिया करते थे। अब वह कमीशन एजेन्ट क्या करेंगे? अब उन कमीशन एजेन्ट्स् को हजारों रुपया सरकार को सालाना देना पड़ेगा। वह दिन भर में मुश्किल से ३, ४ रुपया, बावजूद इसके कि वह छोटा-छोटा कमीशन एजेन्सी का काम करते थे, पैदा करते थे। अब वह इससे खत्म हो गये। आपने अपने इस बिल से एक वर्ग को खत्म कर दिया है जो काश्तकारों से सम्पर्क रखकर परचेजर को मिलाता था। वह बीच का काम करता था। अब वह क्या काम करेगा? वह गाड़ियों को छिपाने की कोशिश करेगा। अगर उसने ८ गाड़ी तौली हैं तो वह २ गाड़ी दिखायेगा और ६ गाड़ियों को छिपायेगा। क्यों सरकार उसको मजबूर करती है कि वह कमीशन एजेन्ट से ऐसा कराये? माननीय मंत्री जी जानते हैं कि हापुड़ के अन्दर किस तरीके से कमीशन एजेन्सी का काम होता है। वह थोड़े से मुनाफे पर अपना रोजगार चलाते हैं। अब वह छोटे-छोटे कमीशन एजेन्ट क्या करेंगे? अब वह अपना बहीखाता नहीं रखेंगे क्योंकि आखिरकार वह खरीद के अन्दर डील करता है। वह उस रोजगार के अन्दर शामिल रहता है। इसलिये आप ऐसा बिल लाये हैं जिससे व्यापारी को मजबूर करते हैं कि वह ऐसा करे। आपका बिल साफ होना चाहिये था जिससे व्यापारी किसी तरह से टैक्सेशन का इवेजन न कर सके। उसकी टैस देने की प्रवृत्ति हो। अब वह टैक्स देने से बचने की कोशिश करेगा क्योंकि अगर वह इससे बचेगा नहीं तो वह खुद अपनी रोजी को खत्म करेगा।

ग्रेन्स के ऊपर श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा कि टैक्सेशन नहीं होना चाहिये। इनसे हटना चाहिये। पिछली दफा भी जब बहस हुई थी तो मैंने कहा था कि आपके टक्सेशन का एक ही मकसद होना चाहिये और वह यह कि अमीर से ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाय लेकिन आपकी परिभाषा ऐसी है कि जिसकी आमदनी एक हजार रुपया है उससे भी उतना ही टैक्स लिया जाय और जिसकी आमदनी १० रुपया है, गरीब आदमी है उससे भी उतना ही टैक्स लिया जाय जितना कि हजार रुपये आमदनी वाला आदमी देता है। अगर आई० जी० कोई धोती खरीदता ह तो उससे भी उतना ही टक्स लिया जाय और एक चपरासी एक धोती खरीदता है तो उससे भी उतना ही टक्स लिया जाय। आपके लिये टैक्स उस साढ़े तीन हजार आमदनी वाले से भी ६ आना ह और चपरासी से भी उतना ही है। जरूरी सामग्री पर गरीब से गरीब आदमी को भी उतना ही टैक्स देना पड़त।

[श्री बलवानसिंह]

है। आपकी परिभाषा यह होनी चाहिये कि कम से कम जो जरूरी चीजें हैं उन सब को आप फ्री आफ टैक्स कर दें। यह कहीं भी आपकी इन चीजों में नहीं है। श्रीमन्, कानपुर शहर के अन्दर ७ रोज तक गल्ला व्यापारियों की हड़ताल चली और सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये था। अब भी हर महीने में पहली तारीख को गल्ला व्यापारी संघ द्वारा कानपुर के अन्दर तमाम मार्केट बन्द रहता है और जनता की परेशानी वही है। सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं सोचा। अगर इस तरीके से सरकार लोगों की मांगों को ठुकराती रहेगी और कोई जवाब नहीं देगी तो फिर जनता के साथ क्या चारा होगा? वह मजबूर होगी किसी कदम को उठाने के लिये अगर आप जवाब नहीं देते। अगर आप बिल लाते भी हैं तो ऐसा बिल लाते हैं जिसको किसी भी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। मेरा खयाल है कि सरकार की भी नीयत यही होती है कि वह उस किस्म का बिल लावे जिसमें लोग कहीं अपनी बचत कर सकें और इस देश के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ सके और उसके अन्दर अफसरान भी अपनी मनमानी कर सकें।

श्रीमन्, एक चीज मैं और रखना चाहता हूं और वह यह कि जैसा माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय, तो अगर इसी को भेजा जायगा तो कोई फायदा नहीं होगा जैसा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स संशोधन बिल के सम्बन्ध में भी कहा गया था, इसमें भी कोई जिन्दगी नहीं है। अगर इस किस्म के बिल जनता के सामने आयेंगे, और खासतौर से जिनका व्यापारियों और उपभोक्ताओं से सम्बन्ध होगा तो उससे भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं होगी बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही। सरकार को चाहिये कि वह कोई कम्पलीट बिल लावे क्योंकि यह इनकम्पलीट बिल है। खुद माननीय मंत्री जी भी सोचेंगे कि यह कम्पलीट बिल नहीं है। इसलिये इस बिल को कम्पलीट करने के लिये, जैसा कि नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा, उन कमियों को दूर करें और दूर करने के बाद अपनी एक ऐसी पालिसी निर्धारित करें जिससे किसी किस्म से अफसरान को मौका न मिल सके कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसा या रिश्वत जनता से ले सकें।

दूसरी चीज यह कि जनता को भी यह एहसास हो कि उनकी जरूरियात की चीजों के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं लिया जायगा।

श्रीमन्, एक चीज मैं और खासतौर पर रखना चाहता हूं कि सरकार को इस चीज में क्या आपत्ति है कि जहां पर चीज पैदा हो, वहीं पर टैक्स डाला जाय। मान लीजिये जैसे कपड़ा है, अगर पद्मपत सिंहानिया के यहां मिल में कपड़ा बने, अगर २ करोड़ गज कपड़ा बनता है तो उस दो करोड़ गज कपड़े पर वहीं सेल्स टैक्स डाल दिया जाय यानी मिल के अन्दर ही यह चीज कर दी जाय। जहां चीज मैनुफैक्चर होती है वहीं पर अगर टैक्सेशन को डाल दिया जायगा तो फिर एक चीज जो निर्धारित हो जाती है उसके अन्दर कोई गुंजायश नहीं होती है कि अफसरान भी उसमें बेईमानी करें या किसी किस्म की व्यापारी भी बेईमानी करें। इस तरह से हम एक निर्धारित चीज जनता के सामने रख सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जहां माल मैनुफैक्चर हो वहीं पर टैक्सेशन डाला जाय। दूसरी बात यह है कि इस माल के इम्पोर्ट के ऊपर भी टैक्सेशन हो, किसी तीसरी चीज पर टैक्सेशन की जरूरत नहीं है। इसलिये केवल इम्पोर्ट्स पर और मेनुफैक्चरर्स पर ही यह टैक्स लगे और इससे किसी तरीके की गन्दगी या भ्रष्टाचार की गुंजायश नहीं रहेगी। मैं आशा करता हूं कि जो बातें सुझाव के तौर पर मैंने कहीं हैं उनको माननीय मंत्री जी मानेंगे और इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की कृपा करेंगे ताकि वहां पर इसकी वह कमियां और खराबियां दूर हो जायं और एक नया बिल संशोधित हो कर हमारे सामने आये।

*श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय वित्त मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी द्वारा जो यह विधेयक सदन में लाया गया है उसके ऊपर जो संशोधन माननीय गोविन्द सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात में विश्वास करता हूं कि मनुष्य के लिये सब से आवश्यक चीज उसका जीवन स्तर होता है, परन्तु इस सेल्स टैक्स के कारण समाज का जीवन स्तर जितना गिरा है वह सब लोग जानते हैं। हमारे देश के सभी वर्ग के लोगों ने जब सन् १९४८ में यह बिक्रीकर कानून आया था तो इसका विरोध किया था और जगह-जगह पर इसके विरोध में हड़तालें और प्रदर्शन हुये थे, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे कार्यान्वित किया। आज उसका नतीजा यह हुआ है कि इस टैक्स से व्यापारी वर्ग और जनता कराह उठी है यानी वह व्यापारी वर्ग, जिसको समाज का एक सम्मानित वर्ग समझा जाता था आज उसको जनता बेईमान समझने लगी है और जो लोग वाकई कभी किसी तरह की बेईमानी नहीं करते थे वह मजबूर होकर अपना व्यापार चलाने के लिये अनैतिक चीजें करते हैं। मैं व्यापारी होने के नाते उनकी कठिनाइयों को जानता हूं। यह सही है कि व्यापारी वर्ग चाहता है कि सरकार को सेल्स टैक्स मिले, लेकिन उसकी वसूली की जो दिक्कतें हैं उनको वह बरदाश्त नहीं कर पाता है और उसको परेशानियों से बचने के लिये उसको तमाम बातें करनी पड़ती हैं। एक ही बाजार में २ तरह के व्यापारी हैं, एक वह व्यापारी जिनको सेल्स टैक्स देना पड़ता है और दूसरे वह जिनको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता। इस तरह से वह व्यापारी जिनको सेल्स टैक्स देना पड़ता है दूसरे व्यापारियों के मुकाबले में नहीं ठहर पाते और उनको तरह-तरह की गलत सही बातें करनी पड़ती हैं। अफसरों और क्लर्कों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और न मालूम किस-किस तरह से अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है। इसलिये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रकार का टैक्स न लगायें जिससे जनता कराह उठे। एक तो सब से गलत चीज यह है कि गल्ले के ऊपर सेल्स टैक्स हो और दूसरे आज जनता भूख से मर रही है उसकी क्रयशक्ति नष्ट हो गई है, लोग आम की गुठली खाकर गुजर कर रहे हैं। अगर इस देश में यह सेल्स टैक्स का लगाया जाना तय हो ही चुका है तो मैं यह सुझाव दूंगा कि यह टैक्स उत्पादन पर ही लगाया जाय। समाज में जो बुराई इससे पैदा हुई है उसे हमें नहीं भूलना चाहिये कि जनता ने बेईमानी की ओर कदम बढ़ाया है।

दूसरा मूल सुझाव मेरा यह है कि हमें गल्ले के ऊपर कतई सेल्स टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मैं आप के द्वारा सरकार को बताऊंगा कि जनता की क्रयशक्ति इस कदर घटी है कि वह टैक्स के भार से उठ तक नहीं पा रही है। अगर ऐसी ही दशा रही तो आगे सिवा रिवोलूशन के और कुछ नहीं हो सकता है। जब हम यह जानते हैं कि जनता भूखों मर रही है और उसकी क्रयशक्ति नहीं है तो हमें चाहिये कि हम अपने खर्च न बढ़ायें। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं और हम देखते हैं कि वह कार्यान्वित नहीं हो पाती तो हम यह न सोचें कि जनता का खून चूस कर उसको कार्यान्वित करें। पंचवर्षीय योजना को हम सप्तवर्षीय योजना भी कर सकते हैं। उसको सप्तवर्षीय योजना करके जनता के भार को कम करें। आज हमसे बार-बार यही कहा जा रहा है कि पैसा कहां से लाया जाय। दूसरे यह कहा जाता है कि विरोधी दल के लोग सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब इस ओर और उस ओर दोनों तरफ के बैठने वाले सभी जानते हैं कि सेल्स टैक्स एक ऐसी लानत है जिसने समाज को छिन्न-भिन्न कर दिया है, अस्त-व्यस्त कर दिया है तो ऐसे टैक्स को आमूल रूप से नष्ट कर दें।

मैं माननीय गोविन्दसिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इस विधेयक को दो महीने के लिये प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो उस पर आमूल रूप से विचार करके जो चीज ठीक हो वह सदन के सामने लाये। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से रूस में जार की हुकूमत गरीब जनता से पैसा खींच कर आमोद-प्रमोद में खर्च करती थी उसी प्रकार यह सरकार कोई ध्यान नहीं देती जब कि इधर और उधर दोनों ओर के बैठने वाले लोग इस चीज को कहते हैं। मैं रोज देखता हूं कि इधर के लोग और उधर के लोग एक ही बात बतलाते हैं कि सेल्स टैक्स बड़ी खराब चीज है तो हमें इस पर विचार करना चाहिये कि जब सारे लोग यह चाहते हैं और अगर हम अपनी मर्जी को किसी पर ठूसेंगे तो आने वाली संतानें हमें माफ नहीं करेंगी। श्रीमन्,

[श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल]

मैं आपके द्वारा यहां तक माननीय मंत्री जी से कहने के लिये तैयार हूं कि अगर वह इस तरह की जिद पर अड़े हुए हैं तो जो टैक्स लगा रहे हैं, वह उसके लिये बधाई के पात्र हैं, वह इसलिये कि वह आपोजीशन को बढ़ावा दे रहे हैं कि आगे जनता इस तरह से कराह उठेगी कि वह आगे आने के योग्य नहीं रह सकेंगे । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार को यह भी बता देना चाहता हूं कि वह इस बात पर पूर्ण रूप से ध्यान दे और जो श्री गोविन्दसिंह जी द्वारा संशोधन लाया गया है उसको मंजूर कर लें ।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में माननीय नारायणदत्त जी ने कुछ कानूनी आपत्तियां उपस्थित की हैं। आपने कहा कि मूल ऐक्ट का नाम सेल्स टैक्स ऐक्ट है। इसके प्रिएम्बिल में भी केवल सेल्स टैक्स के संबंध में उल्लेख है। इसके साथ-साथ आपने यह कहा कि चूंकि प्रस्तुत विधेयक में परचेज टैक्स लगाने का प्रस्ताव है इस वजह से परचेज टैक्स का मूल ऐक्ट में समावेश नहीं हो सकता है।

इस संबंध में मैं निवेदन कर दूं जहांतक टाइटिल अर्थात् नाम का सवाल है कि मूल ऐक्ट का नाम सेल्स टैक्स ऐक्ट है सही किन्तु उससे ऐक्ट किसी प्रकार से मर्यादित नहीं हो जाता। उस नाम से कोई सीमायें उसकी नहीं बंध जातीं। टाइटिल किसी भी प्रकार से एक ऐक्ट के अन्दर के कन्टेन्ट्स या ऐक्ट के विषय को कंट्रोल नहीं करता। कदाचित् यह बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि किसी व्यक्ति का नाम अगर धनीराम हो तो वह गरीब नहीं हो सकता या औसत दरजे का आदमी नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। यह एक भ्रमवश ही श्री नारायणदत्त जी टाइटिल पर इतना जोर दे रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं टाइटिल और प्रिएम्बिल दोनों को मिलाकर जोर देता हूं।

श्री मदनमोहन—मैं अभी निवेदन कर देता हूं ।

प्रिएम्बिल के संबंध में आप कहते हैं कि उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि:—

"It is expedient to provide for the levy of tax on the sale of goods in United Provinces....."

यह प्रिएम्बिल में लिखा हुआ है और बहस यह है कि चूंकि प्रिएम्बिल कानून की कुंजी होती है इस वजह से वही इस बात को प्रदर्शित करती है कि उस ऐक्ट का विषय क्या होना चाहिये। इस संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी कौंसिल या और जितने भी कानून के पंडित हैं उनका निश्चित मत है कि प्रिएम्बिल का कोई प्रभाव कुंजी होते हुये भी ऐक्ट पर नहीं पड़ता। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि अगर कुंजी किसी ताले की हो, और वह सोने की हो, तो उसका मतलब यह नहीं कि उस ताले को खोलकर कमरे में वे सोना ही पायेंगे और कुछ नहीं पायेंगे। प्रिएम्बिल की कुंजी से तो केवल एक संकेत मिलता है कि मूल ऐक्ट में सेल्स टैक्स संबंधी कुछ बातें हैं, और अगर सेल हुआ है तो सेल टैक्स के संबंध में और भी संबंधित बातें हो सकती हैं जो कि उस ऐक्ट में दी जा सकें। मेरा तो निवेदन यह है कि सेल एक ऐसा शब्द है जिसमें परचेज का समावेश स्वभावतः होता है। जहां सेल होगा वहां पर परचेज भी होगा। जहां क्रय होगा वहां विक्रय भी होगा। तो किसी सेल्स टैक्स के अन्दर अगर परचेज टैक्स का कोई उल्लेख आ जाय तो न तो वह अप्रासंगिक है और न यह कहा जा सकता है कि विधानतः उस टैक्स का समावेश ऐसे टैक्स में नहीं हो सकता।

अब आपके सामने फूड ग्रेन्स के ऊपर टैक्स जो लगाया जा रहा है उसके संबंध में बहुत बातें हुईं और यह विषय भी ऐसा है कि जो बड़ा नाजुक है। इस सदन में कोई भी

व्यक्ति नहीं जो इस बात से सहमत न हो कि हमारे प्रदेश की कौन कहे सारे भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति न दृढ़ है और न संतोषजनक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश के बहुत से ऐसे जिले हैं जहां के आदमी इतने मोहताज हो गये हैं कि उनको भरपेट खाना नहीं मिलता है, यह दुर्भाग्य है। इस सदन में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उनके साथ सहानुभूति अनुभव न करता हो, लेकिन जहां कुछ लोगों की या बहुत से लोगों की एक ओर मांग यह है कि उनको भर पेट खाना नहीं मिलता, मिलना चाहिये दूसरी तरफ यह भी मांग है और यह निर्विवाद है और वह मांग ऐसी है जिसको पूरा करना ही पड़ेगा, वह यह है कि हमारे प्रदेश की और भारतवर्ष की स्थिति ऐसी करने का प्रयत्न किया जाय कि जहां पर न तो कोई भूखा हो, न नंगा हो और न गरीब ही हो। यह भी देश की मांग है और इस मांग को पूरा करना प्रत्येक सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। श्रीमन्, सेल्स टैक्स केवल भारतवर्ष में नहीं यूरुप, अमेरिका, रशिया, आस्ट्रेलिया इन सब देशों में सेल्स टैक्स लगा है। आश्चर्य होगा कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन स्थानों में सेल्स टैक्स तब लगाया गया जबकि प्रथम महायुद्ध चल रहा था। जिस समय उनका देश अस्त-व्यस्त था। जिस समय वह क्षत-विक्षत लड़ाई की वजह से हो रहे थे, उस समय वहां वह टैक्स बांधा गया था। रशिया में टैक्स लगाया गया सन् २१ में जिस समय रशिया एक क्रान्ति को पार कर रहा था जिस समय रशिया अपने देश का निर्माण कर रहा था, उस समय रशिया में यह टैक्स लगाया गया था।

कैनाडा में १९२० में लगाया गया महायुद्ध की समाप्ति के उपरान्त। तो हमें यह दृष्टान्त इतिहास में मिलते हैं कि जब कोई देश क्षत-विक्षत होता है, जब उसके ऊपर आपदायें आती हैं, जब आवश्यकता पड़ती है कि वह अपने देश का निर्माण करे तो उसको ऐसे टैक्सों का आश्रय लेना पड़ता है। श्रीमन्, अगर यह बात है तो कदाचित हमें भी एक ठंडे मस्तिष्क से सोचना पड़ेगा कि क्या हम टैक्स खाद्यान्न पर लगायें या न लगायें। कल माननीय नारायणदास ने एक मंत्र सदन के समक्ष उपस्थित किया जिसका अर्थ यह था कि अन्न हमें प्राण देता है और इस टैक्स के द्वारा हमें प्राण देने वाली वस्तु पर टैक्स लगाया जा रहा है, कितना अन्याय है? श्रीमन्, जहां हम प्राण देने वाले अन्न को अपने प्रदेश के प्रत्येक घर में पहुंचाने की फिक्र में हैं तो क्या हमारा यह व्यक्तिगत कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि हम अपनी तरफ से यदि आज नहीं तो दस वर्ष के बाद आने वाली सन्तति के लिये कुछ अपने अन्न में से अपने भोजन में से कुछ आहुति दें। हम अपनी तरह से कुछ त्याग और तपस्या को ग्रहण करें ताकि उस त्याग और तपस्या से हमारे देश के नर-नारी आज नहीं तो कल लाभ उठा सकें। मैं तो माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह बिलकुल ठीक कहते हैं कि जनता की मांग है कि गरीबों की हड्डियों से तुम रक्त मत चूसो। मगर आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हमें अपने हाड़ और मास से रक्त देना ही पड़ेगा ताकि भावी सन्तति सुख और शांति का उपभोग करें। हमें खेद है कि कहा जाता है कि यह हमारा जबरदस्ती का सौदा है। मैं सिद्धान्ततः इसे ठीक मानता हूं कि टैक्स लेना चाहिये उससे जो टैक्स दे सके। परन्तु इस सदन के माननीय सदस्यों से मैं क्या निवेदन करूं जब मैं उस आदरणीय सदन में चारों तरफ दृष्टिपात करता हूं तो ऐसे ऐसे व्यक्ति यहां मौजूद दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व केवल भारत को स्वतंत्र करने के लिये निछावर कर दिया। जिस सदन के सम्मानित सदस्य ऐसे हों जिन्होंने अपने भविष्य को तिलांजली केवल इसलिये दे दी हो कि उनकी मातृ भूमि आजाद हो जावे, और आज से १० वर्ष पूर्व जो यही कहते थे कि हम भूखे रहेंगे, हम बिलखते रहेंगे, लेकिन अपने भाग्य का निर्माण अपने हाथों से करेंगे, लेकिन बिदेशी सत्ता द्वारा हमें सुख व शांति भी मिले तो हम उसका परित्याग करेंगे और अपना जीवन दान करेंगे, ऐसे सम्मानित सदस्यों का सदन आज हमें या जनसमुदाय को वही शिक्षा न देते हुए अच्छा नहीं मालूम होता। शोभा तो इस में है कि वे यह कहें कि हम सबको अत्यन्त त्याग करना आवश्यक है और उसके लिये प्रोत्साहित करते रहें। श्रीमन्, इसी दृष्टिकोण से इस विधेयक को मैं देखता हूं।

[श्री मदनमोहन]

सब से पहले सन् १९४८ में यह सेल्स टैक्स का विधेयक रक्खा गया था। उस समय उसके आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में निश्चित रूप से यह कहा गया था:—

"Provincial Government have started an extensive programme for the economic and cultural development of the Province. At the same time owing to prohibition income from excise is likely to shrink gradually. For the above two reasons and also due to the expanding activities of Government in other directions which have considerably increased the expenditure, it has become necessary to augment the revenues of the Province by additional taxation."

तो हम तो केवल यह चाहते हैं कि हम यथाशक्ति धन का संग्रह अपनी रेवेन्यूज के लिये करें जो देशहित में खर्च हो। मैं मानता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कर्मचारी वर्ग को अपने कर्त्तव्य पालन हेतु जैसा कार्य करना चाहिये वैसा वह नहीं कर पाते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारे औजार खराब हैं तो हम उस चीज का निर्माण करना छोड़ दें जिसको हम बनाना चाहते हैं। हमको अपने औजारों को उम्दा करना पड़ेगा। हमारे कर्मचारियों को और अच्छा होना पड़ेगा। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं अगर यह कहा जाय कि हमारे सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनमें राजनिष्ठा और देशभक्ति उतनी नहीं है जितनी कि हममें है। कुछ में कदाचित् न हो। हो सकता है कि वे परिस्थिति में पड़ कर अपने कर्त्तव्य को संतोषजनक रीति से पूरा न कर पाते हों, उसको सम्पन्न न कर पाते हों, लेकिन यह कह देना कि केवल चूंकि मैं कांग्रेस में हूं या कोई पी०एस०पी० या एस० पी० में है, वही राज-भक्त है, दूसरा नहीं है, यह गलत बात है और इस कारण से मेरा तो बहुत विनम्र निवेदन इस सदन से होगा कि वह जिस दृष्टि से राज-कर्मचारी को देखते हैं, शंकापूर्ण दृष्टि से, उस दृष्टि से देखना छोड़ दें, अगर कुछ सहायक दृष्टि से उनको सहयोग देना हो तो हो सकता है कि उनमें बहुत उन्नति हो जावे।

एक और निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्। बार-बार यह कहा जाता है कि वित्त मंत्री की नीति बैंकरप्सी की है, क्यों नहीं एक व्यापक बिल, एक काम्प्रेहेंसिव बिल इस सदन के समक्ष आता है? मेरी समझ में जो आरोप इस विधेयक के संबंध में लगाया जा रहा है वह प्रत्येक विधेयक के संबंध में समय-समय पर इस सदन में होता रहा है। कोई भी ऐसा विधेयक नहीं था, ऐसा अधिनियम नहीं बना जिसमें कुछ न कुछ संशोधन हम करने के लिये समय-समय पर विवश न हुये हों, श्रीमन्, यह दुख की बात है। कदाचित् इस घटना को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाय जो मैं निवेदन कर रहा हूं, तो वह एक सुख और आनन्द की बात भी हो सकती है।

इस समय हमारी स्वतंत्रता की शैशव अवस्था है यह मानना पड़ेगा। यह भी मानना पड़ेगा कि हमारे अनुभव बहुत कम और सीमित हैं और यह भी मानना पड़ेगा उसके साथ-साथ कि चाहे माननीय नारायणदत्त जी या राजनारायण जी हमारी कितनी भी टीका और आलोचना करते रहें, लेकिन जन-समुदाय अब जाग्रत है, वह जागरुक है और कुछ न कुछ उन्नति, यदि शत-प्रति-शत नहीं माना जाय तो ५ प्रतिशत, तो हो ही रही है। यह भी संतोष की बात है और प्रत्येक दल जो इस सदन के अन्दर है उसको यह मानना पड़ेगा। अगर हम एक प्रतिशत भी उन्नति कर रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। जो आज स्थिति है और जिस कानून की आवश्यकता हमें है, हो सकता है कि वही कानून कल पुराना पड़ जाय। उसकी आवश्यकता हम उतनी अनुभव न करें और उसमें संशोधन हम करें। कानून का संशोधन दो कारणों से हो सकता है। एक तो यह कहा जा सकता है कि पूर्णरूपेण इसपर विचार नहीं किया, दूसरी बात यह हो सकती है कि हम लोग इतनी उन्नति कर गये हैं कि अब वह कानून हमारे लिये पुराना पड़ गया है। हमारी और हमारे राज्य की स्थिति अभी प्रौढ़ स्थिति नहीं कही जा सकती और जब तक प्रौढ़ स्थिति को प्राप्त

न कर लेंगे तब तक यह कहना कि कोई कानून ऐसा बन जाय जो भविष्य के लिये दीर्घकाल के लिए उपयक्त हो जाय, यह मैं नम्रता से कहूंगा कि असम्भव है। जितना हम उन्नति की ओर चलेंगे वहां हमारे कानूनों में संशोधन भी होते रहेंगे। ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि जो संशोधन हो रहे हैं उनका एकमात्र कारण सुविचारहीनता है और हमारी उन्नति नहीं है। हो सकता है कि कुछ अंश सुविचार का अभाव हो। जब हम अपनी परिस्थितियों पर विचार करना छोड़ देंगे, हमारी जनता में जागृति है उसकी उपेक्षा करना छोड़ दें और वर्तमान जो मांगें हैं उनकी भी उपेक्षा करना छोड़ देंगे तो कदाचित् संशोधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संशोधन जो होते हैं वह इस बात के द्योतक होते हैं कि हम उन्नति के मार्ग पर हैं हमारी जनता जागृत है और हम उनके प्रति जागरुक हैं। अन्त में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि गोविन्द सिंह जी ने कहा कि डैमोक्रेसी का मतलब यह है 'एज आफ डिस्कशन' मैं उसमें इतना जोड़ने की धृष्टता करूंगा 'ऐन्ड आफ डिसीशन'। अब विरोधी दल के सदस्यों से मेरा नम्र निवेदन है कि जहां तक मुझे स्मरण है .....।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि समय कम है इसलिये वह संक्षेप में कहें।

श्री मदनमोहन--मैं समाप्त किये देता हूं। मैं कह रहा था कि पिछली बार जब एक संशोधन बिक्री कर का उपस्थित था तो उस वक्त वित्त मंत्री महोदय ने इसी सदन में घोषणा की थी और विरोधी दल तथा प्रत्येक सदस्य को आमंत्रित किया था कि वह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उनसे मिल सकते हैं, और कोई योजना उनके सामने रख सकते हैं। यदि मंत्री जी उनके सुझाव न मानें या सम्मानित सदस्यों को न समझा सकें कि जो कानून इस समय है वह ठीक है तो जो परिवर्तन और संशोधन विरोधी दल चाहेगा वह करने का यत्न किया जायगा। कदाचित् वह आज भी इसके लिये तैयार होंगे कि जो दिक्कतें इस कानून के संचालन में होती हैं उनके निवारण करने के लिये डिस्कशन करके, बातचीत करके वह प्रयास उसके विषय का करेंगे। मुझे विश्वास है कि जब इतनी उदारता से आमंत्रण दिया जा रहा है तब इस विधेयक में अड़ंगे न लगाकर पारित किया जाय उन संशोधनों के साथ जिनको सदन उचित समझे और जो दिक्कतें हैं उनका माननीय वित्त मंत्री जी निवारण करने का प्रयत्न करें।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय सदस्य जो अभी भाषण कर रहे हैं उनके सुनने का मेरा यह पहला मौका है। बहुत ही सारगर्भित और गम्भीर स्वर में उनका भाषण हुआ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर हमें सिद्धांतों की भी विवेचना करना है और धाराओं की भी विवेचना करनी है। जैसा कि उन्होंने सुझाव रखा है जो सीधे सादे संशोधन हैं उनको सरकार को मानना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय और उस समय तक बैठे जब तक कि यह समाप्त न हो जाय और हम लोगों को बोलने का मौका दिया जाय क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नये सदस्य आयें उनको हम समझायें कि डेमोक्रेसी क्या है।

श्री उपाध्यक्ष--कितने समय के लिये आपका प्रस्ताव है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, ६ बजे तक कर दिया जाय और उसमें सरकारी पक्ष न बोले।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मुझको, जनाबवाला, बहुत अफसोस है कि मैं बावजूद अपनी इस ख्वाहिश के और अभी थोड़ी देर हुई मुझ से कुछ भाइयों ने फरमाया था तो मैंने इस पर अपनी रजामन्दी जाहिर कर दी थी कि मैं इसके लिये आमादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

हो जाऊंगा कि एक घंटा वक्त और बढ़ा दिया जाय, लेकिन उस वक्त मैं एक बात को बिल्कुल भूल गया था कि आज सवा ५ बजे से कैबिनेट मीटिंग है जिसमें बहुत जरूरी काम है और उसमें मुझको भी जरूर हाजिर होना है। इसलिये मैं बड़े अदब से आपके जरिये से अपने भाइयों से जो मेरे सामने तशरीफ रखते हैं माफी चाहता हूं कि अब उसमें वक्त न बढ़ायें और जिन साहबान को कुछ कहना हो वे कह लें। मैं यह कर सकता हूं कि कुछ कांग्रेस पार्टी के साहबान से अभी आपके जरिये से दरख्वास्त कर बूंगा कि वे न बोलें।

श्री राजनारायण---कैबिनेट क्या कोई स्वर्ग की चीज थोड़े ही है। उनसे कह दीजिये ६ बजे से बैठ जायं।

श्री उपाध्यक्ष---आप क्या माननीय हाफिज जी की अपील पर कुछ गौर नहीं कर रहे हैं?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि अगर वे हमारी प्रार्थना को मान जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कैबिनेट का ही उन्होंने हवाला दिया। अगर कैबिनेट सवा ५ बजे से बैठ सकती है तो वह ६ बजे से भी बैठ सकती है। कैबिनेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें बाहर से लाना है और लाकर के जुटाना है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी होते और मैं उनसे अपील करता तो वे जरूर मान जाते। अगर माननीय मंत्री जी मान जायं तो मैं उनको फोन करने को तैयार हूं कि आप अपनी कैबिनेट की बैठक ७ बजे से कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---तो आप प्रयत्न करके देख लें, तब तक कार्यवाही जारी रहे।

श्री राजनारायण---तो फिर मैं बोलूंगा कब, श्रीमन्? अभी हमारे मित्र, माननीय मदनमोहन जी को सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

श्री उपाध्यक्ष---और आप को यह भी जान कर खुशी होगी कि वे फैजाबाद के रहने वाले हैं।

श्री राजनारायण---मुझे अब यह विश्वास हो रहा है कि सदन में दो, चार आदमी ऐसे हैं जिनके सामने अगर कोई बात कही जाय तो वे जरूर सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर ६ बजे तक नहीं तो साढ़े ५ बजे तक बैठें। अगर इस विषय में समझौता हो जाय तो अच्छा है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---दुनिया में वैसे तो मैं समझता हूं सभी कुछ हो सकता है, लेकिन हर बात की एक हद होती है। अब उसकी मैं किसी से शिकायत तो नहीं कर सकता, ५-६ घंटे यहां बैठे फिर उसके बाद ४ घंटे जाकर कैबिनेट में बैठें . . . . .

श्री राजनारायण---अरे बड़ा माल खाते हैं आप।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---इसलिये जो कमजोर आदमी हैं, जिनको खुदा ने मोटे मोटे जिस्म नहीं दिये हैं उनको इस बात की भी फिक्र रहती है और रहनी भी चाहिये कि कोई ऐसी बात न हो जिसकी वजह से और कोई सूरत वाकय हो।

श्री उपाध्यक्ष---तो दोनों के बीच का अगर माननीय वित्त मंत्री जो साढ़े ५ बजे तक का समय रख दें . . . . .

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---वह तो मने अभी यह सुना था, एक साहब फरमा रहे थे कि वह अभी मुख्य मंत्री जी से जाकर कहते हैं। कल के लिये मुल्तवी करा लें, हम रोकते थोड़े ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बात कर आइये तब तक मैं इस प्रस्ताव पर विचार रोक दूंगा।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—मेरी रजामन्दी का सवाल नहीं है।

श्री राजनारायण—शान्ति प्रपन्न जी भी हमारे साथ चलें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—आप प्रयत्न कर आयें, तब तक मैं इसको मुल्तवी किये देता हूं।

*श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करने से पहले एक निवेदन सदन से करना चाहता हूं और उसके लिये माफी चाहता हूं। अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने कुछ ऐसे सवाल उठाये जिसके संबंध में कुछ जिक्र करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने हम लोगों के राष्ट्रीय सम्मान को एक तरह से पुकारा है और वह चाहते हैं कि हम लोग अन्न की आहुति करें। वह अन्न की आहुति इस स्टेज पर चाहते हैं जब कि सेल्स टैक्स संशोधन बिल सदन में उपस्थित है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि असल में यह अन्नदान का सवाल उनके दिल में पैदा कब से हुआ है। आज हम अन्नदान ही नहीं बल्कि अपना सर्वस्व निछावर करने के लिये तैयार हैं, लेकिन किस लिये, इसलिये कि हमारे राष्ट्र का उत्थान हो और हमारे प्रदेश का उत्थान हो। हम इस बात को महसूस करें कि हमारे प्रदेश से गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, बीमारी के दूर होने के प्रयत्न में यह पैसा खर्च होगा। तो हम सब कुछ करने के लिये तैयार हैं, लेकिन अन्नदान किस से मांगा जाता है बिक्री कर के नाम पर, उन व्यक्तियों से अन्नदान मांगा जाता है जो दिन भर भिक्षाटन करते हैं और दिनभर में आठ आना पैसा इकट्ठा करके जब दुकान पर जाते हैं तो उसमें से एक हिस्सा उनसे सेल्स टैक्स के नाम पर ले लिया जाता है। आज अन्नदान उन व्यक्तियों से मांगा जाता है जो दरिया में बहते हुये मुर्दे का कफन खसोट कर ले आते हैं और १, २ रुपये में अन्न खरीदने के लिये उसको बेचते हैं और अपना पेट भरते हैं। वहां पर उनसे भी कहा जाता है कि ४ आना सेल्स टैक्स के नाम पर तुम दे दो। आज अन्नदान उनसे मांगा जाता है वह औरतें जो असहाय हैं और पीड़ित हैं, जो अपनी असमत का सौदा करके अपना पेट पालने के लिये कुछ पैसा अर्जित करती हैं। कानपुर में एक वेश्याओं का सर्वे किया गया तो मालूम हुआ कि जन-जन से पैसा इकट्ठा करके वह अपने पेट को भरने के लिये अन्न खरीदने जाती हैं। उनसे पैसा लेने की बात कही जाती है।

श्रीमन्, यह एक ऐसा सवाल है कि जिस सवाल पर हमें नये सिरे से विचार करना चाहिये। अगर यह मनोवृत्ति है और इस तरीके से सेल्स टैक्स के नाम पर हमारे राष्ट्रीय सम्मान को पुकारा जाता है और उसके आवरण में एक ऐसा कानून बनाया जाता है जो हमारे जन जीवन के लिये समस्या का समाधान न कर सके तो हम उसका विरोध करते हैं। हम यह चाहते हैं कि सेल्स टैक्स का बिल ऐसा बनाया जाय जिसमें हमारी जो मौजूदा जिन्दगी है उसमें थोड़ा विकास कर सकें। हम मानते हैं कि टैक्स लिया जाय क्योंकि टैक्स लिये बिना कोई सरकार चल नहीं सकती, लेकिन ऐसे लोगों से लिया जाय जो टैक्स देने की क्षमता रखते हों। टैक्स देने की क्षमता ऐसे लोगों में है जिनके पास लाखों रुपया इकट्ठा किया हुआ है, जिनको आमदनी है, जिनके कुत्ते भी साबुन से धोये जाते हैं और हवाई जहाज से सफर करते हैं और जिनको पढ़ाने के लिये चार-पांच सौ रुपये माहवार के मास्टर रखे गये हैं, ऐसे लोगों पर आप अधिक से अधिक टैक्स लगाइये। उनको अन्नदान करने की आवश्यकता न होगी और वे आसानी से सरकार का खर्च चला सकते हैं। छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये अगर अन्नदान मांगा जाय तो हम उसके लिये तैयार हैं, लेकिन बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाह में वृद्धि करने के लिये, उनकी सुविधाओं का विकास करने के लिये अगर हम से बिक्री कर के नाम पर अन्नदान मांगा जाता है तो मैं उसका विरोध करता हूं।

आखिर में मैं आप से निवेदन करूंगा कि अन्न जैसी वस्तु पर टैक्स लगाने में एक और दिक्कत है। जैसे मिठाई है, उस पर भी सेल्स टैक्स लगा हुआ है और उसका नाम है कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पन्नारराम]

मुक्ति शुल्क, लेकिन वह टैक्स है और उनसे कहा जाता है कि तुम इतना रुपया जमा कर दो। जब वह पूछते हैं कि हम वसूल कैसे करें, तो मैं बताऊं कि एक बार मैं एक हलवाइयों का डेपुटेशन लेकर एक सेल्स टैक्स अधिकारी से मिला। उससे यही सवाल करने पर मुझे उत्तर मिला कि जो चार पैसे की चीज बेचते हो उसमें से थोड़ा सा तोड़ लो और वह सब मिठाई एक हंडिया में जमा करते जाओ और जब वह काफी हो जाय तो उसे बेच लो। तो इस तरह से इन छोटे व्यापारियों की इतनी आफत है कि उनके लिये सेल्स टैक्स एक हौवा बना हुआ है। किसी छोटे कस्बे में जब सेल्स टैक्स अधिकारी पहुंचता है तो उस कस्बे में आतंक छा जाता है और लोग दूकानें बंद कर के भागने लगते हैं कि अगर हमारी दुकान खुली और हमसे पूछा तो हम टैक्स कहां से देंगे? बहुत दिनों से छोटे-छोटे व्यापारी दो, चार सौ की पूंजी लगा कर किसी प्रकार अपनी रोजी चलाते हैं, वह किसी तरह का हिसाब किताब नहीं रखते। यह टैक्स लगने से उनके ऊपर एक आफत आ गई कि वे हिसाब रखें। ऐसी सूरत में बगैर पढ़ा लिखा व्यापारी कैसे अपनी कम आमदनी में मुनीम रखे और मजबूर होकर उसे सेल्स टैक्स अधिकारियों की शरण में जाना पड़ता है और जिस तरह से वह खुश हों वही उनको करना पड़ता है। ऐसी हालत में यह सेल्स टैक्स हमारे लिये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक विभाग मालूम होता है। मैं यह चाहता हूं कि सेल्स टैक्स इस तरह से लगाया जाय कि अगर इसे अन्न पर लगाना है तो बड़े-बड़े व्यापारियों पर जो १०, २०, ५० हजार रुपये का कारबार करते हैं, उनपर लगाया जाय। वह इसे बरदाश्त कर सकते हैं। जो साधारण उपभोक्ताओं पर यह टैक्स लगाया जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि अन्न, कपड़े, पढ़ाई-लिखाई में काम आने वाली चीजों और दवाइयों पर यह टैक्स बिलकुल ही न लगाया जाय। आप देखें कि हमारे देश की केरल की सरकार ने क्या किया है। मैं इत्मिनान के साथ कहता हूं कि वहां की सरकार ने अन्न, कपड़े, पढ़ाई लिखाई के काम आने वाली चीजों और दवाइयों के सामान पर से यह सेल्स टैक्स उठा लिया गया है और सेल्स टैक्स से इन वस्तुओं को मुक्त किया गया है।

आखिर में मैं यह चाहता हूं कि बहुत संजीदगी से इस पर विचार किया जाय, इसको पार्टी के सम्मान का प्रश्न न बनाया जाय। इस बिल को पास करके हम जन-जीवन को दुरूह बना देंगे। इन बातों के साथ मैं श्री नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के अनुरूप मैं बहुत शीघ्र ही . . . .

श्री उपाध्यक्ष---आपके लिये १० मिनट हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मैं प्रयास करूंगा कि ९ मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूं। मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। दुनियां के सारे देशों में जहां भी टैक्स लगाया जाता है वह कुछ सिद्धांतों के आधार पर लगाया जाता है और किसी भी देश में गल्ले पर टैक्स, जिसे रोटी का टैक्स भी हम कह सकते हैं, नहीं है। अभी हमारे बुजुर्गवार माननीय वर्मा जी ने दुनियां के देशों की फेहरिस्त गिनाई कि इन्होंने सेल्स टैक्स लगाया, परन्तु वह शायद इस बात को ध्यान में नहीं रख सके कि उन सभी देशों में रोटी पर टैक्स नहीं है। इंग्लैन्ड और फ्रांस में भी, महायुद्ध के समय, जबकि उनके जीवन और मरण का प्रश्न था, रोटी पर टैक्स नहीं लगाया गया। रोटी मनुष्य जीवन के लिये बहुत आवश्यक है और अगर जीवन पर टैक्स लगाना है तो क्या है? यह मनुष्य के साथ अन्याय करना है। आप कहते हैं कि आप परचेज टैक्स लगाते हो, जो खरीदेगा वह टैक्स देगा, लेकिन अन्त में वह जायगा किस की जेब से? व्यापारी अपने पास से तो देगा नहीं। जितना वह परचेज करते समय देगा उतना वह दाम में बढ़ा देगा, जो कंज्यूमर के जिम्मे जायगा। आप देखें कि कंज्यूमर आप के शहर में है कौन? आप के देश के छोटी तनख्वाह पाने वाले लोग, मध्यम वर्ग के लोग ही होंगे। एक दो परसेंट

जो बड़े लोग हैं उनको अलग कर दीजिये, लेकिन जिनकी आमदनी फिक्स है, बंधी हुई तनख्वाह है, उनको यदि अन्न के लिये टैक्स के रूप में अधिक पैसा देना पड़े तो आप सोचिये कि परिणाम क्या होगा। आपके अर्थशास्त्रकार स्वयं स्वीकार करते हैं ....

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---गल्ले पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---आप ने ही इसमें लिखा है कि.....

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---यह तो पहले से लगा हुआ है। वह तो उसका कन्वर्शन होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---उसको आप परचेज टैक्स में कनवर्ट कर रहे हैं। चाहे आप यूं नाक पकड़िये या दूसरी तरफ से लाकर। लेकिन यह टैक्स देगा कौन ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---मैं अभी सीधी नाक ही पकड़ दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप अपनी बात कह लीजिये।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने यही अर्ज किया कि मैं नाक सीधी पकड़ कर दिखा दूंगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अगर माननीय मंत्री जी घुमा कर अपनी नाक पकड़ लें तो उस से बढ़ कर जिमनास्टिक और कौन कर सकेगा ? उत्तर प्रदेश का जो घाटे का बजट है उसके लिये टिकट के रूप में टैक्स लगा दिया जाय और फिर मंत्री जी जिमनास्टिक दिखा दें तो यह बड़े मार्के की बात होगी।

श्री राजनारायण---बड़े मार्के की बात क्या ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह बाद की बात है। श्रीमन्, आज की स्थिति में परचेजिंग पावर घट रही है और अन्नाभाव बढ़ रहा है। इस समय जो यह टैक्स अन्न पर लगाया जा रहा है उससे जो भाव बढ़ेगा, उसका आप सोचिये कि परिणाम क्या होगा ? यह आप स्वयं ही सोचें। इसी सदन के अन्दर अभी कल ही माननीय खाद्य मंत्री ने स्वीकार किया कि अन्नाभाव के कारण लोग मरे। अन्न का अभाव क्यों हुआ ? उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो प्रकृति का प्रकोप और दूसरे पैसे का अभाव जिसके कारण वे अन्न न खरीद सकें। जब लोग भूखों मर रहे हों और अन्न का और पैसे का अभाव हो तब टैक्स लगा कर अन्न का भाव आप बढ़ाते जावें, इसका क्या परिणाम होगा आप स्वयं सोचें। मैं सोचता हूं कि ऐसी परिस्थिति में, जो आज सारे प्रदेश के अन्दर व्याप्त है, यह टैक्स न तो व्यावहारिक ही है और न वांछनीय ही। हमारा तो रोटी के टैक्स के ऊपर मूल भूत विरोध है ही।

यह कहा गया कि देश के उत्थान के लिये हमको पैसा चाहिये। आप जरूर देश का उत्थान करें, लेकिन उसके साथ ही साथ आप को यह भी सोचना होगा कि किस प्रकार से उसके लिये धन एकत्र करें ? जब आप हमसे कहते हैं कि त्याग करो और अन्न की आहुति दो तब आप स्वयं अपने लिये भी कुछ त्याग को प्रतिष्ठापित करें। आपका जो स्क्वेंडर मैनिया इस प्रान्त के अन्दर है उसको रोकने के लिये आपको प्रयत्न करना है। आपका कथन कुछ है और कृति सर्वथा उसके विपरीत है। एक योजना के लिये ५० हजार रुपये स्वीकृत करते हैं, लेकिन दावत तवाजे पर १ लाख रुपये खर्च कर देते हैं। घर फूंक कर पूछते हैं कि आग कैसे लगी ? आप खुद एकानमी करिये, खुद खर्च घटाइये। जब पैसा बचे तो इस प्रकार के कामों में व्यय कीजिये। किन्तु इस प्रकार टैक्स लगाना और फिर धन का अपव्यय करना उचित नहीं है। टैक्स लगाना ही है तो उसके लिये बहुत से पदार्थ हैं जिन पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। बुलियन पर, गोल्ड पर और सिल्वर के आर्नामेन्ट्स पर टैक्स बढ़ाइये, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स बढ़ाइये, लेकिन रोटी के ऊपर टैक्स लगाना, कहां की बुद्धिमानी है ?

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

जहां तक उत्थान और विकास करने का प्रश्न है और उसके लिये पैसे का प्रश्न है उसके लिये विचार कीजिये। अपने खर्चे में कमी कीजिये। आपके खर्च इतने बेहिसाब हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। मैं यहां पर एक उदाहरण दूं। वह भी वित्त मंत्री जी के ही विभाग का उदाहरण देना चाहता हूं। जो खटीमा पावर हाउस है उसका एस्टीमेट रिवाइज होने के बाद फिर रिवाइज हुआ, लेकिन अब भी पता नहीं लग रहा है कि अन्तिम एस्टीमेट क्या होगा और कितना पैसा खर्च होगा? यह कौन सी आपके शासन की बुद्धिमानी है? एस्टीमेट बनाते हैं, जितना पैसा सैंक्शन करते हैं उससे कई गुना खर्चा बढ़ाते चले जाते हैं।

श्रीमन्, कैनाडा के सेल्स टैक्स का हवाला दिया गया है कि वहां भी सेल्स टैक्स लगा है। मैं उस ऐक्ट के एक अंश को पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है :—

"Canada has confined her sales tax to what might be called non-essentials, for all necessary foods have been removed from the tax list and there are many other exemptions to favour farmers and workers. The exemption of necessary foods, fuel and clothing may be defended on grounds of social welfare when it is remembered that the masses enjoy low incomes at best and are already burdened with other heavy taxes on their consumption, income and wealth."

अगर आप कैनाडा का अनुकरण करने में ही बुद्धिमानी समझते हैं तो उस ऐक्ट की इसी बात को मान लीजिये।

इन शब्दों के साथ, मैं हाफिज जी से, जिनकी बड़ी प्रशंसा अभी माननीय वर्मा जी ने की कि वे यदि कोई अच्छे सुझाव हों तो उनको मानने के लिये तैयार हैं, कहता हूं कि इससे अच्छा और क्या सुझाव हो सकता है कि कृपया इस प्रान्त में रोटी के ऊपर से टैक्स हटाइये।

मैं अन्त में इधर से जो प्रवर समिति में इस बिल के भेजे जाने का संशोधन आया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन् .....

श्री उपाध्यक्ष—राजनारायण जी, आप भी केवल ५, ७ मिनट ही लें, क्योंकि आप तो एक बहुत कुशल बोलने वाले हैं और इतने समय में अपनी बात भलीभांति कह सकते हैं।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं काम करने में कुशल हूं, बोलने में उतना कुशल नहीं हूं। इस विधान सभा के मेरे जीवन में शायद यह सबसे छोटा भाषण आज मेरा होगा। मैं स्वयं अधिक नहीं बोलूंगा। मैं बोलने की आवश्यकता भी नहीं समझता था, क्योंकि जहां हाफिज साहब कह रहे हों कि वे सीधे नाक पकड़कर दिखा देंगे वहां मेरे बोलने की जरूरत ही क्या रहेगी। जहां यह बात आती है, अनुभव की बात होती है कि पुराना मेम्बर कौन है तो हाफिज जी सबसे पुराने मेम्बर हैं, लेकिन बात कहते हैं कि सीधे नाक पकड़ कर दिखा दूंगा। अगर कोई इनको जवाब देने वाला हो और यह कह दे कि टांग पकड़ कर उलट कर दिखा देंगे तब क्या यह उनके लिये उचित होगा?

श्री उपाध्यक्ष—आप गलत समझे हैं। उन्होंने एक मुहावरा है उससे भिन्न मुहावरे का प्रयोग किया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उनको इस तरह की बात कहकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अधिक एक दूसरे की टीका-टिप्पणी न करें।

श्री राजनारायण—मैंने श्रीमन्, पहले ही कहा कि मैं आज बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब सम्मानित सदस्य फैजाबाद के बोले तब मेरी भी उत्कंठा बढ़ी कि मैं भी बोलूं। वैसे मैं आज बोलनेवाला नहीं था। मेरी पार्टी की ओर से श्री बलवन्तसिंह जी ही बोलते।

सरकार की ओर से कहा गया कि वकालत नहीं करनी चाहिये। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मैं माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इस मत से सहमत नहीं हूं कि कोई सदस्य यहां किसी की वकालत न करे। वकालत करने का हर एक माननीय सदस्य को हक है।

अब मैं सन् १९४८ में जब बिक्री कर विधेयक लागू किया गया था और उसके बाद जब आर्डिनेंस आया था तो उसमें क्या लिखा था वह सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं:—

"State Governments have started an extensive programme for the economic and cultural development of the State. At the same time owing to prohibition income from excise is likely to shrink gradually, etc. etc."

यह सन् १९४८ में जब सेल्स टैक्स यानी बिक्री-कर लगाने की बात आयी तो यह तो सरकार हर समय कहती है कि हम सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति कर रहे हैं और इस सरकार के हर काम में सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति हम समझ लें। केवल नयी बात सन् १९४८ में क्या थी? उस समय नयी बात यह थी कि शराबबन्दी की योजना सारे प्रदेश में लागू होगी और शराबबन्दी की योजना से जो धन की कमी होगी उस कमी की पूर्ति की जायगी बिक्री-कर से, बस। मुझे खुशी है कि इस आब्जेक्ट को माननीय सदस्य पढ़ चुके थे और जानते थे और आपके द्वारा मैं उनकी जानकारी के लिये और सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि उसके बाद उत्तर प्रदेश में शराबबन्दी योजना लागू हुई या नहीं हुई केवल ११ जिलों में शराबबन्दी योजना लागू हुई इसके बाद योजना हमेशा के लिये ठप्प हो गयी। ११ जिलों में शराबबन्दी योजना लागू होने के बाद शराब बिक्री में कमी नहीं हुई सन् १९४२ में करीब ३ लाख गैलन शराब की बिक्री होती थी और जब ११ जिलों में शराब बन्दी योजना लागू हो गयी तो ९ लाख गैलन से कम कभी शराब की बिक्री उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। माननीय सदस्य शायद नये हैं या पुराने मैं नहीं जानता यह उनकी जानकारी के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि शराबबन्दी योजना जब बन्द हो गयी तो मोरेली और लीगली जो एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में रखा हुआ है, जो लक्ष्य और उद्देश्य में रखा हुआ है सरकार का कर्त्तव्य है कि वह बिक्री-कर को कायम रखे। मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने जनता को आश्वासन दिया, सदन को आश्वासन दिया कि शराबबन्दी योजना सारे प्रदेश में लागू होगी और शराबबन्दी योजना नहीं लागू हुई तब यह बिक्री-कर सुरसा की तरह क्यों बढ़ता चला जाय, सोचेंगे वे?

जनतंत्र की बात उन्होंने कही तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जनतंत्र है क्या? जनतंत्र का केवल इतना ही मतलब नहीं है डिस्कशन और डिसीजन। मान लीजिये कि यहां के बहुमत ने यह फैसला कर दिया कि अल्पमत के लोगों का गला काट दिया जाय तो यह जनतंत्र है क्या? जनतंत्र में इनडिवीजुअल मानव के मूल्य की प्रतिष्ठा सुरक्षित है अगर जनतंत्र में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्य प्रतिष्ठित और सुरक्षित नहीं है तो वह जनतंत्र नहीं है बल्कि पापतंत्र है। जनता की जान और व्यक्ति के व्यक्तित्व की तरफ अबाध गति से आगे प्रतिष्ठित होना ही जनतंत्र है। इसलिये मैं मानता हूं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित करने के लिये मेजारिटी का हक है टु रूल और माइनारिटी का हक है टु क्रिटिसाइज।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, लाल बत्ती जल गयी।

श्री उपाध्यक्ष—आप ने वादा किया था कि आपका यह भाषण सब से छोटा भाषण होगा लेकिन अभी वह बढ़ता ही जा रहा है ।

श्री राजनारायण—तो मैं यह कहना चाहता हू कि सदन के माननीय सदस्य देख लें कि आगे इस संशोधन विधेयक में सेल इनक्लूड करता है पर्चेज को तो सेल को परचेज में इनक्लूड करें या इस सरकार को इनक्लूड करें इससे कोई मतलब नहीं है । मैं तो कहता हूं कि आप सेल्स टैक्स को क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं । आम जनता भी और सदन के माननीय सदस्य भी इस बात को देखें कि जहां पहले पुराना १ आना था वहां अब ७ नये पैसे कर दिया गया है इस तरह से टैक्स अधिक होना चाहिये या नहीं, इस पर वे स्वयं विचार करें । इसकी बाबत लोग क्या मानेंगे इसको माननीय वकील साहब रईसे फैजाबाद भी देख लें ।

दूसरी बात यह कि जहां पहले गल्ले पर पुराने २ पैसे टैक्स था वहां ४ नये पैसे कर दिया गया है । आखिर जरा हमारे वकील साहब बतलावें कि पुराने दो पैसे के कितने नये पैसे होते हैं, ४ ही होते हैं ? इस तरह से इस विधेयक की जितनी भी निन्दा की जाय उतनी निन्दा होनी चाहिये और इसीलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कही जाती है । श्रीमन्, आप के द्वारा मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने गलत सा नाम रखा । उन्होंने कई देशों—कैनाडा, इंगलैंड, इटली का नाम ले लिया जैसा कि माननीय दुबे जी ने अभी बताया था । क्या कोई माननीय सदस्य या कोई मंत्री, उपमंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी इस बात से इन्कार कर सकता है कि यह गल्ले का जो टैक्स है वह जनता के खून चूसने के बराबर नहीं है ? यह सरकार की एक नारकीय प्रवृत्ति है, यह एक राक्षसी प्रवृत्ति है और वही सरकार इस तरह का टैक्स लगा सकती है कि जिसकी इस तरह की प्रवृत्ति हो जो कि जनता अन्न के कारण मर रही हो, आम की गुठली खाने पर बाध्य होती हो और सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है कि इस प्रदेश में लोग आम की गुठली खाकर मरते हैं, तब उसके बाद भी गल्ले पर बिक्री-कर लगे यह किस बात का द्योतक है ? क्या यह वही रावणी और तानाशाही मनोवृत्ति नहीं है ? इसलिये यह जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके इस बिक्री-कर के अभिशाप को जनता के ऊपर से हटाया जाय और हरगिज हरगिज आज यहां से उठने के बाद बिक्री-कर का नामोनिशान गल्ले पर नहीं होना चाहिये । चाहे वह बिक्री-कर हो या पर्चेजेज टैक्स हो या हाफिज जी के दिमाग का कोई नया नाम हो वह गल्ले से तुरन्त हट जाना चाहिये । आज गल्ले की कमी है, जनता गल्ले से भूखी मर रही है, गल्ला नहीं मिल पा रहा है तब भी गल्ले पर तरह-तरह के कर लगाने की बात इस सरकार को मंजूर है । मैं माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि वह अपने मत का और अपनी शक्ति का प्रयोग करें और इस सरकार को बाध्य करें कि वह आज सदन के उठने से पहले बिक्री-कर को गल्ले पर से उठाने की घोषणा करे । अगर आज सदन के माननीय सदस्य, जिम्मेदार सदस्य इस का आग्रह नहीं करते तो वे उन लोगों की हत्या के भागी होंगे कि जो आज भूख से और आम की गुठली खा कर मर रहे हैं । माननीय मंत्री जो ने कहा था .....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं अब आप ज्यादा बोल रहे हैं, भाषण की शोभा खत्म होती जा रही है ।

श्री राजनारायण—हाफिज साहब की तरह मैं भी सीधी नाक पकड़ कर दिखाने की बात करूं तो शायद हाफिज साहब पर असर कर जाय । मैं उन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि गल्ले पर सेल्स टैक्स या परचेजेज टैक्स किसी तरह का टैक्स न रखिये । मैं आपको उदाहरण के लिये बता दूं कि अभी मैं धामपुर गया था वहां पर एक छोटा सा दुकानदार है वह मुझे वहां पर खुद अपनी दुकान दिखाने ले गया जिस में मैंने देखा कि मुश्किल से चार पांच रुपये का सामान था, लेकिन उसने बताया कि उस पर सैकड़ों रुपया बिक्री-कर का लगाया गया है । मैंने कहा यह कैसे, बताया कि कुछ वहां के अफसर से कड़ुवी बात हो गई थी, या मुमकिन है कुछ लेनदेन में ऐसी बात हो गई हो या किसी वजह से हुआ हो । मेरा तो कहना यह है कि यह बिक्री-कर एक रिग्रेसिव टैक्स है और गल्ले पर किसी तरह का टैक्स आप न लगाइये । जब आप

इस को हटा देंगे और कहेंगे कि हम रुपया कहां से लायें तो हम आप को बतायेंगे कि रुपया कहां से आये, क्या हो। हाफिज साहब की तनख्वाह सौ रुपया रहे या २०० रुपया रहे? मैं अन्त में फिर आग्रह करूंगा सदन के सदस्यों से कि वह सरकार को मजबूर कर दें कि गल्ले पर किसी तरह का बिक्री-कर या परचेजेज टैक्स न लगे वर्ना मेरा विचार है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य अन्न के संकट से और भूख से मरने वाले लोगों की हत्या के भागी होंगे और इसीलिये जब यह पास होगा तो हो सकता है कि हम सदन में न रहें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से जो प्रस्ताव रखा गया है सेल्स टैक्स के विरोध में उसके समर्थन में अपनी बात कहने जा रहा हूं कि—

"सरकार आज की टैक्सी है, टैक्स ही बढ़ाया करती है,
टैक्सों से नौकरशाही का, यह पेट भराया करती है।
सुरसा के जैसा पेट क्रूर नौकरशाही का बढ़ता है,
जनता को मंत्रिमंडलों को ही चूस चूस कर भरता है।
यह सेल टैक्स, हैसियत टैक्स, आमदनी टैक्स, व्यापार टैक्स,
अधिकार टैक्स, आधार टैक्स, व्यवहार टैक्स परिवार टैक्स।
कृषि टैक्स, जोतकर धान्य टैक्स, मिल टैक्स, मार्ग टैक्स, गृह टौल टैक्स,
वाहन, उपवाहन, पशु पक्षी, कंकड़ पत्थर अरु कोल टैक्स,
नय नीति टैक्स मनोरंजन कर, कपड़ा बरतन फल फूलों पर,
तुम टैक्स बांधते जाते हो, भोली जनता की भूलों पर,
हम पूछ रहे हैं श्रीमन् से, इन रकमों से क्या होता है,
अफसरावली की ऐशों में, जो रोज व्यर्थ व्यय होता है,
छुरी पर फल फल पर छुरी, दोनों दिशि से फल कटता है,
पैदा करने वाला खेतिहर, दिन रात टैक्स से मिटता है,
गांवों में है भुखमरी, अफसरावली की मौजें उड़ती हैं,
सम्पत्ति गांव की लूट-लूट, श्रीमन्, शहरों की ऐशें बढ़ती हैं,
हम पूछ रहे हैं सत्य कहो, है कसम तुम्हें सिंहासन की,
अब तक तुमने क्या दिया उसे, जिसने तुमको यह गद्दी दी,
अब भी मानो, यह बन्द करो, या त्यागपत्र दे हट जाओ,
सरकार नहीं तुम चला सकोगे, छोड़ो अपने घर जावो,
अपने-अपने व्यापार करो, दलाली करो मुकदमों में,
खेतिहर की गरदन मत काटो, वरना रोवोगे मजमों में,
तुम नहीं रहे इस योग्य, खोखला हुआ दिमागों का बक्सा,
अब हटो करो विश्राम, बदलता जाता है जग का नकशा,
इतना लेते हो, टैक्स बताओ, बदले में क्या देते हो,
रिश्वत सूखा, बहिया, चोरी, डाका और कतल कराते हो,
कोई भी आज न सुख से है, कोई के पास नहीं पैसा,
फिर भी विदेश में जा जा कर तुम मांग रहे भिक्षा पैसा,
कर्जा दिन पर दिन बढ़ता है, टैक्सों का बोझा लदता है,
उत्पादक मरता जाता है, अफसर खूंख्वारी करता है,
ऐसी सरकारों से बोलो, अब क्या आशा की जा सकती,
बिन पल्टे ऐसी सत्ता को, अब कोई मार्ग न चल सकती,
कृषिकार करवटें लेता है, मजदूर समर में जाता है,
सामयिक शक्तियां संसृति की, करना चाहती तमाशा है,
तुम सत्य अहिंसा वादी थे, टैक्सों के घोर विरोधी थे,
अब खुद ही टैक्स बांधते हो, जिसके अब तक प्रतिरोधी थे,
कुछ रहम करो या शरम करो, जनता की नहीं पार्टी की,

[श्री वंशीधर शुक्ल]

तुम जिस कांग्रेस के पुतले हो, उसकी ही सहं अथार्टी की,
यह वह नौकरशाही है जिसने गली गली बदनाम किया,
उसे बढ़ाते जाते हो जिसने स्वदेश का नाश किया,
अब भी यदि बुद्धिमान हो तो, खेतिहर को दो खेती बारी,
फैक्टरियां दो मजदूरों को, तुम करो देश की रखवारी ।

श्री उपाध्यक्ष---सरकार को काफी संकेत मिल गया, अब आप बैठें । तीन मिनट से ज्यादा हो गये ।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई माननीय सदस्य कविता में भाषण दे सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---सदन में सिर्फ गा कर सुनाना मना है । आम तौर पर सदन में शायरी होती रही है और आप सुनते रहे हैं, कोई मनाही नहीं है । अगर उसमें कोई आपत्तिजनक बात है तो वह व्यवस्था का प्रश्न बन सकता है ।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाई मदनमोहन जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस सदन के बहुत से फैक्टर रख कर मेरे बोझ को बहुत हल्का कर दिया । जितनी माकूल बातें इस सिलसिले में कही जा सकती थीं उन सब बातों को अपनी तकरीर में कह दिया । मैं उनमें से किसी को लेने वाला नहीं हूं । मैं सिर्फ इतनी बात सदन के सामने आपके जरिये से रख देता हूं कि यह बिल इस वक्त इस सदन के सामने है और जिसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का मसला भी हमारे सामने रखा हुआ है, उसके जरिये कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा है, उसमें तो कुछ चीजों की डेफिनीशंस हैं, कुछ चीजों के रिलेशंस हैं और एक तजवीज परचेज टैक्स लगाने का अख्तियार लेने की है । उस कानून की रू से राज्य को अख्तियार हो जायगा एक परचेज टैक्स लगाने का और उस परचेज टैक्स की जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वह लिमिट इसके अन्दर बयान की गई है---४ नया पैसा । उसके यह माने नहीं हैं कि वह ४ पैसे ही हर चीज के ऊपर लगें । हर शख्स आसानी से समझ सकता है कि मुख्तलिफ चीजें जो यहां बिकती हैं उनमें खरीद और खपत के बरदाश्त की कुव्वत मुख्तलिफ होगी । किस पर कितना लगाया जाय, उस वक्त लगाने वालों को अपनी अक्ल से काम लेना होगा । अगर किसी चीज पर परचेज टैक्स लगाते हैं तो ४ में से कितना उस के ऊपर लगाया जाय, सिर्फ इतनी बात है ।

दूसरी बात जो है वह सिर्फ जैसा मैंने पहले कहा दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस हुई थी उसमें यह बातें तय हुई थी, मिनजुमला एक बात यह थी कि लग्जरी गुड्स के ऊपर टैक्स कुछ बढ़ा दिया जाय । तो सब ने सुना है कि इसमें थोड़ी सी तजवीज उसके बढ़ाने के मुताल्लिक है और जितनी बातें इसके मुताल्लिक अर्ज की गईं मैं उनके मुताल्लिक कोई जवाब देने की जरूरत नहीं समझता हूं, मगर हां, एक बात कहने पर मजबूर हूं दो मिनट के लिये और वह यह कि एक तो यह मुगालता है कि इस राज्य ही ने अनाज के ऊपर टैक्स लगा रखा है । तकरीरों में इस बात की चर्चा की गई । मगर मैं समझता नहीं कि एक लेजिस्लेचर के मेम्बरान को यह बात न मालूम हो कि इस राज्य में क्या, हिन्दुस्तान में, कहीं गल्ले के ऊपर टैक्स लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है और वह कब से लगा हुआ है ? अब लगा है या अब से बहुत पहले से लगा हुआ है और उसका इंसीडेंस क्या है, गल्ले पर जो यहां टैक्स लगा हुआ है ? मैं अभी बतला देना चाहता हूं कि आज गल्ले पर जो टैक्स यहां लगा हुआ है वह टैक्स लगा हुआ नहीं है एग्जेम्पशन फी लगी हुई है । उसमें मैं बढ़ोत्तरी करने के लिये कभी बरदाश्त नहीं कर सकता और इस बात को सोच सकता हूं यकीनन अगर उसमें किसी तरह से कमी हो सकती है तो कमी कर दूं जहां तक भी मुझसे कमी हो सकती है । उसी के साथ यह भी अर्ज करूंगा कि मुझे सबसे पहले जो मौका मिले उसके लिये उससे फायदा उठाने के लिये तैयार हूं । यू० पी० की गवर्नमेंट

इसके लिये बिल्कुल तैयार है कि जिस वक्त भी उसको इसका मौका आये वह गल्ले के ऊपर से टैक्स बिल्कुल उठा ले। मैंने इस सदन के मेम्बरान को और अपोजीशन के मेम्बरान को पहले दावत दी है और आज भी आपके जरिये से फिर दावत देता हूं इस बात की कि इस सूबे में जो आज खर्चा है उस खर्चे में से यह निकाल कर यह बतलाये कि इतनी एकानमी उसके अन्दर हो सकती है ? उस एकानमी के रुपये को उसमें से काटें और काट कर जो खर्चा अपने नजदीक वह बजा समझती है कि इतना खर्चा होना जरूरी है उसका जो कुछ भी इंतजाम वह कर सकते हों वह इंतजाम वह करें। करना होगा। कांस्टीट्यूशन के मातहत जो इस वक्त रायज है और जिसके बनाये हुए कायदे मेरे ऊपर पाबन्दी करने काबिल हैं, उनसे मैं निकल नहीं सकता, उसके मुताबिक वह कर दें।

मैंने पहले अर्ज किया और अब भी अर्ज कर दूं कि मुझे इस बात में कभी दरेग नहीं है अगर इस राज्य का काम बिल्कुल टैक्स मौकूफ करके हो सकता हो। तो मैं अर्ज करूंगा कि सबसे पहला मैं उससे फायदा उठाने को तैयार हूं अपने भाइयों के मशविरे से। मगर हां एक बात मैं अर्ज करता हूं और वह यह है कि हम, यानी मौजूदा गवर्नमेंट ही, कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के बजाय और कोई पार्टी इस मुल्क के अन्दर आ जाय और उनके हाथ में हुकूमत जाती है खुदा नख्वास्ता तो मैं आज पेशीनगोई करता हूं और मेरी इस पेशीनगोई को वह सीने पर लिख लें, अपने दिमागों में उसको जमा लें कि वह यहां के इन्सानों को, यहां के उन रहने वालों को जिनकी तकलीफ की दुहाई आज दी जाती है उनको तकलीफ दिये बगैर और उनका पेट कटवाये बगैर कभी इस मुल्क का विकास नहीं कर सकते। यह मैं पेशीनगोई करता हूं।

एक सदस्य---आपका खयाल है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---हां, मेरा खयाल है।

श्री राजनारायण---मालूम होता है कि अभी आम की गुठली खिलाकर और लोगों को मारेंगे आप।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहिम---मैं तो समझता यह हूं कि मैं तो किसी को मारता नहीं हूं और मेरे दोस्त हर रोज मारते रहते हैं। मेरी जबान से आज तक किसी ने यह नहीं सुना होगा कि फलां शख्स मर गया और हालांकि इस स्टेट में न मालूम कितने हजार आदमी या कितने सौ आदमी हर रोज मरते होंगे, लेकिन भुखमरी जिस चीज का नाम है उस चीज में मारते तो आप हैं मैं तो नहीं मारता किसी को। यह तो ऐसी ही बात है जैसी कि अभी कही गई जिन्होंने अभी सीधी और उलटी नाक पकड़ने का तजकिरा किया। वह तो मेरे भाई साहब को कतई नागवार नहीं गुजरा, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया कि किसी साहब ने क्या कहा और मैंने उस पर यह अर्ज कर दिया कि मैं सीधी नाक पकड़ कर दिखा दूंगा तो मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे। अभी-अभी एक साहब इस तरह से इरशाद फरमा रहे थे और मैं सुन रहा था मगर मुझे हैरत यह थी कि भाई राजनारायण साहब जो कि मुझसे करीब हैं और उनसे करीब नहीं हैं, अगर आइडियालाजी के लिहाज से देखा जाय तो राजनारायण जी के मैं तो बहुत करीब हूं और वह जो उधर बैठे हैं और जो इधर बैठे हैं वह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लड़-लड़ के, आपस में, मुख्तलिफ बातों की बदौलत इधर से उधर बैठ गये, वरना हकीकत तो यह है कि मैं और आप एक हैं, लेकिन वह तो नहीं हैं। वह तो कहीं और हैं, उनसे बहुत दूर हैं। तो उनकी बदौलत मेरे ऊपर खफगी हो और मेरी बदौलत उनके ऊपर खफगी न हो यह मुझे कुछ इन्साफ की बात मालूम नहीं हुई।

इस बिल के मुताल्लिक मैंने अर्ज किया कि मैं मानता हूं कि टैक्स तकलीफदेह चीज है, लेकिन दुनिया की तवारीख में कहीं का हो, किसी भी देश का हो, रशिया की मिसाल दे रहे थे एक साहब, हकीकत यह है जो मिटती नहीं है कि किसी मुल्क ने आज तक तकलीफ उठाये बगैर तरक्की नहीं की है। किसी मुल्क ने आज तक अपना निर्माण बगैर टैक्सों के नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष---टाइम का भी खयाल करें माननीय मन्त्री जी ।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो खत्म कर रहा हूं । लीजिए मैं अभी बैठ गया।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय जिससे कि यह समाप्त हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप लोग सभी.....

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । वह प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव तो पहले ही आ चुका था । हमको माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले बता दिया था क्योंकि यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि आज पांच बजे तक ही इसे पास हो जाना चाहिए, यह जो बिजनेस कमेटी से आया था उसको सदन ने मान लिया है कि आज पांच बजे तक ही.....

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं, परामर्शदात्री समिति का प्रस्ताव जब तक सदन बैठे ऐसा है । इसलिए सर्वसम्मति से यह तय हो गया कि शाम पांच बजे तक सदन की कार्यवाही चलेगी ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---माननीय नारायणदत्त जी ने जो दो व्यवस्था के प्रश्न उठाये थे माननीय वित्त मंत्री जी उसके बारे में जो कहना चाहें, कह सकते हैं.....

श्री नारायणदत्त तिवारी---एक व्यवस्था का प्रश्न प्रिएम्बिल के बारे में और है ।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने केवल दो ही हैं जो संविधान के मुताल्लिक थे । पहला प्वाइंट आफ आर्डर हाईकोर्ट के अंदरूनी मामलों में इस विधेयक के खंड १० द्वारा दखल देने की बात के सम्बन्ध में था । उसके मुताल्लिक माननीय वित्त मंत्री जो कहना चाहें वे कहें ।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---मैं अर्ज कर दूं कि कांस्टिट्यूशन के अन्दर इसकी इजाजत मिली हुई है । उसके साथ गवर्नमेंट आफ इंडिया का इन्कम टैक्स ऐक्ट नया मौजूद है जो कि कांस्टिट्यूशन के बनने के बाद बना है । उसके अन्दर यह सब रक्खा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय नारायणदत्त जी का ध्यान संविधान के अनुच्छेद २२५ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है:---

"इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तथा इस संविधान द्वारा विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी वर्तमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उसमें प्रशासित विधि, तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में उसके न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिनके अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उसके सदस्यों के अकेले या खंड न्यायालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति भी है वैसी ही रहेगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले थी ।"

यह अनुच्छेद विधान मंडलों को अधिकार देता है कि इस सम्बन्ध में वे विधेयकों में अपनी मर्जी का प्रयोजन कर सकें । इसलिये मैं आपके इस प्वाइंट आफ आर्डर को रद्द करता हूं ।

(कुछ ठहर कर)

दूसरा उनका व्यवस्था का प्रश्न यह है कि खंड १३ जो है उसके द्वारा मूल अधिनियम की धारा २७ निकाल दी जाय यह आपने रक्खा है। वह कहते हैं कि प्रेसीडेंट के ऐडाप्टेशन आर्डर, १९५० के मातहत वह सेक्शन लगाया गया था, तो इस असेम्बली को अधिकार नहीं है कि वह उस पर विचार कर सके और उसको हटा सके।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, इसको अधिकार है। नया सेल्स टैक्स ऐक्ट जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाया है उसके मुताल्लिक उसके अन्दर प्राविजन हो गया ह और उसकी कहीं जरूरत ही बाकी नहीं रह गई है।

श्री उपाध्यक्ष—इसके बारे में मेरी व्यवस्था यह है कि चूंकि प्रेसीडेंट के ऐडाप्टेशन आर्डर के बाद वह एक धारा बन गई और वह एक सेक्शन इस ऐक्ट का हो गया तो जैसे और सेक्शन्स हैं उसी तरह से वह सेक्शन भी हो गया और उसमें कोई विशेषता नहीं रह गई। जिस तरह से नई धाराओं को संशोधित करने का अधिकार है इस सदन को उसी तरह से उस धारा को भी वह संशोधित कर सकता है।

(श्री राजनारायण के खड़े होने पर)

अब में किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—जब अध्यक्ष खड़े हों तो कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। मैं आगे इसमें कोई वादविवाद नहीं चाहता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि राज्य सरकार को भारतीय सरकार के निर्णय के, कि कुछ निर्दिष्ट विलास सामग्रियों पर सारे भारत में सात प्रतिशत की ही एक दर से कर लगाया जाय, अनुरूप दर को ३४ प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार है। तो भारतीय सरकार का वह पत्र हमें दिखा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मत लेने के बाद मैं सरकार से कहूंगा। इस बीच कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

खंड २

२—शब्द "प्रान्तीय सरकार" तथा "संयुक्त प्रान्त" जहां कहीं भी संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे चल कर "मूल अधिनियम" कहा गया है) में आये हों, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "राज्य सरकार" तथा "उत्तर प्रदेश" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआः—

पक्ष में—१२०,

विपक्ष में—४३।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री जी, जो कागजात भारतीय सरकार से आये हैं वे नियम ९६ के मुताबिक मेज पर रख दिये जायं।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—कौन से कागजात ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं स्पष्ट किये देता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है कि यह विधेयक क्यों लाया गया है। प्रदेशीय सरकार ने कारण बतलाया है कि भारतीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि निर्दिष्ट विलास सामग्रियों पर सारे भारत में सात प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाय तो हम यह जानना चाहते हैं कि वह निर्दिष्ट विलास सामग्रियां क्या हैं? भारतीय सरकार का कौन-सा खत है उसे लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप उस खत को सेक्रेटरी की टेबिल पर रख दें।

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ग) 'व्यापारी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ से है जो, चाहे कमीशन या प्रतिफल के लिये, चाहे अन्यथा उत्तर प्रदेश में माल खरीदने या बेंचने का व्यापार करता है, और इसमें कोई फर्म या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा कोई सोसायटी, क्लब या संघ जो अपने सदस्यों को माल बेचता हो सम्मिलित है, तथा इसमें राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग जो ऐसा व्यापार करता हो, तथा कोई व्यवसाय संस्था जो बिजली-शक्ति अथवा अन्य किसी प्रकार की चालक-शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण का कार्य करती हो, भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण १—उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति का एजेन्ट जो ऐसे व्यक्ति की ओर से माल खरीदने या बेंचने का काम करता हो ऐसे व्यापार के संबंध में इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये 'व्यापारी' समझा जायगा।

स्पष्टीकरण २—कोई कमीशन एजेन्ट या आढ़ती या अन्य कोई व्यापारिक अभिकर्ता, जो अपने निर्देष्टा (प्रिंसिपल) की ओर से माल खरीदने अथवा बेंचने का काम करता हो, वह चाहे जो भी कहा जाता हो, धारा ३—घ तथा ३—ङ के प्रयोजनों के लिये 'व्यापारी' समझा जायगा।"

(२) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"माल' से तात्पर्य बाबों, स्टाकों, शेयरों या सिक्योरिटियों के अतिरिक्त सब प्रकार की चल सम्पत्ति से है और इसमें वह प्रत्येक सामान, वस्तु और व्यापारिक माल सम्मिलित है जो चल अथवा अचल सम्पत्ति के निर्माण, फिटिंग, सुधार या मरम्मत के काम में आता है और इसमें उगती हुई फसलें, घास, वृक्ष तथा अन्य ऐसी वस्तुयें भी सम्मिलित हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हों, अथवा पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ी हुई किसी वस्तु से बंधी हों, किन्तु जिन्हें किसी बिक्री के संविदा के अधीन पृथक करने का अनुबन्ध हो।"

(३) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (ङ ङ) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(ङ ङ) 'लाइसेन्स' से तात्पर्य धारा ३–ङ के अधीन दिये गये लाइसेन्स से है",

(४) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (छ छ) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(छ छ) 'क्रय-मूल्य' का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी माल की खरीद के निमित्त दिये गये अथवा देय मूल्यवान प्रतिफल से है, जिसमें से कोई वह धनराशि निकाल दी जायगी जो व्यवसाय की प्रथानुसार विक्रेता द्वारा नकद डिस्काउन्ट के रूप में दी गयी हो, तथा इसके अंतर्गत विक्रेता द्वारा सम्प्रदान के समय अथवा उससे पूर्व उस माल के संबंध में किये गये किसी कार्य के निमित्त ली गई कोई धनराशि भी है, सिवाय भाड़े अथवा सम्प्रदान के व्यय के अथवा प्रतिष्ठान के व्यय के, जब कि ऐसा व्यय पृथक रूप से लिया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जब माल किसी विक्रेता अथवा क्रेता की ओर से किसी कमीशन एजेन्ट अथवा आढ़ती द्वारा बेचा जाय तो ऐसे कमीशन एजेन्ट या आढ़ती द्वारा ऐसे माल के निमित्त विक्रेता को देय धनराशि क्रय मूल्य समझी जायगी।"

(५) खण्ड (ज) में—

(क) शब्द "और इसमें बदनी (भविष्य के मुआहिदे) के सौदे भी सम्मिलित हैं" निकाल दिये जायं।

(ख) स्पष्टीकरण २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"स्पष्टीकरण २—किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास धारा ३–ङ के अधीन लाइसेन्स न हो धारा ३–घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल उसकी ओर से बिक्री के लिये किसी कमीशन एजेन्ट को दिया जाना, इंडियन सेल आफ गुड्स ऐक्ट, १९३० (केन्द्रीय ऐक्ट संख्या ३, १९३०) में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी विरोधी बात के होते हुये भी, ऐसे कमीशन एजेन्ट के हाथ बिक्री माना जायगा।"

(ग) स्पष्टीकरण ३ और ४ निकाल दिये जायं।

(६) खण्ड (झ) में—

(१) (क) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय।

(ख) तीसरे प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "तीसरा" के स्थान पर शब्द "दूसरा" रख दिया जाय;

(ग) वर्तमान स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण २ के रूप में परिगणित कर लिया जाय तथा निम्नलिखित स्पष्टीकरण १ के रूप में इसके पूर्व बढ़ा दिया जाय:

"स्पष्टीकरण १—धारा ३-घ तथा ३-ङ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, धारा ३-घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित माल के व्यापारी के सम्बन्ध में शब्द "विक्रय धन" के अन्तर्गत "क्रय-धन" भी समझा जायगा।

(घ) स्पष्टीकरण २ के उपखण्ड (१) के अन्त में शब्द "लिया गया हो" के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर कामा रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"सिवाय भाड़े अथवा माल के संप्रदान के व्यय के, अथवा प्रतिष्ठान के व्यय के, जबकि ऐसा व्यय पृथक रूप से लिया गया हो,"

(७) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (झ झ) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(झ झ) 'क्रय-धन' से तात्पर्य किसी व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा खरीदे गये माल के दिये गये अथवा देय मूल्यों की धनराशियों के उस योग से है जो उस धनराशि को, यदि कोई हो तो, निकाल कर आये, जो किसी विक्रेता द्वारा व्यापारी को उस माल के सम्बन्ध में वापस की जाय जो कि उस विक्रेता को ऐसे समय के अन्दर लौटा दिया जाय जो नियत किया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं डिवीजन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे निर्णय के बाद आप डिवीजन चाहते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जाइये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, अब आप बैठेंगे नहीं और जब आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो सिवाय वाक आउट करने के और हमारे पास कोई चारा नहीं है।

(श्री राजनारायण समाजवादी दल के अन्य सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

खंड ४, ५ तथा ६

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-क का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (२) में शब्द "१ आना प्रति रुपया" के स्थान पर शब्द "सात नये पैसे प्रति रुपया" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-कक का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ३-क क में—

(१) उपधारा (१) के शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दो नये पैसे प्रति रुपया" रख दिये जायं तथा खण्ड (२) के

पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड (२–क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"रूई का सूत, किन्तु उसके अन्तर्गत छीजा हुआ रूई का सूत नहीं है,"

(२) उपधारा (२) में निम्नलिखित उसके स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय—

'स्पष्टीकरण—उपधारा (१) में निर्दिष्ट माल की किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यापारी को जो उसे उसी दशा में फिर से बेचने के लिये नहीं खरीदता जिस दशा में उसने खरीदा हो, अथवा किसी गैर-रजिस्टर्ड व्यापारी को, बिक्री इस धारा के प्रयोजनों के लिये उपभोक्ता को बिक्री समझी जायगी।"

६—मूल अधिनियम की धारा ३–ख निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३–ख का हटाया जाना।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—मूल अधिनियम की धारा ३–ग के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं ३–घ तथा ३–ङ के रूप में बढ़ा दिया जाय:

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में नई धाराओं ३–घ तथा ३–ङ का समावेश।

"३–घ—बिक्री-कर का लगाया जाना:

(१) प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष में प्रत्येक व्यापारी के क्रय-धन पर उन मालों अथवा माल के वर्गों के सम्बन्ध में तथा ऐसी दर से जो चार नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न हो, जो कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में समय-समय पर विज्ञापित किये जायं, कर लगाया जायगा। ऐसी विज्ञप्ति के प्रचारित होने पर इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार विज्ञापित माल के विक्रय-धन पर कोई बिक्री-कर नहीं लगाया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यापारी सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में है इस धारा के अधीन कर देने का भागी नहीं होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में ऐसे मालों के सम्बन्ध में उसका क्रय-धन ३०,००० रुपये से, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से जो इस सम्बन्ध में नियत की जाय, कम हो:

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यापारी द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यापारी से जिसके पास धारा ३–ङ के अधीन दिया गया लाइसेंस हो, खरीद किये गये ऐसे माल अथवा मालों के वर्ग के सम्बन्ध में क्रय-धन कर से मुक्त होगा यदि वह (व्यापारी) ऐसे रूप में तथा ऐसी रीति से जो नियत किये जायं, उस व्यापारी द्वारा जिससे उसने ऐसी खरीद की हो हस्ताक्षरकृत तथा विधिवत् भरा गया घोषणा-पत्र कर-निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करे।

(२) कोई व्यापारी जो धारा ३–ङ के अधीन लाइसेंस प्राप्त करता है व इस धारा के अधीन कर देने का भागी होगा तथा उसके विक्रय धन की धनराशि चाहे कुछ भी हो वह इस प्रकार उस दिनांक तक भागी बना रहेगा जब से कि उसे दिया हुआ लाइसेन्स रद्द हो जाय ।

३–ङ—धारा ३–घ के अधीन कर का दायित्व रखने वाले व्यापारियों को लाइसेंस का दिया जाना:

(१) (क) प्रत्येक व्यापारी जिसका धारा ३–घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित मालों अथवा माल के वर्गों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण वर्ष का अनुमानित क्रय-धन धारा ३-घ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निश्चित धनराशि से कम न हो, तथा

(ख) प्रत्येक व्यापारी जो कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार प्रारम्भ करे तथा जिसका धारा ३–घ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञापित मालों अथवा माल के वर्गों के संबंध में वर्ष के शेष भाग का मासिक अनुमानित क्रय-धन धारा ३–घ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निश्चित धनराशि के बारहवें भाग से कम न हो,

कर-निर्धारक-अधिकारी को ऐसे रूप में, ऐसी रीति से, तथा ऐसे समय के भीतर, जो नियत किये जायं, लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र देगा तथा ऐसे प्रार्थनापत्र की प्राप्ति पर वह अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे प्रतिबन्धों तथा ऐसे शुल्क के, यदि कोई हो तो, भुगतान पर, जो नियत किये जायं, लाइसेंस जारी करेगा।

(२) जब कोई व्यापारी व्यापार बन्द कर दे अथवा जब किसी कर-निर्धारण वर्ष में किसी व्यापारी का क्रय-धन धारा ३–घ की उपधारा (१) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट धनराशि से कम हो, तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे लाइसेंस रद्द कर सकता है ।

स्पष्टीकरण—किसी व्यापारी, फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनःसंघटन अथवा किसी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अन्तर्गत व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायगा ।

(३) इस धारा के अधीन स्वीकृत लाइसेंस, उस व्यापारी के प्रार्थना-पत्र जिसे वह स्वीकृत किया गया हो, अथवा जहां ऐसा प्रार्थना-पत्र न दिया जाय वहां व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर दिये जाने के पश्चात् उस अधिकारी द्वारा, जिसे स्वीकृत करने का अधिकार हो, संशोधित किया जा सकता है, यदि अधिकारी का समाधान हो जाय कि व्यापारी को स्वीकृत लाइसेंस में संशोधन की अपेक्षा है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरे संशोधन क्या हुये ?

श्री उपाध्यक्ष--वे देर में आये थे, उनकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आप बैठिये।

खण्ड ८

८--मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (२) निकाल दी जाय। यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ४ की उपधारा (२) का निकाला जाना।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९ तथा १०

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८-क का संशोधन।

९--मूल अधिनियम की धारा ८-क में:--

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"८-क व्यापारियों की रजिस्ट्री तथा व्यापारियों द्वारा कर की वसूली--

(१) (क) प्रत्येक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचता है जिसके विक्रय-धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर देय है; तथा

(ख) प्रत्येक व्यापारी जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायित्व हो अथवा जिस पर इस अधिनियम के अधीन की गई अथवा स्वीकृत छूट के अभाव में ऐसा दायित्व होता यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका अनुमानित विक्रय-धन १२,००० रुपया से कम न होता अथवा ऐसी अधिक धनराशि से कम न होता जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नियत की जाय; तथा

(ग) प्रत्येक व्यापारी जो कर-निर्धारण वर्ष के दौरान में व्यापार प्रारम्भ करता है तथा जिसका वर्ष के शेष भाग का औसत मासिक अनुमानित विक्रय-धन १२,००० रु० के अथवा ऐसी अधिक धनराशि के, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नियत की जाय, बारहवें भाग से कम न हो, कर-निर्धारक-अधिकारी को ऐसे रूप में ऐसे रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत किये जायं रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र देगा।

(२) उपधारा (१-क) में शब्द 'पंजीयन' के स्थान पर शब्द 'इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीयन (रजिस्ट्री) करना' रख दिये जायं।

ऐक्ट संख्या ५, १९०८।

(३) उपधारा (१-क) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधाराओं (१-ख) तथा (१-ग) के रूप में समाविष्ट कर दिया जाय--

"(१-ख) इस धारा के अधीन किसी व्यापारी को स्वीकृत रजिस्ट्री (पंजीयन) का प्रमाण-पत्र इसे स्वीकृत करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर अथवा स्वयं अपनी ओर से, रद्द किया जा सकता है, यदि उस प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि उस व्यापारी ने जिसे यह स्वीकृत किया गया था व्यापार बंद कर दिया है अथवा वह कर के दायित्व से मुक्त हो गया है, अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण है।"

"(१-ग) किसी व्यापारी को रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिये अधिकृत कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा वह (प्रमाण-पत्र) उस व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर अथवा स्वयं अपनी ओर से संशोधित किया जा सकता है, यदि व्यापारी ने अपने व्यापार का नाम या स्थान बदल दिया हो अथवा कोई शाखा बन्द कर दी हो अथवा कोई नई शाखा खोल दी हो अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण हो:

प्रतिबन्ध यह है कि उपधाराओं (१-ख) तथा (१-ग) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना स्वयं अपनी ओर से रद्द या संशोधित नहीं किया जायगा।"

यू०पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में नई धाराओं ११-क तथा ११-ख का समावेश।

१०--मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराओं ११-क तथा ११-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय।

"११-क--रीति जिससे धारा ११ के अधीन अभिदेश सुने जायेंगे:--

जब धारा ११ के अधीन हाईकोर्ट को कोई मामला समाधान के लिये भेजा जाय तो वह हाईकोर्ट के कम से कम दो जजों के बेंच द्वारा सुना जायगा तथा ऐसे जजों के मत से अथवा ऐसे जजों के बहुमत से कोई यदि हो तो निर्णीत होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ऐसा बहुमत न हो तो जज विधि के उस प्रश्न को व्यक्त करेंगे जिस पर वे असहमत हों तथा वह मामला केवल उसी प्रश्न पर हाईकोर्ट के केवल एक अथवा अधिक अन्य जजों द्वारा सुना जायगा तथा वह प्रश्न उन जजों के जिन्होंने मामला सुना है और जिसके अन्तर्गत वे भी हैं जिन्होंने पहले सुना है, बहुमत से निर्णीत होगा।

११-ख--सर्वोच्च न्यायालय को अपील--

किसी मामले में जब हाईकोर्ट यह प्रमाणित करदे कि वह सर्वोच्च न्यायालय को अपील के उपयुक्त है तो धारा ११ के अधीन अभिदेश (समाधान) पर किये गये हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी।

(२) सर्वोच्च न्यायालय को इस धारा के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के उपबन्ध उसी

प्रकार से यथासम्भव लागू होंगें जिस प्रकार से कि कोई हाईकोर्ट की आज्ञप्तियों से अपीलों की दशा में लागू होते हैं :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात धारा ११ की उपधारा (५) तथा उपधारा (७) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा का उसके द्वारा दिलाये गये किसी वाद-व्यय के सम्बन्ध में निष्पादन के लिये प्रार्थना-पत्र पर, हाईकोर्ट उस आज्ञा को निष्पादन के लिये अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को संक्रमित कर सकता है ।

(३) यदि इस धारा के अधीन अपील में हाईकोर्ट का निर्णय बदल अथवा उलट दिया जाय तो सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा उसी प्रकार कार्यान्वित की जायगी जैसा कि धारा ११ की उपधाराओं (६) तथा (८) में व्यवस्थित है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ११

११---मूल अधिनियम की धारा १३ की उपधारा (५) में:---

यू०पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १३ का संशोधन ।

(क) शब्द "यदि बिक्री-कर कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "यदि किसी कर-निर्धारक अधिकारी जिसका पद बिक्री-कर अधिकारी से निम्न न हो" रख दिये जायं ।

(ख) शब्द "अधीन" और "करके" के बीच में आने वाले शब्द "किसी बिक्री" निकाल दिये जायं तथा शब्द "कर" और "के दायित्व" के बीच में आने वाले शब्द " के भुगतान" निकाल दिये जायं ।

(ग) शब्द "तो वह" तथा "उक्त व्यापारी" के बीच में आने वाले शब्द "ऐसे कारणों सहित लिखित आज्ञा द्वारा किसी कर-निर्धारक अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह" निकाल दिये जायं तथा शब्द "प्रवेश" तथा "और ऐसे" के बीच में आने वाले शब्द "करें" के स्थान पर शब्द "कर सकता है" रख दिये जायं ।

(घ) शब्द "अपना अधिकार" तथा "जो आवश्यक हों" के बीच में आने वाले शब्द "कर ले" के स्थान पर शब्द "कर सकता है" रख दिये जायं ।

(ङ) शब्द "के दिनांक से" तथा "की अवधि के भीतर" के बीच में आने वाले शब्द "१५ दिन" के स्थान पर शब्द "९० दिन" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १४ का संशोधन ।

१२---मूल अधिनियम की धारा १४ के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (ज) तथा (झ) के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(ज) धारा ३-घ के अधीन कर देने का भागी होते हुए भी जान-बूझकर धारा ३-ङ के अधीन लाइसेंस प्राप्त न करे अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अधीन उससे अपेक्षित विवरण-पत्र अथवा घोषणा कर-निर्धारक-अधिकारी को जानबूझ कर प्रस्तुत न करे, अथवा

(झ) धारा ३-घ के अधीन असत्य घोषणा क्रेता-व्यापारी को दे अथवा कर-निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत करें ।"

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा (ज) की पंक्ति २ से लेकर पंक्ति ५ तक के शब्द "अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अधीन उससे अपेक्षित विवरण-पत्र अथवा घोषणा कर-निर्धारक-अधिकारी को जानबूझ प्रस्तुत न करें" निकाल दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १३, शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी० ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा २७ को निकाला जाना ।

१३---मूल अधिनियम की धारा २७ निकाल दी जाय ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में यहां आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधन किया जाय :---

अतएव भारतीय गणतंत्र के नौवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १३, प्रस्तावना और शीर्षक और खंड १ इस विधेयक के अंग बन जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

†श्री नारायणदत्त तिवारी---प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, मेरे विचार से यह विधेयक पारित नहीं हो सकता। एक अमेंडिंग बिल दूसरे अमेंडिंग बिल के प्रिएम्बिल के, जबतक प्रिएम्बिल को खासतौर से अमेंड नहीं किया गया हो, उसके स्कोप को नहीं बढ़ा सकता है। श्रीमन्, इस विधेयक के प्रिएम्बिल में लिखा है, "टु अमेंड यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४८ फार सर्टेन परपजेज।"

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रिएम्बिल वगैरह तो इसका पारित हो चुका, सदन ने एक मर्तबा इसको स्वीकार कर लिया। तो पारित होने के स्टेज में केवल संशोधन जिस सम्बन्ध में हुआ हो उसी पर आप भाषण कर सकते हैं। उस समय आप चुप थे जब खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इसका अंग बने।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं यह कह रहा हूं कि मूल ऐक्ट के प्रिएम्बिल के खिलाफ यह जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---सदन ने यह तय कर लिया है कि प्रिएम्बिल विधेयक का अंग बन जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष---काफी स्पष्ट हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस ऐक्ट के प्रिएम्बिल को मैं चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पुराने ऐक्ट के प्रिएम्बिल का जबतक संशोधन नहीं किया जाता तबतक यह ऐक्ट पारित नहीं हो सकता। पुराने ऐक्ट का प्रिएम्बिल केवल सेल आफ गुड्स का अधिकार देता है और इस विधेयक के द्वारा परचेज टैक्स लगाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया की लिस्ट सेकंड, शेड्यूल सेवेन्थ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें जो स्टेट लिस्ट है उसके आइटम ५४ में जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं वे हैं "Tax on the sale or purchase of goods other than newspaper"। इसका अर्थ यह है कि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में दो अलग-अलग शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। सेल और परचेज के अन्दर अन्तर है। जैसा कि माननीय मदा मोहन जी ने कहा कि सेल शब्द के अन्दर अगर परचेज शामिल होता तो परचेज को अलग से लिखने की आवश्यकता संविधान के शिड्यूल सेविन्थ लिस्ट सेकिंड में नहीं होती। इसके अर्थ यह है कि सेल आफ गुड्स के लिये उनकी अलग एक परिभाषा है और परचेज शब्द की परिभाषा संविधान के अन्दर अलग है। इस दृष्टिकोण से जब हम प्रिएम्बिल को देखते हैं पुराने सेल्स टैक्स के तो हम सेल की परिभाषा के अन्दर परचेज को नहीं मान सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि प्रिएम्बिल जो संशोधित करने का अधिकार है वह इस सदन को है। इस सदन ने दूसरी रीडिंग में उसको संशोधित नहीं किया। अब यह कोर्ट तो है नहीं। प्रिएम्बिल का स्कोप क्या है। प्रिएम्बिल जैसा हमारे सामने है, वही है। तो लेजिस्लेचर जब प्रिएम्बिल को इनेक्ट करता है तो वह ऐसे प्रिएम्बिल को इनेक्ट अगर करता है जो लेजिस्लेचर के बाहर जाता हो तो उसे ऐसा इनेक्टमेंट नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आप कोई नजीर दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं जगदीशशरण जी की यह किताब है इसमें से नजीर दे रहा हूं। उन्होंने इसमें स्पष्ट लिखा है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---उनकी राय मैं जानना नहीं चाहता हूं। कोई सदन का फैसला हो वह मैं जानना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के फैसले की नजीर यहां लाभदायक नहीं होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय अध्यक्ष की एक रूलिंग हुई इस सेल्स टैक्स ऐक्ट के सम्बन्ध में जब यह पारित हुआ था। उस समय उन्होंने यह दलील दी थी कि सेल आफ गुड्स की परिभाषा में यह नहीं आता है, लेकिन आज इस परचेज शब्द को इस्तेमाल किया गया है और सेल शब्द को अलग नहीं इस्तेमाल किया गया है।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जो आइटम अभी सदन के अन्दर पढ़कर सुनाया गया है वह आइटम खुली दलील इस बात की है कि जो कुछ हमारे दोस्त ने फरमाया वह गलत है....

श्री नारायणदत्त तिवारी---आप वह संविधान की शिड्यूल सेविन्थ तो देखिये।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---मैं तो हाफिज हूं। आप तो हाफिज नहीं हैं। मुझे सब मालूम है। उस आइटम के अन्दर उसी जगह पर यह लिखा हुआ है। जिस तरीके से लैंड रेवेन्यू है उसी तरीके से यह सेल्स टैक्स है। उनको अलग-अलग लिखा हुआ आप पायेंगे, लेकिन वह है एक बात। इस कानून का इन्टरप्रिटेशन खुद इस बात की दलील है कि जहां पर सेल्स टैक्स है उसी के अन्दर परचेज टैक्स भी रखा जाता है। यह दोनों चीज अलग-अलग नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय हाफिज जी उधर देखते रहते हैं जैसे माननीय उपाध्यक्ष उधर बैठे हों।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि सब हजरात यह समझ लें कि दुनिया में एक ही ऐक्ट का नाम सेल और परचेज है। जिस चीज की सेल होगी उस चीज की परचेज भी जरूर होगी। यह दुनिया की मानी हुई बात है।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने वैधानिक प्रश्न उठाया गया। उसके सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के विधान मंडल ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरह सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं करते। हमारे संविधान में न्यायालयों को यह अधिकार दिया हुआ है कि यदि किसी विधान मंडल से कोई अनियमित कानून बन जाय तो उसे वे रद्द कर दें, जैसा कि अक्सर हुआ करता है। इसलिये संसदीय परम्परा के अनुसार अध्यक्ष इस सम्बन्ध की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लिया करते और न वे किसी कानून को ऐसी आपत्तियों पर पास होने से रोकते हैं। फिर इस प्रिए म्बिल को सदन स्वीकार भी कर चुका है। इसलिये मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा और मैं यह वैधानिक प्रश्न रद्द करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में १३७,
विपक्ष में ३२।)

आगामी कार्य-क्रम की सूचना

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं इस हाउस की खिदमत में कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल के बाद कोर्ट फीस बिल, स्टैम्प बिल और रेगुलेशन आफ बिल्डिंग्स बिल विचार के लिये ले लिये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह सूचना उन्होंने दी। आप तैयारी कर लें। जब विचार का वक्त आयेगा इसके लिये तो उस पर विचार होगा। सरकार ने अपनी इत्तला दे दी।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१२ फरवरी, १९५८ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८६ पर)

सूची

१—श्री बरिजन सिंह, सब-इन्सपेक्टर पुलिस ।
२—श्री राम नारायण गुप्ता, निवासी लखीमपुर खीरी ।
३—श्री लालता प्रसाद, मेडिकल आफीसर, इन्चार्ज मुहम्मदी डिस्पेन्सरी ।
४—श्री आर० एन० सक्सेना, डिप्टी क्लेक्टर, खीरी ।
५—डा० भवन चन्द्र जोशी, मेडिकल आफीसर मजगेई डिस्पेन्सरी ।
६—श्री हंस राज गुम्बर, इन्सपेक्टर इक्साइज मुहम्मदी ।
७—श्री शिवलाल गुप्ता, निवासी तिकोनिया, थाना सिगही ।
८—श्री जमीलउर्रहमान, निवासी कुकरा थाना मैलानी ।
९—श्री प्रागी लाल तिवारी, तहसीलदार निघासन ।
१०—श्री के० एल० सिक्का, इन्सपेक्टर सेन्ट्रल इक्साइज ।
११—श्री सैयद एहसान अली, सीनियर वाइस-प्रेसीडेन्ट, जिला बोर्ड खीरी ।
१२—श्री मनमोहन भंडारी, सब-इन्सपेक्टर पुलिस ।
१३—श्री शारदूल सिंह, निवासी ऐरा, थाना, ईसानगर ।
१४—श्री प्रेम शंकर तिवारी, सेन्ट्रल एक्साइज इन्सपेक्टर ।
१५—श्री रामप्रताप सिंह, इन्सपेक्टर सेन्ट्रल एक्साइज ।
१६—श्री होशियार सिंह निवासी, पतवारा फार्म, थाना पलिया ।
१७—डा० एम० ए० सिद्दीकी, एण्टी मलेरिया आफिस, खीरी ।
१८—श्रीमती रानी ताराकुंवारी मजेगई थाना निघासन ।
१९—श्री ए० पी० रावत, सब-इन्सपेक्टर पुलिस ।
२०—श्री मन्ना लाल, एम० एल० ए०, खीरी ।
२१—श्री कुवंर खुशवख्त राय, एम० पी०, लखीमपुर खीरी ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर)

प्रकाशन योजना की रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण

भारतीय संविधान द्वारा हिन्दी के राष्ट्रभाषा घोषित किये जाने के पश्चात् यह आवश्यक हो गया है कि १५ वर्षों की निर्धारित अवधि की समाप्ति तक हिन्दी वाङ्मय अपने विविध अंग-उपांगों सहित किसी भी विदेशी भाषा की भांति समुन्नत हो जाय। इस शुभ कार्य के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार अपने उत्तरदायित्व से पूर्णतया अवगत थी। हिन्दी वाङ्मय के चतुर्मुखी विकास एवं संवर्धन के लिये सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं विज्ञानेतर विषयों पर ३०० ग्रन्थों के प्रकाशन की एक पंचवर्षीय योजना हिन्दी समिति के तत्वावधान में बनाई गई।

उपर्युक्त ३०० ग्रन्थों में से १०० विभिन्न भाषाओं के उन महत्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद होंगे जिनका किसी भी भाषा में होना आवश्यक है। ये ग्रन्थ सभी महत्वपूर्ण एवं आधुनिक विषयों पर होंगे किन्तु सम्प्रति वैज्ञानिक विषयों को ही प्राथमिकता दी गयी है क्योंकि इन विषयों पर हिन्दी में प्रामाणिक ग्रन्थों की नितान्त कमी है। शेष २०० मौलिक ग्रन्थ होंगे जिनमें १०० तो शास्त्रीय ढंग के ग्रन्थ होंगे और डिमाई आकार में कम से कम ४०० पृष्ठों में होंगे और १०० ग्रन्थ ऐसे होंगे जो महत्वपूर्ण एवं आधुनिक विषयों पर सरल सुबोध भाषा में डबल क्राउन सोलह पेजी के आकार के लगभग २००।२५० पृष्ठों के होंगे और सामान्य पढ़े लिखे लोगों के ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से प्रकाशित किये जायेंगे।

प्रकाशन की इस योजना का आरम्भ द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ के साथ हो चुका है।

प्रकाशन योजना के लिये हिन्दी समिति में १७ सदस्यों की एक समिति बनायी गयी है। इसके अध्यक्ष तथा सचिव दोनों लखनऊ में ही रहते हैं जिससे कार्य की प्रगति में सुगमता रहती है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

पुस्तक का नाम	पुरस्कृत धनराशि	पुस्तक का नाम	पुरस्कृत धनराशि
	रु०		रु०
१—(१) मुन्ना के गीत (२) धूपछाया	३००	३०—(१) ध्वनि सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त (२) संस्कृत कवि दर्शन (३) हिन्दी कलवण नन्द	८००
२—(१) कालिदास (२) आम्रपाली (३) अशोकपुत्र (४) संगीता (५) अगीता (६) मुंशी धनघोर लाल (७) गान्ध्या	६००	३१—बुद्धि के ठेकेदार ..	५००
		३२—भारतीय संस्कृति का विकास	५००
		३३—(१) हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास (२) आस्था	८००
३—शृंगार मंजरी ..	५००	३४—छायावाद के गौरव चिन्ह ..	४००
४—जै हनुमान ..	४००	३५—भारतेन्दु और सहयोगी कवि	५००
५—कवि तानसेन और उनका काव्य	३००	३६—भारतेन्दु कालीन हासपरिहास	३००
६—बा और बापू ..	३००	३७—हास्य की रूपरेखा ..	६००
७—सूधि के स्वर ..	३००	३८—अवधी और उसका साहित्य	३००
८—पुर्नामलन ..	४००	३९—सूर के सौ कूट ..	४००
९—भूमि के भगवान ..	५००	४०—डा० इकबाल और उनकी शायरी	३००
१०—गुलाब और बुलबुल ..	३००	४१—हाथी के पंख ..	३००
११—आंगन के फूल ..	४००	४२—ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली	५००
१२—पार्वती ..	१,०००	४३—सूफी मत ..	५००
१३—बूंविअक्षत ..	३००	४४—आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा	५००
१४—फुहार ..	३००	४५—वीररस का शास्त्रीय विवेचन	४००
१५—विन्ध्य प्रदेश के आदिवासियों के गीत	३००	४६—तत्व प्रकाश ..	३००
१६—आदर्श बौद्ध महिलायें ..	३००	४७—बेक्स का मजार ..	६००
१७—हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास	६००	४८—जिन्दगी की राहें ..	४००
१८—राधा का क्रम विकास ..	६००	४९—चेत सिंह का सपना ..	३००
१९—रत्नाकर और उनका काव्य	३००	५०—(१) ज्वालामुखी (२) तीसरी भूख	४००
२०—साहित्य तरंग. ..	६००	५१—पोर्ट आथर एक खूनी किला	३००
२१—हिन्दी साहित्य के विकास की रूपरेखा	५००	५२—बूंद और समुद्र ..	६००
		५३—तीन दिन ..	५००
२२—हिन्दी सूफी कवि और काव्य	६००	५४—बनराज के राज्य में ..	३००
२३—आचार्य क्षेमेन्द्र ..	४००	५५—परिवार ..	४००
२४—खड़ी बोली का आन्दोलन ..	६००	५६—सागर लहरें और मनुष्य ..	५००
२५—पद्मनायिका ..	६००	५७—सूरज डूबने से उगने तक ..	४००
२६—पद्मावत का काव्यसौन्दर्य ..	४००	५८—स्वप्न मयी ..	५००
२७—शरद के नारी पात्र ..	३००	५९—धरती की सांस ..	६००
२८—संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद	६००	६०—जै वर्धन ..	६००
२९—रूसी लोक साहित्य ..	३००	६१—पर्ण ..	६००

पुस्तक का नाम	पुरस्कृत धनराशि	पुस्तक का नाम	पुरस्कृत धनराशि
	रु०		रु०
६२—वयंरक्षामः ..	६००	८९—गाथा संवत्सरी ..	५००
६३—मेघपुष्प ..	३००	९०—काशीः अतीत और वर्त्तमान	३००
६४—मानस हंस ..	३००	९१—फलों की खेती ..	६००
६५—नारी का शृंगार ..	३००	९२—पोलट्री फार्मिंग ..	४००
६६—बनारसी रईश ..	४००	९३—दैनिक जीवन में विज्ञान ..	३००
६७—लहरें और कगार ..	४००	९४—विज्ञान और सभ्यता ..	४००
६८—नाना फड़नवीस ..	३००	९५—धात्री विज्ञान ..	३००
६९—काले फूल का पौधा ..	४००	९६—उद्यान कृषि दर्शन ..	६००
७०—प्यासे बादल ..	४००	९७—पुस्तकालय संगठन और संचालन	३००
७१—कौड़ियों का नाच ..	३००	९८—नीति विज्ञान ..	५००
७२—सम्पादक के पच्चीस वर्ष ..	६००	९९—ईख और चीनी ..	१,०००
७३—अग्निजा ..	६००	१००—बाल विकास और शिक्षण	५००
७४—नागकली का देश ..	५००	१०१—बाल विकास और उसकी समस्यायें	४००
७५—डाक टिकट संग्रह कला ..	३००	१०२—यशस्वी भोज ..	३००
७६—आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान ..	६००	१०३—अभागिन ..	५००
७७—कला दर्शन ..	६००	१०४—अभिनय दर्पण ..	३००
७८—सरल गणित ज्योतिष ..	६००	१०५—कीर्ति स्तम्भ ..	५००
७९—भारतीय अर्थ-शास्त्र ..	६००	१०६—विजय पर्व ..	५००
८०—आपका शिशु है ..	३००	१०७—वैसाली में बसन्त ..	६००
८१—साहित्य प्रवाह ..	६००	१०८—और खाई बढ़ती गई ..	४००
८२—क्या मैं अन्दर आ सकता हूं .	४००	१०९—हमारी नाट्य परम्परा ..	४००
८३—प्रमुख राजनैतिक विचारों की चिन्तन धारायें	६००	११०—अंधा कुआं ..	५००
८४—(१) सोवियत संघ का शासन (२) स्विटजरलैंड का शासन (३) संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन	६००	१११—देश विदेश में मनोरंजन ..	४००
		११२—बौद्ध दर्शन ..	२,५००
		११३—काव्य पुरुष ..	८००
		११४—गल्पिका ..	३००
८५—राजनीति और दर्शन ..	१,२००	११५—जंजीर और नया आदमी ..	३००
८६—संस्कृति के चार अध्याय ..	१,२००	११६—तुम चन्दन मैं पानी ..	४००
८७—राजनीतिक भारत ..	५००	११७—प्रसादी कमण्डल ..	५००
८८—(१) तुगलक कालीन भारत (२) आदि तुर्क कालीन भारत	१,०००		

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९० पर)

विवरण-पत्र

क्रम-संख्या	थाने का नाम	सन् १९५५ से १९५७, दिसम्बर तक जितने सब-इन्सपेक्टरों, हे० कां० और कां० के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा ज्यादतियों की शिकायतें आईं उनकी संख्या		
१	कोतवाली ..	.. १०	एस० आई० ९	हे० कां० २८ कां०
२	सायाल ..	.. ४ ,,	१ ,,	९ ,,
३	बेला ..	.. ३ ,,	१ ,,	३ ,,
४	भर्थना ..	.. ७ ,,	६ ,,	११ ,,
५	औरया ..	.. ६ ,,	२ ,,	२२ ,,
६	जसवन्त नगर ..	.. ८ ,,	२ ,,	६ ,,
७	उसराहार ..	६ ,,	७ ,,	१५ ,,
८	बढ़पुरा ..	.. ६ ,,	१ ,,	४ ,,
९	बकेवर ..	.. ७ ,,	१ ,,	१४ ,,
१०	एरवा कटरा ..	.. ४ ,,	२ ,,	५ ,,
११	अजीतमल ..	.. ६ ,,	३ ,,	२२ ,,
१२	अछल्दा ..	.. ४ ,,	१ ,,	४ ,,
१३	दिवियापुर ..	.. ४ ,,	२ ,,	७ ,,
१४	फफूंद ..	.. ८ ,,	५ ,,	१३ ,,
१५	बिधूना ..	.. ५ ,,	१ ,,	८ ,,
१६	सहसों ..	.. ४ ,,	१ ,,	१६ ,,
१७	इकदिल ..	.. ५ ,,	३ ,,	१६ ,,
१८	चौबिया ..	.. १ ,,	२ ,,	९ ,,

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे १९३ पृष्ठ पर)

क्रम-संख्या	नाम जिनके यहां डकैतियां पड़ीं	स्थान जहां डकैतियां पड़ीं
	१९५६	
१	श्री इत्तवारी	चन्दनपुर
२	श्री बाबूराम	धनरी
३	श्री गिरवादी	परपुरा
४	श्री अयोध्याप्रसाद	सैफुल्लागंज
५	श्री चुन्नीलाल	सितौली
६	श्री हीरा लाल	मेहदूदा
७	श्री कन्हई	काशीपुर
८	श्री गनपत सिंह	सेमालाभूर
९	श्री तोताराम	सिकरौरा
१०	श्री शाहबुद्दीन	खागरा
११	श्री राम सिंह	मैरावती
१२	श्री राम चन्द्र	सिरौरा
१३	श्री झंडू	नगला अहमद नगर
१४	श्री नेवाल सिंह	पतई नसीर
१५	श्री होरी	कमानपुर
१६	श्री गनपत	सलेबतपुर
१७	श्री दल्ली	गोबी नगला
१८	श्री राम प्रसाद	सिरौलिया
१९	श्री लोकी	चमरपुरा
२०	श्री कुबेर प्रसाद	रायपुर
२१	श्री भोमसेन	नरसौना
२२	श्री शिवशंकर राम सिंह	ताहरपुर
२३	श्री गनेश	गल्था रामनगर
२४	श्री मलखान	असमारफतपुर
२५	श्री महोरन सिंह	इट्टवा
२६	श्री बुधसेन	चांद बरई
२७	श्री उमराई-गफ्फार	नगला
२८	श्री राम चन्द्र सिंह	सरकी
२९	श्री राम करन सिंह	तातारपुर
३०	श्री चुन्नी गीर	देरेला
३१	श्री राम भरोसे	मुगरा
३२	श्री पान सिंह	धरमपुर
३३	श्री राधे	मुगरा
३४	श्री चूड़ामनी	मोतीपुरा
३५	श्री द्वारिका प्रसाद	मुधियाना
३६	श्री गोकरन	अंधराओं
३७	श्री जहीरूल हसन	गभिआई
३८	श्री धान सिंह	बरखेड़ा
३९	श्री बली रजा	निज़ामपुर
४०	श्री मलिखान सिंह	जगत
४१	श्री अजीमुद्दीन	आलमपुर
	१९५७	
१	श्री शिवचरनलाल	अन्नी
२	श्री भवानी	हरहरपुर
३	श्री ननकासिंह	चरसौंरा
४	श्री गनेश प्रसाद	खजुरिया
५	श्री होती	मदैन सुलतान गढ़
६	श्री सूखे खान	खिलवाड़ा
७	श्री ठाकुर दास	दीपा नगला
८	श्री जंगो सिंह	धमेई
९	श्री घोसी राम	कोंह जाफराबाद
१०	श्री प्यारे सिंह	सरकी
११	श्री भोम	घुमरइया
१२	श्री धनपाल सिंह	नागर
१३	श्री रूप चन्द	ननवा नगला
१४	श्री सरवा	दौलतपुर
१५	श्री चन्द्रगुप्ता	धरमपुरा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९५ पर)

सन् १९५६ व सन् १९५७ में हुई डकैती व कत्ल के मामलों में की गई कार्यवाही से सम्बन्धित विवरण-पत्र

	जिनकी सूचना मिली	चालान किया गया	लापता होने के कारण (F.R.) लगाई गई।	मुकदमे जिनमें सजा हुई	मुकदमे रिहा हुए	मुकदमे जो न्यायालय के विचाराधीन हैं	जांच हो रही है	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
डकैती	१२	८	२	..	१	७	२	५८
कत्ल ..	३२	२६	४	१	११	१४	२	६८

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७–७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९६————————————पर)

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पुनर्व्यवस्था योजना के अन्दर कृषिफार्म खोलने हेतु प्राप्त भूमि	कुल लागत (सितम्बर ३०, १९५७ तक)		पिछले तीन वर्ष की लागत (१९५४–५५ से ३१ मार्च, १९५७ तक)			मुख्य मंत्री फंड में एकत्रित धन	
१	२	३	४		५			६	
मेरठ मंडल		एकड़	रु०	न० पै०	रु०	आ०	पा०	रु०	न० पै०
१	देहरादून ..	.. ..	१६०.५	२५,६१७	० २५,१९८	१	०	१५,४७९	३३
२	सहारनपुर ..	.. ..	५३२.८	७७,९२७	६९ ७७,९२७	११	०	८०,४८२	७५
३	मुजफ्फरनगर ..	.. ..	४८५.०	६४,९२३	२० ६२,७५९	७	०	१,५०,२४६	१५
४	मेरठ	.. ..	१२५१.०	१,८०,९३२	५० १,५९,२४६	१०	०	२,७१,३६६	५८
५	बुलन्दशहर ..	.. ..	४१३.५	७७,४१७	३८ ६९,९१८	६	३	१,०७,६५०	३१
६	अलीगढ़	.. ..	९१८.४	७०,२२४	६५ ७०,२२४	१०	३	९२,१४४	९
७	मथुरा	.. ..	३६९.५	५६,४७८	२० ५५,७१५	६	९	६४,५३१	५६
८	आगरा	.. ..	५८५.४	६८,४५३	५२ ६८,०८६	८	३	९२,९४१	१४
९	मैनपुरी	.. ..	७४८.८	७५,३९४	३२ ७३,८५४	४	९	१,१६,९४६	६
१०	एटा	.. ..	३०३.३	३५,४१०	५१ ३५,२१८	१४	६	३१,४२१	२५
		योग ..	५,७६८.२	७,३२,७७८	९७ ६,९८,१४९	१५	९	१०,२३,२१२	२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पुनर्व्यवस्था योजना के अन्दर कृषि फार्म खोलने हेतु प्राप्त भूमि	कुल लागत (सितम्बर ३०, १९५७ तक)	पिछले तीन वर्ष की लागत (१९५४–५५ से ३१ मार्च, १९५७ तक)	मुख्य मंत्री फंड में एकत्रित धन
१	२	३	४	५	६
	बरेली मंडल	एकड़	रु० न० पै०	रु० आ० पा०	रु० न० पै०
११	बरेली	३६२.६	५१,८८८ ४४	५१,६९५ ७ ०	८२,४७४ १७
१२	बिजनौर	२०४.१	३९,४६३ ८	३८,६२० १ ३	५२,१५३ ९८
१३	बदायूं	४२३.५	४३,६९६ ७५	४३,६९६ १२ ०	६८,२९० ८०
१४	मुरादाबाद	२९६.२	६०,४५१ ४२	५९,६८६ ६ ९	४५,५७२ १९
१५	रामपुर	८२.२	२३,२६० ७	२२,१६७ ० ९	१६,१३३ ८१
१६	शाहजहांपुर	२८२.५	५०,२५४ २५	४७,७७७ १५ ९	४७,८४७ ६६
१७	पीलीभीत	२२९.२	३५,६०२ ८	३५,६०२ १ ३	३८,१०३ ४४
१८	नैनीताल	२९८.१	२७,९७५ ९७	२७,९४५ ० ६	५९,८३६ ८६
१९	अल्मोड़ा	३८४.७	४२,९१८ ६७	४१,१३५ २ ९	३४,९७० ५३
२०	गढ़वाल	५४०.०	३५,६७२ ८२	३५,३७८ ४ ०	२३,५५७ ३
२१	टेहरी	२५८.८	१८,२२७ १२	१५,१४० ० ०	१४,९२१ १२
	योग ..	३,३२५.९	४,२९,५१० ७७	४,१८,८४४ ४ ०	४,८३,८६१ ५९

इलाहाबाद मंडल

२२	फर्रुखाबाद	..	..	..	४५४.६	४८,४६६	·६४	४८,४६६	१०	३	६०,१३५	६२
२३	इटावा	..	..	..	२५३.३	६५,६४२	·२८	६४,६६०	४	६	१,०७,०६०	·८
२४	कानपुर	..	..	..	५५१.०	८२,७७६	·५	८२,७७६	०	६	१,१५,१४३	·४८
२५	फतेहपुर	..	..	..	३६१.६	५६,६६४	·८७	५६,२६४	१२	०	५०,४६०	·६
२६	इलाहाबाद	..	..	..	६१०.५	७२,७४२	·१५	७१,४६१	५	६	१,०१,६२४	·०
२७	झांसी	..	..	..	२०५.७	५२,६७८	·८१	५१,५२३	१	०	४४,४४३	·११
२८	जालौन	..	..	..	२६६.३	३०,२५५	·६०	३०,१३०	१	६	३३,३६२	·३७
२६	हमीरपुर	..	..	..	३२२.४	४६,४६२	·२८	४५,३४४	५	०	३२,२५५	·५८
३०	बांदा	..	..	..	२७८.६	४६,६७१	·२५	४६,७८७	३	६	२४,५२०	·१५
		योग	..	..	३,३३४.०	५,०६,३२३	·२३	५,००,५०६	१२	०	५,६६,३६४	·४१

बनारस मंडल

३१	वाराणसी (बनारस)	..	..	६२७.२	६५,०५६	.१३	६४,४०५	१३	०	६६,४८१	·१७
३२	मिर्जापुर	..	..	२३८.८	६०,६१६	.६६	५७,७५५	१३	०	५१,६३८	·५५
३३	जौनपुर	..	..	१,०६२.७	१,०६,३६५	.२	१,०७,००६	२	३	३३,७७७	·६
३४	गाजीपुर	..	..	४७५.०	५१,०३३	·२	४२,६५६	१२	०	५८,४७८	·३०
३५	बलिया	..	..	८५१.५	५६,६२२	·८१	५६,३२२	१३	०	५३,६३६	·१५
३६	गोरखपुर	..	..	४५०.३	४८,२५७	·१२	४७,७५८	०	०	५१,२७४	·५०
३७	देवरिया	..	..	६५८.२	६०,६६३	·८१	६०,६६३	१३	०	३०,१०१	·४४
३८	बस्ती	..	..	५६०.७	७४,३५५	·१८	७४,३५५	२	६	७४,२२८	·३३
३६	आजमगढ़	..	..	८०८.७	६१,१०३	·५०	६०,२७३	७	११	६६,२६८	·२३
		योग	..	५,७६३.१	६,१६,८०६	·५५	६,०१,२३०	१२	११	५,१६,१२६	·७३

क्रम-सं या	जिले का नाम			पुनर्व्यवस्था योजना के अन्दर कृषि फार्म खोलने हेतु प्राप्त भूमि	कुल लागत (सितम्बर ३०, १९५७ तक)		पिछले तीन वर्ष की लागत (१९५४-५५ से ३१ मार्च, १९५७ तक)			मुख्य मंत्री फंड में एकत्रित धन	
१	२			३	४		५			६	
				एकड़	रु०	न०	रु०	आ०	पा०	रु०	न०
लखनऊ मंडल											
४०	लखनऊ	..	..	२२१.७	६०,६०१	·६९	५७,१८३	११	६	५३,६४०	·९७
४१	उन्नाव	..	..	४७०.७	४७,६३८	·२	४७,६३८	०	३	२६,४१५	·८१
४२	रायबरेली	..	..	४३७.८	६०,७८२	·७५	५९,५६२	१२	६	४६,६५७	·५४
४३	सीतापुर	..	..	४४६.१	६०,२९३	·७७	६०,११९	१०	६	६८,५९३	·१४
४४	हरदोई	..	..	३४६.७	४६,८२०	·१६	४६,५४५	२	६	२२.७२४	·४३
४५	खीरा	..	..	२०२.३	३५,७०७	·४६	३४,६६५	१२	३	३६,२०८	·६१
४६	फैजाबाद	..	..	५२२.९	५६,९९३	·५६	५४,९९८	१०	६	९४,५४८	·२३
४७	गोंडा	..	..	३१३.१	५१,८५८	·६४	५१,८५६	१०	३	३५,०७६	·२०
४८	बहराइच	..	..	१९६.८	४६,०१५	·१४	४६,०१५	२	३	६६,५८१	·१९
४९	सुल्तानपुर	..	..	६०४.३	६६,९५२	·५३	६६,९५२	८	६	६६,४९४	·५०
५०	प्रतापगढ़	..	..	५३३.८	५७,९५८	·७५	५७,६५८	१२	०	४४,१७४	·३०
५१	बाराबंकी	..	..	३५५.०	४७,७८७	·७८	४६,९४४	१	९	६५,०१७	·४७
		योग	..	४,६५१.२	६,३९,४१०	·२५	६,३०,१४०	१४	९	६,२६,१३२	·३९
		पूर्ण योग	..	२२,८४२.४	२९,२४,८२९	·७७	२८,४८,८७२	११	५	३२,२१,७२७	·३४

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

सन् १९५६ व १९५७ में बांदा जिले में हुई डकैतियां व कत्ल का तहसीलवार ब्योरा

तहसील का नाम	१९५६		१९५७	
	संख्या डकैतियां	संख्या कत्ल	संख्या डकैतियां	संख्या कत्ल
१—बांदा ..	२	९	१	४
२—बबेरू ..	१	९	२	८
३—नरैनी ..	१	४	२	७
४—करवी ..	१	११	३	६
५—मऊ ..	१	..	१	..
योग ..	६	३३	९	२५

डी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२९० एल० ए०—१९५८—८१० ।